

आईसी - 38

खंड-साधारण

कॉर्पोरेट एजेंट

आभार

यह कोर्स भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित, एवं संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसे भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई ने तैयार किया है।

लेखक/समीक्षक (वर्णानुक्रम में)

डॉ. आर.के. दुग्गल

डॉ. शशिधरण के. कुट्टी

सीए पी. कोटेश्वर राव

डॉ. प्रदीप सरकार

प्रो. माधुरी शर्मा

डॉ. जॉर्ज ई. थॉमस

प्रो. अर्चना वझे

इस पाठ्यक्रम का हिन्दी अनुवाद तथा समिक्षक निम्नलिखित सहयोगी से किया गया.

सीडैक, पुणे.

श्री आनंद मिश्रा

सुश्री कृष्णा वशिष्ठ



भारतीय बीमा संस्थान
**INSURANCE
INSTITUTE OF
INDIA**

जी-ब्लॉक, प्लॉट नंबर सी-४६, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई – ४०० ०५१

कॉर्पोरेट एजेंट खंड-साधारण आईसी - 38

संस्करण का वर्ष: 2023

सभी अधिकार सुरक्षित

यह पाठ्य सामग्री भारतीय बीमा संस्थान (III) की कॉपीराइट है। इस कोर्स को भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शैक्षणिक जानकारी उपलब्ध कराने के मकसद से डिजाइन किया गया है। इस पाठ्य सामग्री को संस्थान की पहले से ली गई, स्पष्ट लिखित सहमति के बिना, आंशिक या पूर्ण रूप से, व्यावसायिक प्रयोजन के लिए पुनः-प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

इस कोर्स की सामग्रियां प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित हैं, इनका मकसद कानूनी या अन्य विवादों के मामले में व्याख्या या समाधान उपलब्ध कराना नहीं है।

यह सिर्फ एक सांकेतिक पाठ्य सामग्री है। कृपया ध्यान दें कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल सिर्फ इस पाठ्य सामग्री तक ही सीमित नहीं होंगे।

प्रकाशक: महासचिव, भारतीय बीमा संस्थान, जी-ब्लॉक, प्लॉट नं. सी-46, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) मुंबई – 400 051, मुद्रणालय -

इस पाठ्य सामग्री से जुड़ा कोई भी संवाद ctd@iii.org.in के साथ किया जा सकता है, जहां कवर पेज पर विषय का नाम और यूनीक प्रकाशन संख्या लिखना ज़रूरी होगा।

प्रस्तावना

भारतीय बीमा संस्थान (संस्थान) ने इस पाठ्य सामग्री को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर, बीमा एजेंटों के लिए तैयार किया है। इस पाठ्य सामग्री को तैयार करने में उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया गया है।

यह कोर्स जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। यह बीमा की संबंधित लाइनों में, एजेंटों को उनके पेशेवर कैरियर को सही परिप्रेक्ष्य में समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद करता है।

इस कोर्स को चार खंडों में बाँटा गया है। (1) संक्षिप्त विवरण (ओवरव्यू) – यह एक सामान्य खंड है जिसमें बीमा के सिद्धांतों, कानूनी सिद्धांतों और नियामक मामलों की चर्चा की गई है जिनकी जानकारी बीमा एजेंटों को होना ज़रूरी है। इसके अलावा, तीन अलग-अलग खंड (2) जीवन बीमा एजेंट, (3) साधारण बीमा एजेंट और (4) स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनने के आकांक्षी व्यक्ति की मदद के लिए हैं।

इस कोर्स में मॉडल प्रश्नों का एक सेट भी दिया गया है जो छात्र/छात्राओं को परीक्षा के प्रारूप और परीक्षा में पूछे जाने वाले अलग-अलग तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक अंदाज़ा देगा। मॉडल प्रश्नों की मदद से छात्र-छात्रा अपनी सीखी गई चीज़ों को जांच कर भी देख सकते हैं।

बीमा एक परिवर्तनशील वातावरण में काम करता है। एजेंटों को बाज़ार में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। उन्हें निजी अध्ययन के साथ-साथ संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी जानकारी को तरोताज़ा रखना चाहिए।

यह संस्थान इस कोर्स को तैयार करने की ज़िम्मेदारी देने के लिए आईआरडीएआई को धन्यवाद करता है। संस्थान इस पाठ्य सामग्री का अध्ययन करने के इच्छुक सभी छात्र-छात्राओं के लिए बीमा मार्केटिंग में एक कामयाब कैरियर की कामना करता है।

विषय-वस्तु

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
खंड	साधारण बीमा	
G-01	साधारण बीमा से जुड़े दस्तावेज़	2
G-02	जोखिम अंकन एवं दर निर्धारण	21
G-03	वैयक्तिक एवं खुदरा बीमा	32
G-04	वाणिज्यिक बीमा	44
G-05	सामान्य बीमा संबंधी दावे	73
खंड	अनुलग्नक	
A-1	अनुलग्नक - नमूना प्रस्ताव फॉर्म और दावा फॉर्म (भरने के लिए)	83

अनुभाग
साधारण बीमा

अध्याय G-01

साधारण बीमा से जुड़े दस्तावेज़

अध्याय का परिचय

अध्याय 7 में की गई चर्चा के अनुसार, प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई जानकारी, बीमा हेतु प्रस्तुत जोखिम को स्वीकृत करने हेतु साधारण बीमा कंपनी के लिए उपयोगी होते हैं।

हमने देखा है कि, बीमा की विभिन्न शाखाओं में, बीमाकृत विषयवस्तु, बीमा के प्रकार एवं उत्पन्न होने वाले दावों के आधार पर प्रलेखन की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं।

अध्ययन के परिणाम

- A. प्रस्ताव प्रपत्र
- B. प्रस्ताव की स्वीकृति(जोखिमअंकन)
- C. प्रीमियम की रसीद
- D. मुखपृष्ठ/बीमासुरक्षा का प्रमाणपत्र/पॉलिसी दस्तावेज़
- E. वारंटियां
- F. पृष्ठांकन
- G. पॉलिसियों की व्याख्या
- H. नवीनीकरण सूचना

इस अध्याय के अध्ययन के बाद, आप निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेंगे:

- a) प्रस्ताव प्रपत्र की विषयवस्तु का स्पष्टीकरण।
- b) सूचीपत्र के महत्व का वर्णन।
- c) प्रीमियम की रसीद को समझना।
- d) बीमा पॉलिसी दस्तावेज़ में विद्यमान शब्दावलियों की व्याख्या।
- e) पॉलिसी की शर्तों एवं वारंटियों की चर्चा।
- f) इस बात को समझना की वारंटी क्यों जारी की जाती हैं।
- g) इस बात को समझना कि क्या नवीनीकरण सूचना जारी की जाती हैं।

A. प्रस्ताव प्रपत्र

प्रस्ताव प्रपत्र में ऐसी सूचना विद्यमान होती है जो कि बीमा कंपनियों के लिए बीमा हेतु पेश की गई जोखिम को स्वीकृत करने के लिए उपयोगी होती है। परम सद्भावना का सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण सूचना के प्रकटीकरण का कर्तव्य, बीमा के प्रस्ताव प्रपत्र से ही शुरू हो जाता है।

उदाहरण

यदि बीमाकृत को अलार्म लगाने की आवश्यकता पड़े अथवा यदि उसने यह बताया है कि उसने सोने के गहने के शोरूम में स्वतः अलार्म सिस्टम लगा रखा है, तो उसे न केवल उसका प्रकटीकरण करना होता है, परंतु साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान वह अलार्म कार्य करने की स्थिति में ही रहेगा। अलार्म की उपस्थिति, बीमाकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा क्योंकि इन तथ्यों के आधार पर उसके द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाएगा तथा तदनुसार जोखिम का मूल्यनिर्धारण किया जाएगा।

1. प्रस्ताव प्रपत्र में प्रश्नों का स्वरूप

प्रस्ताव प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या एवं स्वरूप, संबंधित बीमा के वर्ग के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

i. **अग्नि बीमा** के प्रस्ताव प्रपत्रों का प्रयोग सामान्यतः अपेक्षाकृत सरल/मानक जोखिमों जैसे घर, दुकान आदि के लिए किया जाता है। बृहत् औद्योगिक जोखिमों के लिए, जोखिम की स्वीकृति से पहले, बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए कभी-कभी प्रस्ताव प्रपत्र के अतिरिक्त विशेष प्रश्नावली का भी प्रयोग किया जाता है।

अग्नि बीमा प्रस्ताव प्रपत्र में, अन्य विषयों के साथ-साथ, संपत्ति के विवरण की भी पूछताछ की जाती है जिसमें निम्नलिखित सूचनाओं को शामिल किया जाता है:

- ✓ बाह्य दीवारों एवं छत का निर्माण, मंज़िलों की संख्या
- ✓ इमारत के प्रत्येक अंश का प्रयोग
- ✓ खतरनाक वस्तुओं की उपस्थिति
- ✓ निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें कच्ची माल एवं तैयार सामग्रियां, दोनों को शामिल किया जाता है।
- ✓ बीमा हेतु प्रस्तावित धनराशि
- ✓ बीमा की अवधि, आदि.

ii. **मोटर बीमा के लिए**, वाहन, उसका प्रयोग, उसकी बनावट, वहन क्षमता, चालक द्वारा उसकी व्यवस्था एवं बीमा संबंधी इतिहास पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

iii. **वैयक्तिक विषयों** जैसे स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना एवं यात्रा बीमा में, प्रस्तावकर्ता का स्वास्थ्य, जीवन शैली एवं आदतें, स्वास्थ्य की पूर्व-विद्यमान स्थिति, चिकित्सकीय इतिहास, वंशानुगत लक्षण, बीमा का पिछला अनुभव आदि के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु तदनुसार प्रस्ताव प्रपत्र तैयार की जाती है।

iv. **अन्य विविध बीमाओं में**, प्रस्ताव प्रपत्र अनिवार्य होते हैं तथा उसमें एक घोषणा शामिल की जाती है जो कि परम सद्भावना की सामान्य कानूनी कर्तव्य को विस्तारित करती है।

2. प्रस्ताव के तत्व

i. प्रस्तावकर्ता का पूरा नाम

प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वयं की पहचान स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए। बीमाकर्ता के लिए यह जानना अनिवार्य है कि किसके साथ अनुबंध किया गया है, ताकि पॉलिसी के तहत लाभ, केवल बीमाकृत द्वारा ही प्राप्त किया जा सके।

ii. प्रस्तावकर्ता का पता एवं संपर्क विवरण

उपरोक्त उद्धृत कारण, प्रस्तावकर्ता का पता एवं साथ ही संपर्क विवरण संग्रहित करने के लिए लागू होते हैं।

iii. प्रस्तावकर्ता का पेशा, व्यवसाय अथवा कारोबार

कुछ मामलों में जैसे स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक दुर्घटना, प्रस्तावकर्ता का पेशा, व्यवसाय अथवा कारोबार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जोखिम पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

iv. बीमा की विषयवस्तु का विवरण एवं पहचान

प्रस्तावकर्ता द्वारा बीमा हेतु प्रस्तावित विषयवस्तु का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

उदाहरण

प्रस्तावकर्ता को निम्नलिखित सूचना अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती है:

- i. एक निजी मोटर वाहन [उसके पहचान सहित जैसे इंजिन संख्या, चैसिस संख्या, पंजीकरण संख्या] अथवा
- ii. एक आवासीय घर [उसका पूरा पता एवं पहचान संख्या सहित] अथवा
- iii. एक विदेश यात्रा [किसके द्वारा, किस देश की, किसी प्रयोजन हेतु] अथवा
- iv. एक व्यक्ति का स्वास्थ्य [व्यक्ति का नाम, पता एवं पहचान सहित] आदि, मामले पर निर्भर करते हुए
- v. बीमित राशि, पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की देयता की सीमा की ओर इंगित करती है तथा प्रस्ताव के सभी प्रपत्रों में इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
- vi. **पिछला और वर्तमान बीमा:** जैसा की सामान्य अध्यायों में देखा गया है, प्रस्तावकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को, अनिवार्य रूप से पिछली बीमा के विवरण की सूचना देनी पड़ती है।

संपत्ति बीमा में, ऐसा हो भी सकता है कि बीमाकृत द्वारा विभिन्न बीमाकृताओं से पॉलिसी की खरीदी की जाती है तथा हानि की स्थिति में एक से अधिक बीमाकर्ता से दावा किया जा

सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए यह सूचना प्राप्त की जाती है कि अंशदान का सिद्धांत लागू किया जाता है ताकि बीमाकृत को क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके तथा वह एक ही जोखिम हेतु बहुविध बीमा पॉलिसियों से फायदा/लाभ प्राप्त न कर सके।

इसके अतिरिक्त, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा में, बीमाकर्ता, बीमाकृत राशि के आधार पर, एक ही बीमाकृत द्वारा ली गई वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसियों के तहत सुरक्षा(बीमाकृत राशि) की राशि को सीमित भी कर सकता है।

vii. हानि का अनुभव

प्रस्तावकर्ता से, उसके द्वारा वहन की गई हानियों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की मांग की जाती है, चाहे उनका बीमा करवाया गया हो अथवा नहीं। इससे बीमाकर्ता को बीमा की विषयवस्तु तथा पूर्व में बीमाकृत द्वारा जोखिम के प्रबंधन हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होती है। बीमालेखक, उक्त जवाबों के जरिए बेहतर रूप से जोखिम का अंकन कर सकते हैं तथा जोखिम संबंधी निरीक्षण अथवा अत्यधिक विवरण प्राप्त करने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

viii. बीमाधारक द्वारा घोषणा

चूंकि प्रस्ताव प्रपत्र का प्रयोजन, बीमाकर्ताओं को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना होता है, अतः उक्त प्रपत्र में, **बीमाधारक द्वारा घोषणा शामिल की जाती है कि प्रस्तुत उत्तर सही और सटीक हैं तथा वह सहमत है कि उक्त प्रपत्र ही बीमा अनुबंध का आधार होगा।** गलत उत्तर दिए जाने पर बीमाकर्ताओं को अनुबंध को टालने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रस्ताव के सभी प्रपत्रों में उपस्थित अन्य अनुभाग सामान्यतः **हस्ताक्षर, दिनांक तथा कुछ मामलों में एजेंट की सिफारिश से संबंधित होते हैं।**

B. प्रस्ताव की स्वीकृति (बीमालेखन)

जैसे की पहले ही देखा गया है, विधिवत भरे गए प्रस्ताव प्रपत्र से निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सकती है :

- ✓ बीमाधारक का विवरण
- ✓ विषयवस्तु का विवरण
- ✓ आवश्यक आवरण का प्रकार
- ✓ भौतिक विशेषताओं का विवरण, सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों ही – जिसमें निर्माण का प्रकार एवं गुणवत्ता, आयु, अग्निशमन यंत्र की उपस्थिति, सुरक्षा का प्रकार आदि को शामिल किया जाता है.,
- ✓ बीमा एवं हानि का पूर्व इतिहास

संपत्ति, वाहन अथवा माल बीमा के मामले में, बीमाकर्ता द्वारा, जोखिम के स्वरूप एवं मूल्य के आधार पर, स्वीकृति से पहले जोखिम की पूर्व-निरीक्षण अवलोकन की भी व्यवस्था की जा सकती

है। बीमाकर्ता, प्रस्ताव, जोखिम निरीक्षण रिपोर्ट, अतिरिक्त प्रश्नावली के उत्तर एवं अन्य दस्तावेजों (जैसा कि बीमाकर्ता द्वारा मांग की गई हो) में उपलब्ध सूचना के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। उसके बाद, बीमाकर्ता द्वारा जोखिम घटक पर लागू किए जाने वाले दर के संबंध में निर्णय लिया जाता है तथा विभिन्न घटकों के आधार पर प्रीमियम की गणना की जाती है, जिसकी सूचना बीमाधारक को दी जाती है। बीमाकर्ता द्वारा गति एवं दक्षता से प्रस्तावों का संसाधन किया जाता है तथा सभी निर्णयों की सूचना लिखित रूप से, उपयुक्त अवधि के तहत भेजी जाती है।

परिभाषा

बीमालेखन: पॉलिसीधारकों के हित की सुरक्षा विनियम, 2017 के अनुसार, कंपनी को 15 दिनों की अवधि के तहत प्रस्ताव का संसाधन करना होता है। एजेंट से, उक्त समयावधि पर ध्यान रखने, आंतरिक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा ग्राहक सेवा के तहत संभावित व्यक्ति/बीमाकृत को आवश्यक सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्ताव के जांच की संपूर्ण प्रक्रिया एवं स्वीकृति के निर्णयन को ही बीमालेखन कहा जाता है।

स्वमूल्यांकन 1

पॉलिसीधारकों के हित की सुरक्षा विनियमन, 2017 के अनुसार, बीमा कंपनी को दिनों के अंदर बीमा प्रस्ताव का संसाधन किया जाना चाहिए।

- I. 7 दिन
- II. 15 दिन
- III. 30 दिन
- IV. 45 दिन

C. प्रीमियम का भुगतान

प्रीमियम, बीमा अनुबंध के तहत, बीमा की विषयवस्तु की बीमा हेतु बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को प्रदत्त की जाने वाली धनराशि होती है। अध्याय 4 में की गई चर्चा के अनुसार, एजेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बीमा अधिनियम की धारा 64 वीबी के अनुसार, **प्रीमियम का भुगतान, बीमा अनुबंध की शुरुआती तिथि से पहले, अग्रिम रूप से किया जाता है।**

महत्वपूर्ण

- a) बीमा अधिनियम-1938 की धारा 64वीबी में उल्लिखित है कि किसी भी बीमाकर्ता द्वारा जोखिम का अनुमान तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक प्रीमियम की राशि अग्रिम रूप से प्राप्त न हुई हो अथवा भुगतान की गारंटी नहीं गई हो अथवा निर्धारित प्रणाली में अग्रिम की राशि जमा न की गई हो। बीमा नियम 58 एवं 59 में, कुछ परिस्थितियों में प्रीमियम के अग्रिम भुगतान की शर्त से संबंधित कुछ छूट प्रदान की गई हैं।

- b) यदि बीमा एजेंट द्वारा बीमाकर्ता की ओर से बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम संग्रहित किया जाता है, तो उसे इस प्रकार संग्रहित की गई प्रीमियम की संपूर्ण राशि को, अपनी कमीशन की कटौती किए बिना, संग्रहण के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी अथवा डाक द्वारा बीमाकर्ता को भेजनी होगी, जिसमें बैंक एवं डाक की छुट्टी को शामिल नहीं किया गया है।
- c) यह भी उल्लिखित है कि, नकद अथवा चेक के ज़रिए प्रदत्त प्रीमियम की तिथि से ही जोखिम को स्वीकृत किया जाएगा।
- d) यदि प्रीमियम का भुगतान, डाक अथवा मनिऑर्डर अथवा पोस्ट से भेजे गए चेक के ज़रिए किया जाता है, तो मनि ऑर्डर जिस दिन अंकित की गई हो अथवा चेक जिस दिन भेजा गया हो, जैसा भी मामला हो, की तिथि पर ही जोखिम स्वीकृत किया जाता है।
- e) पॉलिसी के रद्दीकरण अथवा उसकी शर्तों एवं निबंधनों में संशोधन अथवा अन्य कारणों से बीमाकर्ता को प्रीमियम की धनराशि वापस किए जाने की स्थिति में, बीमाकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को सीधे ही, रेखांकित अथवा आदेश चेक अथवा डाक/मनिऑर्डर अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाएगा तथा बीमाकर्ता द्वारा बीमाकर्ता से उचित रसीद प्राप्त की जाएगी एवं उक्त धनराशि को एजेंट के खाते में कतई जमा नहीं किया जाएगा।

D. सुरक्षा नोट/बीमा प्रमाणपत्र/पॉलिसी दस्तावेज़

बीमालेखन की कार्रवाई के बाद, पॉलिसी जारी करने में थोड़ा समय लग सकता है। **पॉलिसी तैयार करने की लंबित अवधि अथवा बीमा संबंधी बात-चीत के दौरान, अनंतिम आधार पर सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य होता है अथवा जब लागू की जाने वाली वास्तविक दर के निर्णयन हेतु परिसर का निरीक्षण किया जा रहा हो**, पॉलिसी के तहत सुरक्षा की पुष्टि करने हेतु सुरक्षा नोट जारी किया जाता है। इसमें सुरक्षा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कभी-कभी, बीमाकर्ता द्वारा, बीमा आवरण के बजाए, अनंतिम बीमा की पुष्टि करते हुए पत्र जारी किया जाता है।

हालांकि, कवर नोट पर मुहर नहीं लगाई जाती है, कवर नोट की शब्दावली से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संबंधित बीमा के वर्ग हेतु बीमाकर्ता की पॉलिसी के सामान्य शर्तों एवं निबंधनों के अधीन है। यदि जोखिम, किसी भी प्रकार की वारंटियों से शासित होता है, तो कवर नोट में उल्लिखित किया जाता है कि बीमा उक्त वारंटियों के अधीन है। कवर नोट की रचना, यदि लागू हो तो, विशेष खंडों के अधीन भी की जाती है, उदाहरण के लिए बैंक का सहमत खंड, घोषणा खंड आदि।

सुरक्षा नोट में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

- a) बीमाधारक का नाम एवं पता
- b) बीमित राशि
- c) बीमा की अवधि
- d) आवरित जोखिम
- e) दर एवं प्रीमियम, दर की जानकारी न होने पर, अनंतिम प्रीमियम

- f) **आवरित जोखिम का विवरण:** उदाहरण के लिए, अग्नि कवर नोट में इमारत की विशेषताओं की पहचान, उसका निर्माण एवं उसके प्रयोग की सूचना दी गई होगी।
- g) कवर नोट की क्रम संख्या
- h) जारी करने की तिथि
- i) **कवर नोट की वैधता** सामान्यतः 15 दिनों की होती है तथा शायद ही कभी 60 दिनों की होती है।

कवर नोट का अधिकतम प्रयोग कारोबार के मरीन एवं मोटर वाहन वर्गों के लिए किया जाता है।

1. मरीन कवर नोट

इन्हें सामान्यतः तब जारी किया जाता है जब पॉलिसी जारी करने हेतु आवश्यक विवरण जैसे जहाज का नाम, पैकेजों की संख्या, अथवा सटीक मूल्य आदि की जानकारी प्राप्त न हो। निर्यात के मामलों में भी, कवर नोट जारी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए लदान के लिए रखे गए माल की कुछ मात्रा को निर्यातक द्वारा बंदरगाह भेजा जाता है। ऐसा हो सकता है कि, लदान हेतु पर्याप्त स्थान के मिलने में कठिनाई के कारण, जिस जहाज से लदान किया जाना होता है, वह हो नहीं पाता है। अतः किसी विशिष्ट जहाज में भेजे जाने वाले माल का पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, कवर नोट की आवश्यकता पड़ सकती है, तथा इसके बाद सामान्य पॉलिसी जारी करनी पड़ती है जिसमें बीमा कंपनी को दिए गए सभी विवरण पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं। .

मरीन कवर नोट में निम्नलिखित शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है:

- i. मरीन कवर नोट संख्या
- ii. जारी करने की तिथि
- iii. बीमाधारक का नाम
- iv. वैध अवधि

“अनुरोधानुसार, एतद्वारा, रु. की सीमा तक, कंपनी की पॉलिसी के सामान्य शर्तों के अधीन आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है।”

- a) **खंड:** संस्था माल खंड, क, ख अथवा ग जिसमें संस्था खंडों के अनुसार युद्ध एसआरसीसी जोखिम शामिल हैं, परंतु रद्दीकरण की 7 दिनों की सूचना के अधीन।
- b) **शर्तें:** पॉलिसी जारी करने हेतु लदान के दस्तावेज की प्राप्ति पर लदान का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। घोषणा एवं/अथवा जहाज में लदान से पूर्व हानि अथवा क्षति की स्थिति में, एतद्वारा इस विषय पर सहमति जाहिर की जाती है कि माल का मूल लागत एवं वास्तविक रूप से वहन किए गए प्रभार ही मूल्यांकन का आधार होगा, जिसके लिए आशवासित व्यक्ति उत्तरदायी होता है।

अंतर्देशीय परिवहन के मामले में, सामान्यतः पॉलिसी जारी करने हेतु आवश्यक सभी सुसंगत डाटा उपलब्ध होते हैं अतः कभी-कभार ही कवर नोट की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जब कवर नोट जारी किए जाते हैं तथा बाद में उन्हें, माल, परिवहन आदि के पूर्ण विवरण सहित पॉलिसियों से बदल दिया जाता है।

2. मोटर कवर नोट

संबंधित कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इन्हें जारी करना पड़ता है। मोटर कवर नोट की क्रियाशील खंड की शब्दावली निम्नानुसार हो सकती है:

“प्रपत्र में वर्णित बीमाकृत, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, मोटर वाहन(नों) के संबंध में बीमा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका वर्णन उसमें किया गया है, तथा रु. का भुगतान प्रीमियम के रूप में किए जाने के फलस्वरूप, कंपनी के सामान्य प्रपत्र की पॉलिसी के अनुरूप जोखिम को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो कि लागू होगा(नीचे उद्धृत किसी भी प्रकार की विशेष शर्तों के अधीन) बशर्ते कि कंपनी द्वारा लिखित रूप से सूचना प्रस्तुत करते हुए सुरक्षा को रद्द किया जा सकता है, तथा ऐसी स्थिति में, बीमा समाप्त कर दिया जाएगा तथा कंपनी जितनी अवधि तक जोखिम के अधीन रही हो, उस अवधि तक, कंपनी द्वारा ऐसे बीमा हेतु अन्यथा देय प्रीमियम का आनुपातिक अंश प्रभारित किया जाएगा।”

मोटर कवर नोट में सामान्यतः निम्नलिखित विवरणों को शामिल किया जाता है :

- पंजीकरण चिन्ह एवं संख्या अथवा बीमाकृत वाहनों का विवरण/क्यूबिक क्षमता/ वहन योग्य क्षमता/बनावट/निर्माण का वर्ष, इंजिन संख्या, चैसिस संख्या
- बीमाधारक का नाम एवं पता
- अधिनियम के प्रयोजन हेतु बीमा के शुरुआत की प्रभावी तिथि एवं समय। समय....., दिनांक.....
- बीमा के समापन की तिथि
- व्यक्तिगण अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें गाड़ी चलाने की पात्रता प्राप्त हो
- प्रयोग की सीमाएं
- अतिरिक्त जोखिम, यदि कोई हो

मोटर कवर नोट में, यह स्पष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र शामिल किया जाता है कि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय X एवं XI की प्रावधानों के अनुसार इसे जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण

कवर नोट की वैधता को एक बार में, 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है, परंतु कवर नोट की वैधता की संपूर्ण अवधि किसी भी मामले में, 60 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।

टिप्पणी : कवर नोट की शब्दावली, बीमाकर्ता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

अधिकांश कंपनियों द्वारा कवर नोट के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान की औद्योगिक प्रणालियों की सहायता से पॉलिसी दस्तावेजों को तात्कालिक रूप से जारी करने की सुविधा उपलब्ध है।

3. बीमा का प्रमाणपत्र – मोटर बीमा

बीमा प्रमाणपत्र में, ऐसे मामलों हेतु बीमा की विद्यमानता प्रस्तुत करती है जहाँ साक्ष्य की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन बीमा में, मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए अनुसार, पॉलिसी के अतिरिक्त, बीमा प्रमाणपत्र भी जारी की जाती है। **इस प्रमाण पत्र के जरिए पुलिस एवं पंजीकरण प्राधिकारियों को बीमा का सबूत प्रदान किया जाता है।** नीचे, निजी वाहनों हेतु प्रमाणपत्र का एक नमूना प्रस्तुत है, जिसमें मुख्य विशेषताओं का विवरण दर्शाया गया है:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

बीमा प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या

पॉलिसी संख्या

1. पंजीकरण चिन्ह एवं संख्या, पंजीकरण का स्थान, इंजिन संख्या/चैसिस संख्या/बनावट/निर्माण का वर्ष।
2. मुख्य भाग का प्रकार/सी.सी./बैठने की कुल क्षमता/शुद्ध प्रीमियम/पंजीकरण प्राधिकारी का नाम,
3. भौगोलिक क्षेत्र – भारत
4. बीमित घोषित मूल्य(आईडीवी)
5. बीमाधारक का नाम एवं पता, कारोबार अथवा व्यवसाय।
6. अधिनियम के प्रयोजन हेतु बीमा के शुरुआत की प्रभावी तिथि। दिनांक कोबजे से
7. बीमा के समापन की तिथि, को अर्धरात्रि पर
8. गाड़ी चलाने हेतु पात्रता प्राप्त व्यक्तिगण अथवा व्यक्तियों का वर्ग।

निम्नलिखित में से कोई भी:

a) बीमाधारक:

b) कोई अन्य व्यक्ति जो बीमाधारक के आदेश अथवा अनुमति सहित गाड़ी चला रहा हो

बशर्ते कि, गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पास दुर्घटना के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा वह उक्त लाइसेंस धारित रखने अथवा प्राप्त करने में अयोग्य घोषित न किया गया है। बशर्ते कि साथ ही, व्यक्ति जिसके पास वैध लर्नर लाइसेंस हो, वह भी वाहन चला सकता है और ऐसा व्यक्ति केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 3 की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

प्रयोजन की सीमाएं

पॉलिसी, निम्नलिखित प्रयोजन के अलावा अन्य हेतु आवरण प्रदान करती है: :

a) किराया अथवा इनाम;

b) माल की ढुलाई(वैयक्तिक सामग्री के अलावा)

c) संगठित दौड़,

d) दौड़ का गठन,

e) गति का परीक्षण

f) विश्वसनीयता का परीक्षण

g) वाहन व्यापार के संबंध में कोई प्रयोजन

मैं/हम, एतद्वारा प्रमाणित करता/ते हूँ/हैं कि यह प्रमाणपत्र जिस पॉलिसी से संबंधित है और साथ ही बीमा का यह प्रमाणपत्र, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय X एवं XI के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है।

जांच किया गया ..

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

मोटर बीमा प्रमाणपत्र, हमेशा वाहन में रखे रहना चाहिए ताकि सुसंगत प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा सके।

4. पॉलिसी दस्तावेज

पॉलिसी, एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो कि बीमा अनुबंध को एक साक्ष्य प्रदान करता है। भारतीय मुहर अधिनियम, 1899 की प्रावधानों के अनुसार, इस दस्तावेज को मुहरबंद किया जाना चाहिए।

एक सामान्य बीमासुरक्षा पॉलिसी में सामान्यतः निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है:

- बीमाधारक/(को) के नाम एवं पता तथा अन्य कोई भी व्यक्ति जिसका विषयवस्तु में बीमायोग्य हित हो;

- b) संपत्ति अथवा बीमित वस्तु का पूर्ण विवरण;
- c) पॉलिसी के तहत संपत्ति अथवा बीमायोग्य वस्तु का स्थान तथा जहाँ भी उचित हो, क्रमशः उनका बीमित मूल्य;
- d) बीमा की अवधि;
- e) बीमित राशि;
- f) आवरित आपदाएं एवं अपवर्जन;
- g) लागू अधिशेष/कटौती योग्य;
- h) देय प्रीमियम एवं जहाँ समायोजन के अधीन प्रीमियम अनंतिम हो, वहाँ प्रीमियम के समायोजन का आधार;
- i) पॉलिसी की शर्तें, नियम तथा वारंटियां;
- j) आपातकालीन स्थिति में, बीमाधारक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से पॉलिसी के तहत दावा उत्पन्न होने की संभावना;
- k) किसी घटना के कारण उत्पन्न दावे पर बीमा की विषयवस्तु के संबंध में बीमाधारक की बाध्यताएं तथा उक्त परिस्थितियों में बीमाकर्ता के अधिकार;
- l) कोई भी विशेष शर्त;
- m) गलतबयानी, छल, महत्वपूर्ण तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण अथवा बीमाकृत द्वारा सहयोग प्रदान न करने की स्थिति में पॉलिसी के रद्दीकरण का प्रावधान;
- n) बीमाधारक का पता, जिसपर पॉलिसी के संबंध में सभी संप्रेषणों को भेजा जाएगा;
- o) अतिरिक्त आवरणों एवं/अथवा पृष्ठांकन, यदि कोई हो, का विवरण;
- p) शिकायत निवारण तंत्र एवं लोकपाल के पते का विवरण

स्वमूल्यांकन 2

कवर नोट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- I. कवर नोट का प्रयोग अधिकांशतः जीवन बीमा में किया जाता है
- II. कवर नोट का प्रयोग अधिकांशतः सामान्य बीमा के सभी वर्गों में किया जाता है
- III. कवर नोट का प्रयोग अधिकांशतः स्वास्थ्य बीमा में किया जाता है
- IV. कवर नोट का प्रयोग अधिकांशतः सामान्य बीमा के मरीन एवं मोटर वर्ग में किया जाता है

E. वारंटियां

वारंटी, पॉलिसी में स्पष्ट रूप से विवरणित शर्त है, अनुबंध की वैधता हेतु इसका पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए। वारंटी कोई अलग दस्तावेज़ नहीं है। यह, कवर नोट एवं पॉलिसी दस्तावेज़ दोनों का ही भाग होता है। यह, अनुबंध तैयार करने से पहले तैयार किया जाता है। इसका अवलोकन एवं अनुपालन सख्त तथा पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, चाहे वह जोखिम के संबंध में महत्वपूर्ण हो या न हो। यदि वारंटी का उल्लंघन किया जाता है, तो बीमाकर्ता के विकल्प पर पॉलिसी रद्द की जा सकती है, चाहे क्यों न स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उक्त उल्लंघन के कारण कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि, सामान्यतः यदि वारंटी के उल्लंघन का स्वरूप पूर्ण रूप से तकनीकी है तथा किसी भी उपाय से, हानि का कारण नहीं है अथवा हानि में बढ़ोत्तरी नहीं करता है, तो बीमाकर्ता अपनी निर्णयानुसार, कंपनी की पॉलिसी के मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार दावों का संसाधन कर सकते हैं।

1. अग्नि बीमा वारंटियां(कुछ उदाहरण) नीचे प्रस्तुत हैं

यह वारंटी दी जाती है कि, पॉलिसी की वैध अवधि के दौरान बीमाकृत परिसरों में किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्रियों का संचयन नहीं किया जाएगा।

सुसुप्त जोखिम: यह वारंटी दी जाती है कि, लगातार 30 दिन अथवा उससे अधिक अवधि तक बीमाकृत परिसरों में किसी भी प्रकार की विनिर्माण गतिविधि नहीं की जाएगी।

सिगरेट फिल्टर का निर्माण: यह वारंटी दी जाती है कि, परिसरों में, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम फ्लैश पाइंट की द्रावकों(सॉल्वेंट्स) का प्रयोग/संचयन नहीं किया जाता है

2. **मरीन बीमा में, वारंटी की परिभाषा निम्नानुसार प्रस्तुत की जाती है:** एक प्रतिज्ञापत्र वारंटी, अर्थात्, ऐसी वारंटी जिसके ज़रिए आशवासित व्यक्ति यह स्पष्ट करता है कि कोई विशेष कार्य किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, अथवा कोई शर्त पूरी की जाएगी, अथवा एतद्वारा वह, कुछ विशेष तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि करता है अथवा उसे नकारता है।”

मरीन कार्गो बीमा में, वारंटी को इस आशय से शामिल किया जाता है कि, माल(उदाहरण, चाय) की पैकिंग टिन के डिब्बों में की जाएगी। मरीन हल बीमा में वारंटी को इस आशय से शामिल किया जाता है कि, बीमित जहाज़, उक्त विशिष्ट क्षेत्र में यात्रा नहीं करेगी, इससे बीमाकर्ता को, ज्ञात हो सकेगा कि किस सीमा तक उसने जोखिम की सुरक्षा हेतु सहमति प्रदान की है। यदि वारंटी का उल्लंघन किया जाता है तो, शुरुआत में सहमत जोखिम को बदल दिया जाएगा तथा बीमाकर्ता को उल्लंघन की तिथि से अतिरिक्त देयता से मुक्त होने की अनुमति दी जाएगी।

3. **चोरी बीमा में,** यह वारंटी दी जाती है कि चौबीस घंटे चौकीदार द्वारा संपत्ति की पहरेदारी की जाएगी। पॉलिसी से जुड़ी हुई वारंटियों का अनुपालन किए जाने पर, पॉलिसी की दरें, शर्त एवं निबंधन लगातार एक समान ही रहती हैं।

स्वमूल्यांकन 3

वारंटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- I. वारंटी एक ऐसी शर्त होती है, जिसका उल्लेख कभी भी पॉलिसी में नहीं किया जाता है
- II. वारंटी, पॉलिसी दस्तावेज़ का एक अंश होती है
- III. वारंटी की सूचना, बीमाधारक को हमेशा अलग रूप से दी जाती है, वह पॉलिसी दस्तावेज़ का अंश नहीं होती है
- IV. वारंटी का उल्लंघन किए जाने पर भी दावे देय होते हैं।

F. पृष्ठांकन

बीमाकर्ताओं द्वारा प्रायः, मानक स्वरूप में पॉलिसियां जारी की जाती हैं; जिसमें कुछ जोखिमों को शामिल किया जाता है तथा कुछ अन्य को अपवर्जित कर दिया जाता है।

परिभाषा

पॉलिसी जारी करने के दौरान अथवा पॉलिसी की अवधि के दौरान कुछ शर्तों एवं नियमों में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होने पर, पृष्ठांकन नामक दस्तावेज़ के ज़रिए उक्त संशोधन/परिवर्तन की सूचना दी जाती है।

यह, पॉलिसी से जुड़ी होती है तथा उसका एक अंश होती है। पॉलिसी तथा पृष्ठांकन साथ मिलकर, अनुबंध का साक्ष्य गठित करते हैं। परिवर्तन/संशोधन रिकार्ड करने हेतु पॉलिसी की वैधता के दौरान भी पृष्ठांकन को जारी किया जा सकता है।

जब कभी महत्वपूर्ण सूचना में परिवर्तन होता है, बीमाकृत द्वारा बीमा कंपनी को सूचना देनी पड़ती है कि उक्त परिवर्तन का उत्तरदायी कौन होगा तथा किसके द्वारा पृष्ठांकन के ज़रिए बीमा अनुबंध के अंश के रूप में इसे शामिल किया जाएगा।

पॉलिसी के तहत सामान्यतः आवश्यक पृष्ठांकन निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:

- a) बीमित राशि में घटबढ़/परिवर्तन
- b) बिक्री, गिरवी आदि के ज़रिए, बीमायोग्य हित में परिवर्तन
- c) अतिरिक्त जोखिम की सुरक्षा हेतु बीमा में विस्तार/पॉलिसी की अवधि में विस्तार
- d) जोखिम में परिवर्तन, उदाहरण के लिए, निर्माण में परिवर्तन अथवा अग्नि बीमा में इमारत का अधिभोग
- e) अन्य स्थान पर संपत्ति का अंतरण
- f) बीमा का रद्दीकरण
- g) नाम अथवा पता आदि में परिवर्तन।

नमूना

उदाहरण के प्रयोजन हेतु, कुछ पृष्ठांकनों की शब्दावलियों के नमूने नीचे प्रस्तुत हैं:

रद्दीकरण

बीमाकृत के अनुरोध पर, इस पॉलिसी द्वारा की गई बीमा को एतद्वारा दिनांक..... से रद्द घोषित किया जाता है। चूंकि, पिछले महीनों की अवधि से बीमा लागू था, अतः बीमाधारक को कोई भी धनराशि देय नहीं है।

स्टॉक के मूल्य के आवरण में बढ़ोत्तरी:

"बीमाधारक द्वारा सूचना दी गई है कि उक्त पॉलिसी के ज़रिए प्रदत्त आवरण के स्टॉक में बढ़ोत्तरी की गई है, अतः एतद्वारा यह सहमति दी जाती है कि चर्चा के पश्चात् बीमित राशि में निम्नानुसार परिवर्तन किए गए हैं:

दिनांक (विवरण) रु.

दिनांक (विवरण) रु.

इस को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित की जाती है।

इसके अतिरिक्त वार्षिक प्रीमियम रु.

वर्तमान की कुल बीमा, रु. हो गई है।

अन्यथा उक्त पॉलिसी की शर्तों, प्रावधानों तथा नियमों के अधीन।

मरीन पॉलिसी में बाहरी जोखिम को शामिल करने हेतु आवरणों में विस्तार

बीमाधारक के अनुरोध पर, एतद्वारा उपरोक्त पॉलिसी के तहत टूट-फूट की जोखिम को शामिल करने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

अतः इसे ध्यान में रखते हुए, निम्नानुसार रु. की अतिरिक्त प्रीमियम, बीमाकृत से प्रभारित की जाएगी।

स्वमूल्यांकन 1

यदि पॉलिसी जारी करने के दौरान अथवा पॉलिसी की अवधि के दौरान कुछ शर्तों एवं नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो तो के ज़रिए कार्रवाई करते हुए उक्त संशोधन किया जाता है।

- I. वारंटी
- II. पृष्ठांकन
- III. परिवर्तन
- IV. संशोधन संभव नहीं हैं

G. पॉलिसियों की व्याख्या

बीमा के अनुबंधों की अभिव्यक्ति लिखित रूप से की जाती है तथा बीमा पॉलिसी की शब्दावली का मसौदा, बीमाकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है। इन पॉलिसियों की व्याख्या, गठन अथवा स्पष्टीकरण, कुछ भली-भांति परिभाषित नियम, जिन्हें विभिन्न न्यायालयों द्वारा परिभाषित किया गया है, के अनुसार की जानी चाहिए। **गठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम यह है कि, पक्षों का अभिप्राय अवश्य प्रचलित होना चाहिए तथा उक्त अभिप्राय का अवलोकन स्वयं पॉलिसी में किया जाना चाहिए।** यदि पॉलिसी, अस्पष्ट रूप से जारी की जाती है, तो इसकी व्याख्या, न्यायालयों द्वारा इस सामान्य सिद्धांत पर कि बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया था, बीमाकृत के पक्ष में तथा बीमाधारक के विरुद्ध की जाएगी।

पॉलिसी की शब्दावलियों को नीचे दिए गए नियमों के अनुसार समझते हुए इसका स्पष्ट अर्थ प्राप्त किया जा सकता है:

- a) एक अभिव्यक्त शर्त, अस्पष्ट शर्त से अधिक महत्वपूर्ण होता है, सिवाय जहाँ ऐसा किया जाना अनुचित प्रतीत होता हो।
- b) मानक मुद्रित पॉलिसी प्रपत्र तथा टाइप की गई अथवा हस्तलिखित भागों के बीच शब्दावलियों के संबंध में विरुद्धता की स्थिति में, विशिष्ट अनुबंध में, टाइप की गई अथवा हस्तलिखित अंश को ही पक्षों का अभिप्राय अभिव्यक्त करने वाला माना जाएगा, तथा उनका आशय ही, मूल रूप से मुद्रित शब्दों की तुलना में स्वीकृत किया जाएगा।
- c) पृष्ठांकन, अनुबंध के अन्य भागों के विरुद्ध होने की स्थिति में, पृष्ठांकन में दिए गए अर्थ को ही प्रचलित माना जाएगा, चूंकि इस दस्तावेज़ की रचना बाद में की गई है।
- d) तिरछे अक्षरों में लिखित खंड, सामान्य रूप से मुद्रित शब्दावली, जहाँ असंगत हो, की तुलना में प्रचलित माने जाएंगे।
- e) पॉलिसी के हाशिए में मुद्रित अथवा टाइप किए गए खंडों को, पॉलिसी के मुख्य भाग में दी गई शब्दावलियों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- f) पॉलिसी में संलग्न अथवा चिपकाए गए खंड ही, पॉलिसी के मुख्य भाग में प्रस्तुत खंडों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
- g) टाइपलिखित शब्दावली अथवा स्याही से चिन्हित रबड़ स्टाम्प की शब्दावली, मुद्रित शब्दावली को निरस्त कर देती है।

- h) हस्तलेखन, टाइप की गई अथवा मुद्रित शब्दावली से अधिक महत्वपूर्ण होती है।
- i) अंततः, किसी भी प्रकार की संदिग्धता अथवा अस्पष्टता की स्थिति में, व्याकरण एवं विराम चिन्हों के सामान्य नियमों को लागू किया जाता है।

महत्वपूर्ण

1. पॉलिसियों का गठन

बीमा पॉलिसी, वाणिज्यिक अनुबंध का साक्ष्य होती है एवं न्यायालय द्वारा अंगीकृत गठन एवं व्याख्या संबंधी सामान्य नियम, अन्य अनुबंधों की तरह ही बीमा अनुबंधों पर भी लागू होते हैं।

गठन का सैद्धांतिक नियम यह है कि, अनुबंध के पक्षों का अभिप्राय प्रचलित होना चाहिए, यह कि, अभिप्राय, पॉलिसी दस्तावेज़ से ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए तथा प्रस्ताव प्रपत्र, खंड, पृष्ठांकन, वारंटियां आदि उससे जुड़ी होंनी चाहिए तथा अनुबंध का अंश होंनी चाहिए।

2. शब्दावलियों का अर्थ

प्रयुक्त शब्दों का अर्थ सामान्य एवं लोकप्रिय होना चाहिए। शब्दों में प्रयुक्त किया जाने वाला अर्थ, एक आम आदमी की समझ के अनुरूप होना चाहिए। अतः “आग” का अर्थ होगा, ज्वाला अथवा वास्तविक रूप से जलना।

इसके विपरीत, शब्द, जिनका अर्थ आम कारोबार अथवा व्यापार का हो, को उसी रूप में समझा जाएगा, सिवाय यदि वाक्य के संदर्भ में उसका अर्थ भिन्न हो। जहाँ शब्दों को कानून से परिभाषित किया जाता है, उसी परिभाषा के अर्थ का प्रयोग किया जाएगा, जैसे भारतीय दंड संहिता में “चोरी” का किया जाता है।

बीमा पॉलिसियों में प्रयुक्त कई शब्द, पिछली कानूनी निर्णयों के विषय रह चुके हैं, तथा उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय, निम्न न्यायालयों के निर्णय पर बाध्य होंगे। तकनीकी शब्दावलियों को हमेशा तकनीकी अर्थ ही जिया जाना चाहिए, सिवाय यदि उनका अर्थ इसके विपरीत इंगित करता हो।

A. नवीनीकरण सूचना

अधिकांश गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

हालांकि, बीमाकर्ता, बीमाधारक को, पॉलिसी के किसी विशिष्ट तिथि पर समाप्त होने की सूचना देने हेतु कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते हैं, फिर भी, विनम्रता एवं कारोबार की सकारात्मक प्रथा के रूप में, बीमाकर्ता द्वारा समापन की तिथि से पहले, नवीनीकरण सूचना जारी की जाती है, जिसमें पॉलिसी के नवीनीकरण का न्यौता दिया जाता है। सूचना में पॉलिसी से संबंधित सभी सुसंगत सूचनाएं जैसे बीमित राशि, वार्षिक प्रीमियम आदि का विवरण शामिल किया जाता है। इसके साथ ही, एक टिप्पणी भी रखी जाती है जिसमें बीमाधारक को जानकारी दी जाती है कि जोखिम में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति में, उसकी सूचना दी जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए, मोटर नवीनीकरण सूचना में, वर्तमान आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बीमित राशि(अर्थात् वाहन से संबंधित बीमाधारक द्वारा घोषित मूल्य) की ओर बीमाधारक का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बीमाधारक का ध्यान इस सांविधिक प्रावधान पर भी आकर्षित किया जाना चाहिए कि जब तक अग्रिम रूप से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक जोखिम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

स्वमूल्यांकन 5

नवीनीकरण सूचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- I. विनियमों के अनुसार, पॉलिसी के समापन से 30 दिन पहले बीमाकर्ता, बीमाधारक को नवीनीकरण सूचना भेजने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।
- II. विनियमों के अनुसार, पॉलिसी के समापन से 15 दिन पहले बीमाकर्ता, बीमाधारक को नवीनीकरण सूचना भेजने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।
- III. विनियमों के अनुसार, पॉलिसी के समापन से 7 दिन पहले बीमाकर्ता, बीमाधारक को नवीनीकरण सूचना भेजने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।
- IV. विनियमों के अनुसार, पॉलिसी के समापन से पहले बीमाकर्ता, बीमाधारक को नवीनीकरण सूचना भेजने हेतु कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते हैं।

सारांश

- a) प्रलेखन का पहला स्तर अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्रपत्र होता है जिसके ज़रिए बीमाधारक अपनी निजी जानकारी प्रदान करता/ती है।
- b) महत्वपूर्ण सूचना के प्रकटीकरण का कर्तव्य, पॉलिसी के शुरू होने से पहले उत्पन्न होता है, तथा अनुबंध के समापन के बाद भी जारी रहता है।
- c) बीमा कंपनियों द्वारा सामान्यतः, प्रस्ताव प्रपत्र के अंत में घोषणा शामिल की जाती है, जिसपर बीमाकर्ता को हस्ताक्षर करना पड़ता है।
- d) प्रस्ताव प्रपत्र में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है:
 - i. प्रस्तावक का पूरा नाम
 - ii. प्रस्तावक का पता एवं संपर्क विवरण
 - iii. प्रस्तावक का पेशा, व्यवसाय अथवा कारोबार
 - iv. बीमा की विषयवस्तु का विवरण एवं पहचान
 - v. बीमित राशि

vi. पूर्ववर्ती एवं वर्तमान बीमा

vii. हानि का अनुभव

viii. बीमाधारक द्वारा घोषणा

- e) एक एजेंट, जो कि मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, की जिम्मेदारी होती है कि वह सुनिश्चित करे कि बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को जोखिम के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।
- f) प्रस्ताव के जांच की प्रक्रिया तथा स्वीकृति के निर्णयन को ही बीमालेखन कहा जाता है।
- g) प्रीमियम, बीमा के अनुबंध के तहत, बीमा की विषयवस्तु की बीमा कराने हेतु बीमाकृत द्वारा बीमाधारक को प्रदत्त की जाने वाली धनराशि होती है।
- h) प्रीमियम का भुगतान, नकद राशि, किसी मानक बैंक के परक्राम्य लिखत, डाक मनिऑर्डर, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड, इंटरनेट, ई-अंतरण, प्रत्यक्ष क्रेडिट अथवा समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित कोई भी प्रणाली के ज़रिए की जा सकती है।
- i) पॉलिसी तैयार करने में देरी अथवा बीमा के संबंध में बात-चीत अग्रसर होने की स्थिति में कवर नोट जारी की जाती है तथा अनंतिम आधार पर बीमा प्रदान करना अनिवार्य होता है।
- j) कवर नोट का प्रयोग अधिकांशतः मरीन एवं कारोबार के मोटर वर्गों के लिए किया जाता है।
- k) बीमा प्रमाणपत्र, ऐसे मामलों में जहाँ साक्ष्य की आवश्यकता पड़ सकती है, बीमा की विद्यमानता प्रदान करता है।
- l) पॉलिसी एक औपचारिक दस्तावेज़ होता है जो कि बीमा के अनुबंध का सबूत प्रदान करता है।
- m) वारंटी, पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उद्धृत एक शर्त होती है, अनुबंध की वैधता हेतु पूर्ण रूप से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए।
- n) यदि पॉलिसी जारी करने के दौरान अथवा पॉलिसी की अवधि के दौरान कुछ शर्तों और नियमों में संशोधन करना की आवश्यकता हो, तो पृष्ठांकन नामक दस्तावेज़ के ज़रिए संशोधन/परिवर्तन लागू किए जाते हैं।
- o) निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम यह है कि, पक्षों का अभिप्राय प्रचलित किया जाना चाहिए तथा इस अभिप्राय की उपस्थिति का अवलोकन स्वयं पॉलिसी में किया जाना चाहिए।

प्रमुख शब्दावलिियां

- a) पॉलिसी प्रपत्र
- b) प्रीमियम का अग्रिम भुगतान
- c) कवर नोट

- d) बीमा प्रमाणपत्र
e) नवीनीकरण सूचना
f) वारंटी
-

स्वमूल्यांकन के उत्तर

- उत्तर 1 - ॥ सही विकल्प है।
उत्तर 2 - IV सही विकल्प है।
उत्तर 3 - ॥ सही विकल्प है।
उत्तर 4 - ॥ सही विकल्प है।
उत्तर 5 - IV सही विकल्प है।
-

अध्याय G-02

जोखिम अंकन एवं दर निर्धारण

अध्याय का परिचय

हमने, सामान्य बीमा से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं तथा सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त की है। बीमालेखन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीमाकर्ता जोखिम स्वीकृत करने या न करने का निर्णय लेता है। इसके लिए, बीमालेखकों द्वारा जोखिम का विश्लेषण किया जाता है। वे समझते हैं कि जोखिम कितना जोखिमभरा हो सकता है। साथ ही, प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि संग्रहित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी, जोखिम में सुधार लाने हेतु शर्तों के अधीन ही जोखिमों को स्वीकृत किया जा सकता है। इन सभी दृष्टिकोण की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

अध्ययन के परिणाम

- A. भौतिक खतरे
- B. भौतिक खतरे – जोखिम प्रबंधन का महत्व, खंड एवं दर निर्धारण
- C. अधिशेष/कटौती योग्य पर निर्णय एवं आवरण प्रतिबंध
- D. नैतिक खतरा
- E. बीमित राशि का निश्चयन

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेंगे:

1. भौतिक खतरों को समझना
2. एक कार्रवाई के रूप में बीमालेखन के महत्व को समझना
3. जोखिम कम करने हेतु बीमालेखकों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी प्राप्त करना
4. बीमित राशि के निश्चयन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना

A. भौतिक खतरे

बीमालेखन में, संपत्ति एवं व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न खतरों का विस्तृत ज्ञान, अत्यंत अनिवार्य होता है।

प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई सूचना से भौतिक खतरों का पता लगाया जा सकता है। जोखिम के सर्वेक्षण अथवा निरीक्षण से इस संबंध में बेहतर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बीमा के विभिन्न वर्गों में भौतिक खतरों के कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं।

a) अग्नि

- i. **विनिर्माण** : विनिर्माण का आशय, दीवारों तथा छत में प्रयुक्त निर्माण की सामग्रियों से है। कॉन्क्रीट की इमारत, लकड़ी की इमारत से अधिक बेहतर होती है।
- ii. **ऊँचाई**: मंजिलों की संख्या जितनी अधिक होती है, खतरा उतना अधिक होता है क्योंकि आग बुझाना अत्यंत मुश्किल होता है। साथ ही, अधिक मंजिलों की उपस्थिति से ऊपर की मंजिलों के गिरने का जोखिम अधिक होता है, जिससे बहुत ही भारी क्षति हो सकती है।
- iii. **मंजिलों का स्वरूप**: लकड़ी की मंजिलों से आग का खतरा अधिक होता है। साथ ही, लकड़ी की मंजिलें, आग की स्थिति में अधिक आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे ऊपर की मंजिलों से मशीनरी अथवा वस्तुओं के गिरने के कारण, निचली मंजिलों की संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हो सकती है।
- iv. **अधिभोग**: इमारत का अधिभोग, एवं उपयोग का प्रयोजन। अधिभोग से विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं।
- v. **प्रज्वलन खतरा** : इमारत जिनमें बृहत् मात्रा में रसायनों का उत्पादन अथवा प्रयोग किया जाता है, **प्रज्वलन खतरे** के अधीन होते हैं। लकड़ी का यार्ड, उच्च दहनशील खतरा प्रस्तुत करता है क्योंकि आग के लगने पर लकड़ियां अतिशीघ्र जलने लगती हैं। आग के लगने पर यह सामग्रियां, क्षति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
उदाहरण के लिए, कागज़, कपड़े आदि न केवल आग से क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपितु पानी, उष्णता आदि से भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
- vi. **निर्माण की प्रक्रिया**: यदि रात के अंधेरे में कार्य किया जाता है, तो कृत्रिम रोशनी, मशीनरी के लगातार प्रयोग के कारण घर्षण एवं थके होने के कारण कारीगरों की असावधानियों से खतरा बढ़ जाने की संभावना होती है।
- vii. **जोखिम की परिस्थिति/स्थान**: भीड़भाड़ के क्षेत्र में उपस्थिति, खतरनाक परिसरों के निकट एवं अग्निशामक ब्रिगेड से दूरी, भौतिक खतरों का उदाहरण होते हैं।

b) मरीन

- i. **जहाज़ की आयु एवं स्थिति** : पुराने जहाज़, निम्न जोखिम के होते हैं।

- ii. यात्रा का विवरण : यात्रा का मार्ग, लदान एवं उतराई की परिस्थितियां तथा बंदरगाहों में रखरखाव की सुविधाएं ही घटक होती हैं।
- iii. माल का स्वरूप : उच्च मूल्य की वस्तुओं के चोरी हो जाने तथा परिवहन के दौरान मशीनरी की टूट-फूट की संभावना होती है।
- iv. पैकिंग का तरीका : थैलियों में माल की पैकिंग की तुलना में गठरियों में माल की पैकिंग को बेहतर माना जाता है। साथ ही, एकल थैलियों की अपेक्षा, दोहरी थैलियां अधिक सुरक्षित होती है। पुराने डिब्बों में तरल वस्तुओं के भंडारण को बहुत ही अनुपयुक्त खतरा माना जाता है।

c) मोटर

- i. वाहन की आयु एवं स्थिति: पुराने वाहनों में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है।
- ii. वाहन का प्रकार : : स्पोर्ट्स कार से भौतिक खतरे आदि की संभावना अधिक होती है।

d) चोरी

- i. वस्तुओं का स्वरूप : छोटी मात्रा में उच्च मूल्य की वस्तुएं(उदाहरण गहने) तथा जिनका निपटान आसानी से किया जा सकता है, को अनुपयुक्त जोखिम माना जाता है।
- ii. परिस्थिति: भू तल की जोखड़में, ऊपरी मंजिलों के जोखिम से निम्न होती है: एकान्त क्षेत्रों में स्थित निजी आवास, खतरनाक होती हैं।
- iii. निर्माण के खतरे : बहुत अधिक दरवाजे और खिड़कियां से भी अनुपयुक्त भौतिक खतरे बढ़ जाते हैं।

e) वैयक्तिक दुर्घटना

- i. व्यक्ति की आयु : बहुत ही बूढ़े व्यक्ति, दुर्घटना प्रवृत्त होते हैं, साथ ही, दुर्घटना की स्थिति में, ठीक होने में उन्हें अधिक समय लगता है।
- ii. पेशे का स्वरूप : जाँकी, खनन इंजीनियर, मजदूर, हानिकारक भौतिक खतरे का उदाहरण हैं।
- iii. स्वास्थ्य एवं भौतिक स्थिति : डायबटीज से पीडित व्यक्ति को दुर्घटनात्मक शारीरिक चोट के लगने पर, सर्जिकल चिकित्सा उसके लिए उपयोगी नहीं भी हो सकती है।

B. भौतिक खतरे – जोखिम प्रबंधन का महत्व, उसके खंड तथा दर निर्धारण

भौतिक खतरों से झूझने के लिए जोखिमअंककों द्वारा निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाता है :

- ✓ प्रीमियम का लदान
- ✓ पॉलिसी पर वारंटी लागू करना

- ✓ कुछ खंडों को लागू करना
- ✓ अधिशेष/कटौतीयोग्य लागू करना
- ✓ प्रदत्त आवरण को सीमित करना
- ✓ आवरण को कम कर देना

a) प्रीमियम प्रभार

जोखिम अनावरण की कुछ प्रतिकूल विशेषताएं हो सकती हैं जिसके लिए बीमालेखकों द्वारा, उसकी स्वीकृति से पहले अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करने का निर्णय लिया जा सकता है। प्रीमियम के प्रभार द्वारा, दावों की उच्च संभावनाएं अथवा बृहत् दावों की घटनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

उदाहरण

यात्री पोत अथवा अन्य जहाजों द्वारा भेजे गए माल पर प्रीमियम का सामान्य दर प्रभारित किया जाता है, जो कि निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हैं। हालांकि, यदि अधिक-आयु अथवा कम-भरा की जहाजों से माल भेजा जाता है, तो अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किया जाता है।

वैयक्तिक दुर्घटना बीमासुरक्षा में, यदि बीमाकृत खतरनाक गतिविधियों जैसे पहाड़ पर चढ़ना, पहियों पर दौड़ना, शिकार करना आदि का शौकीन हो तो अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किया जाता है।

कभी-कभी, दावों के प्रतिकूल अनुपात हेतु भी प्रीमियम प्रभारित किया जाता है, उदाहरण के लिए, मोटर बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में।

b) वारंटियां लागू करना

बीमाकर्ताओं द्वारा भौतिक खतरों को कम करने के लिए उपयुक्त वारंटियों को शामिल किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं।

उदाहरण

- i. **मरीन कार्गो** : माल (जैसे चाय) को टिन के डिब्बों में पैक किए जाने पर वारंटी शामिल की जाती है।
- ii. **चोरी**: यह वारंटी दी जाती है कि 24 घंटे, चौकीदार द्वारा संपत्ति की पहरेदारी की जाती है।
- iii. **अग्नि**: अग्नि बीमा में, यह वारंटी दी जाती है कि सामान्य कार्यकारी अवधि के पश्चात् परिसरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. **मोटर**: यह वारंटी दी जाती है कि, गति के परीक्षण अथवा दौड़ के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

उदाहरण

मरीन कार्गो: पुर्जों की छोटी सी क्षति से महंगी मशीनरी के कारण निर्माण संबंधि कुल हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मशीनरी, प्रतिस्थापन खंड के अधीन होते हैं, जो कि प्रतिस्थापन, टूटे हुए पुर्जों के अग्रेषण एवं मरम्मत की लागत तक ही केवल बीमालेखकों की देयता को सीमित करते हैं।

कभी-कभी, कास्ट पाइप, सख्त बोर्ड, केवल किनारों पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कास्ट पाइप, सख्त बोर्ड, आदि पर समुद्री पॉलिसियां, पुनर्बीमा अनुबंध प्रावधान(कटिंग क्लॉज) के अधीन होती हैं जिसके तहत वारंटी दी जाती है कि क्षतिग्रस्त अंश को काट कर शेष का प्रयोग किया जाना चाहिए।

c) अधिशेष/कटौती योग्य पर निर्णय एवं आवरण पर प्रतिबंध

जब हानि की राशि, उल्लिखित कटौती योग्य/अधिशेष से अधिक हो जाती है, ऐसी स्थिति में, शेष का भुगतान, 'अधिशेष' खंड के तहत किया जाता है। सीमा के नीचे की हानि, देय नहीं होती है।

इन खंडों का उद्देश्य, छोटे दावों को दूर करना होता है। चूंकि, बीमाधारक से हानि के अंश का भुगतान कराया जाता है, उससे अधिक सावधानी बरतने तथा हानि की रोकथाम का अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

उदाहरण

- i. **मोटर:** एक पुरानी मोटर वाहन हेतु प्रस्ताव को बृहत् शर्तों पर स्वीकृत नहीं किया जाता है परंतु बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिबंधित आवरण अर्थात्, केवल तृतीय पक्ष की जोखिमों के विरुद्ध ही आवरण की पेशकश की जाएगी।
- ii. **वैयक्तिक दुर्घटना:** एक वैयक्तिक दुर्घटना प्रस्तावकर्ता, जो कि अधिकतम स्वीकृति आयु सीमा को पार कर चुका है को, बृहत् शर्तों अर्थात् विकलांगता संबंधी हितों के बजाए केवल मृत्यु जोखिम की आवरण ही दिया जा सकता है।

d) छूट

यदि जोखिम अनुकूल हो तो निम्न दरें प्रभारित की जाती है अथवा सामान्य प्रीमियम में छूट दी जाती है। अग्नि बीमा में जोखिम में सुधार के योगदान में निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया जाता है।

- i. परिसरों के अंदर, स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना
- ii. कॉम्पाउंड में हाइड्रेंट सिस्टम की स्थापना
- iii. हस्तचालित उपकरण जिसमें बालटी, वहनीय अग्निशामक एवं हस्तचालित अग्नि पंप शामिल हैं, की स्थापना

उदाहरण

मोटर बीमा के तहत, प्रीमियम में छूट दी जाती है यदि मोटरसाइकिल का प्रयोग हमेशा, साथ में जुड़े वाहन के साथ किया जाता है, क्योंकि यह विशेषता, वाहन की बेहतर स्थिरता के कारण संशोधित जोखिम में सहायक होती है।

मरीन बीमा में, बीमाकर्ता, “पूर्ण भार” के कंटेनर वाहन हेतु प्रीमियम पर छूट देने पर विचार कर सकता है, क्योंकि इससे चोरी और कमी की घटनाएं कम हो जाती हैं।

सामुहिक वैयक्तिक दुर्घटना आवरण के तहत, बृहत् समूह की सुरक्षा हेतु छूट दी जाती है, जिससे बीमाकर्ता का प्रशासनिक कार्य एवं बीमाकर्ता के व्यय घट जाते हैं।

e) अदावा बोनस (एनसीबी)

प्रत्येक दावा रहित नवीनीकरण वर्ष हेतु, एक निश्चित प्रतिशत, बोनस के रूप में दिया जाता है, प्राप्त की जाने वाली बोनस की अधिकतम सीमा पहले से ही निश्चित होती है। केवल नवीनीकरण पर, कुल प्रीमियम पर कटौती के रूप में इसकी अनुमति दी जाती है जो कि दावा रहित निःशुल्क वर्षों के लिए, संपूर्ण समूह हेतु वहन किए गए दावे के अनुपात अथवा मोटर वाहन निजी क्षति पॉलिसी धारकों पर निर्भर करती है।

बीमालेखन में सुधार लाने हेतु दावा रहित बोनस एक शक्तिशाली रणनीति है तथा यह दर निर्धारण प्रणाली का एक मुख्य अंश होता है। यह बोनस, बीमाकृत में नैतिक खतरे के घटक की पहचान करता है। यह, बीमाधारक द्वारा दावा दायर न करने पर पुरस्कार प्रदान करता है, चाहे वह, मोटर बीमा में ड्राइविंग की बेहतर क्षमता का अनुसरण करते हुए हो अथवा स्वास्थ्य पॉलिसियों में स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के ज़रिए हो।

f) बीमा आवेदन की अस्वीकृति की कार्रवाई (डेक्लिनेचर)

यदि अंतर्निहित भौतिक खतरा अत्यंत खराब हो, जोखिम गैर बीमायोग्य हो जाता है तथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। पूर्व की हानि, खतरों का ज्ञान एवं बीमालेखन की संपूर्ण पॉलिसी के आधार पर, बीमाकर्ताओं ने, बीमा के प्रत्येक वर्ग हेतु अस्वीकृत की जाने वाली जोखिमों की एक सूची बनाई है।

C. नैतिक खतरा

नैतिक खतरा, निम्नानुसार उत्पन्न हो सकता है:

a) बेईमानी

बीमाधारक द्वारा दावा प्राप्त करने हेतु जान बूझकर हानि की स्थिति निर्मित अथवा उत्पन्न करना, खराब नैतिक खतरे का चरम उदाहरण है। एक इमानदार बीमाधारक भी, यदि वित्तीय रूप से परेशान हो तो हानि की स्थिति उत्पन्न करने हेतु बहक सकता है।

b) लापरवाही

हानि के प्रति उपेक्षा, लापरवाही का उदाहरण होता है। बीमा के विद्यमान होने के कारण, बीमाधारक, बीमित संपत्ति के प्रति लापरवाहीपूर्ण नज़रिया अपना सकता है।

यदि बीमाधारक, एक सक्षम एवं बुद्धिमान व्यक्ति जिसने बीमा नहीं कराया है, के समान संपत्ति का रखरखाव नहीं करता है, तो नैतिक खतरा असंतोषजनक होता है।

c) औद्योगिक संबंध

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध में खराब नैतिक खतरे का तत्व शामिल हो सकता है।

d) गलत दावे

दावों के घटित होने पर इस प्रकार के नैतिक खतरे उत्पन्न होते हैं। बीमाधारक द्वारा जानबूझकर हानि की स्थिति उत्पन्न नहीं की जाती है, परंतु हानि के घटने पर वह, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज़ करते हुए, क्षतिपूर्ति की अनुपयुक्त उच्च राशि की मांग करने की कोशिश कर सकता है।

सूचना

उप-सीमाएं : बीमाकर्ता द्वारा, अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत की जाने वाली बिल के रोकथाम हेतु अलग-अलग रूप से, अर्थात् कमरे के व्यय, ऑपरेशन की प्रक्रियाओं अथवा डॉक्टर शुल्क के मामले में कुल भुगतान पर सीमा लागू की जा सकती है।

बीमाकृत के नैतिक खतरे पर संदेह उत्पन्न हो जाने पर, एजेंट को, बीमा कंपनी के पास इस प्रस्ताव को नहीं लाना चाहिए। उसे ऐसे मामलों की जानकारी, बीमा कंपनी के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

1. लघु अवधि के मापन

सामान्यतः, प्रीमियम के दरों का उद्धरण 12 महीनों की अवधि हेतु किया जाता है। यदि पॉलिसी, लघु अवधि के लिए ली जाती है, तो विशेष मापन अर्थात् लघु अवधि मापन के अनुसार प्रीमियम प्रभारित किया जाता है। लघु अवधि बीमा हेतु आनुपातिक आधार पर प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जाता है।

लघु अवधि के मापन की आवश्यकता

- इन दरों को लागू किया जाता है क्योंकि, पॉलिसी जारी करने हेतु किए जाने वाले व्यय, चाहे 12 महीने की अवधि हो अथवा लघु अवधि हो, लगभग एक समान होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, वार्षिक पॉलिसी का नवीकरण वर्ष में केवल एक बार किया जाता है जबकि लघु अवधि बीमा में बारंबार नवीनीकरण करना पड़ता है। आनुपातिक प्रीमियम की अनुमति दिए जाने पर, लघु अवधि पॉलिसियों की खरीदी हेतु प्रवृत्त होंगे जिससे प्रभावी रूप से किस्तों में प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

- c) इसके साथ ही, कुछ बीमा का स्वरूप मौसमी होता है तथा उक्त मौसम के दौरान जोखिम की संभावना अधिक होती है। कभी-कभी ऐसी अवधि के दौरान बीमा की खरीदी की जाती है, जब जोखिम उच्चतम होता है, जिसके परिणामस्वरूप बीमाकर्ताओं के विरुद्ध चयन किया जाता है। बीमाकर्ताओं के विरुद्ध ऐसे चयन की रोकथाम के लिए लघु अवधि मापन की शुरुआत की गई है। बीमाकृत द्वारा वार्षिक बीमा रद्द की जाने की स्थिति में भी इन्हें लागू किया जाता है। ऐसे मामलों में, बीमाकर्ता की जोखिम अवधि हेतु लघु अवधि मापन को ध्यान में रखते हुए धन की वापसी की जाती है।

न्यूनतम प्रीमियम

प्रत्येक पॉलिसी के तहत न्यूनतम प्रीमियम प्रभारित करने का प्रचलन है, ताकि पॉलिसी जारी करने हेतु वहन किए गए प्रशासनिक व्यय की आपूर्ति की जा सके।

स्वमूल्यांकन 1

नैतिक खतरे की पहचान हो जाने पर, एजेंट से क्या अपेक्षा की जाती है ?

- I. पूर्व के समान ही बीमा को जारी रखना
- II. बीमाकर्ता को उक्त की सूचना देना
- III. दावे में हिस्से के मांग करना
- IV. नज़रअंदाज़ कर देना

D. बीमित राशि का निर्धारण

पॉलिसी की शर्त के अनुसार, यह, बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि होती है। क्षतिपूर्ति की सीमा का चयन करते समय बीमाकृत को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि दावे की स्थिति में वही क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि होगी।

बीमित राशि का निर्धारण, हमेशा बीमाधारक द्वारा किया जाता है। यह ऐसी राशि होती है, जिसपर पॉलिसी के तहत प्रीमियम के निर्धारण हेतु दर, लागू की जाती है।

इसे, संपत्ति के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बीमा की मात्रा अधिक होने पर, बीमाधारक को किसी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, तथा बीमा की मात्रा कम होने पर, दावे की राशि, आनुपातिक रूप से कम कर दी जाती है।

बीमित राशि का निर्णय

कारोबार के प्रत्येक वर्ग के तहत, बीमाधारक को निम्नलिखित मुद्दों की जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि बीमित राशि के निर्णय के दौरान, उक्त विषयों पर ध्यान देना आवश्यक होता है:

- a) **वैयक्तिक दुर्घटना बीमासुरक्षा:** कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली बीमित राशि, एक निश्चित राशि हो सकती है अथवा यह बीमाधारक के आय पर भी आधारित हो सकती है। बीमा की कुछ कंपनियों द्वारा, किसी विशेष विकलांगता हेतु बीमाधारक की मासिक आय से 60 गुना

अथवा 100 गुना के समान लाभ भी प्रदान किया जा सकता है। अधिकतम राशि पर ऊपरी सीमा अथवा 'कैप' भी लगाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति, प्रत्येक कंपनी के मामले में भिन्न-भिन्न हो सकती है। सामुहिक वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसियों में, बीमित राशि का निर्णय, प्रत्येक बीमाधारक व्यक्ति के लिए अलग रूप से किया जा सकता है अथवा बीमाधारक व्यक्ति को देय धनराशि से भी जुड़ा हो सकता है।

- b) **मोटर बीमा:** मोटर बीमा के मामले में, बीमित राशि, बीमाधारक व्यक्ति का घोषित मूल्य(आईडीवी) होता है। यह, वाहन का मूल्य होता है, जिसकी गणना वर्तमान निर्माता की वाहन संबंधी सूचीबद्ध बिक्री मूल्य का पूर्ववर्ती भारतीय मोटर टैरिफ में निर्धारित मूल्यह्रास के प्रतिशत से समायोजित करते हुए किया जाता है। निर्माता की सूचीबद्ध बिक्री मूल्य में स्थानीय कर्तव्यों/कर को शामिल किया जाता है जिसमें पंजीकरण तथा बीमा शामिल नहीं होता है।

आईडीवी = (निर्माता की सूचीबद्ध बिक्री मूल्य) + (सहायक सामग्रियां जिन्हें सूचीबद्ध बिक्री मूल्य-मूल्यह्रास में शामिल नहीं किया जाता है) तथा पंजीकरण एवं बीमा की लागतों को शामिल नहीं किया जाता है।

वाहन, जो चलाने योग्य नहीं हैं अथवा 5 वर्ष पुराने हैं, की गणना, बीमाकर्ता एवं बीमाधारक के बीच सहमति से की जाती है। मूल्यह्रास के बजाय, पुराने वाहनों की आईवी की गणना, सर्वेक्षकों, वाहन के विक्रेताओं आदि द्वारा किए गए आकलन के ज़रिए की जाती है।

आईडीवी, वाहन के चोरी हो जाने अथवा पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि होती है। यह सिफारिश की जाती है कि, आईडीवी, वाहन के बाज़ार के मूल्य के निकटतम होनी चाहिए। बीमाकर्ता, बीमाधारक की आईडीवी को घटाने के लिए 5% से 10% की सीमा प्रदान करते हैं। कम आईडीवी का अर्थ होता है, निम्नतम प्रीमियम।

- c) **अग्नि बीमा:** अग्नि बीमा में, इमारत/यंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरणों हेतु बीमाधारक राशि का निर्धारण क्षतिपूर्ति अथवा पुनःस्थापन के मूल्य के आधार पर किया जाता है। सामग्रियों को, उसके बाज़ार मूल्य के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है जो कि मूल्यह्रास को घटाते हुए वस्तु की लागत होती है। (पुनःस्थापन मूल्य का विस्तृत विवरण अध्याय 28- वाणिज्यिक बीमा में प्रस्तुत किया गया है।)

- d) **भंडारण(स्टॉक) बीमा:** स्टॉक के मामले में, बीमित राशि, इनके बाज़ार का मूल्य होती है। हानि के पश्चात्, क्षतिग्रस्त कच्ची सामग्री के प्रतिस्थापन हेतु बाज़ार में जिस मूल्य पर उक्त स्टॉक की खरीदी की जा सकती हो, उसके आधार पर ही बीमाधारक को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है।

- e) **मरीन कार्गो बीमा:** यह सहमत मूल्य की पॉलिसी होती है तथा अनुबंध के दौरान बीमाकर्ता एवं बीमाधारक के बीच हुआ सहमत के अनुसार बीमित राशि निर्धारित की जाती है। सामान्यतः, इसमें, वस्तु की लागत एवं बीमा एवं माल का भाड़ा अर्थात् सीआईएफ मूल्य को शामिल किया जाता है।

- f) **मरीन हल बीमा:** मरीन हल बीमा में, अनुबंध के शुरुआत के दौरान बीमाधारक एवं बीमाकर्ता के बीच सहमत मूल्य ही बीमित राशि होती है। प्रमाणित मूल्यांकक द्वारा हल/जहाज़ के निरीक्षण के बाद, उक्त मूल्य निर्धारित की जाती है।
- g) **देयता बीमा :** देयता पॉलिसियों के मामले में, बीमित राशि, जोखिम की मात्रा, भौगोलिक सीमा के आधार पर औद्योगिक यूनिटों की जोखिम देयता के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतिरिक्त कानूनी लागत एवं व्यय भी, दावे की प्रतिपूर्ति का अंश हो सकते हैं। उपरोक्त मानदंडों के अधार पर बीमाधारक द्वारा बीमित राशि निर्णीत की जाती है।

स्वमूल्यांकन 1

एक चिकित्सक के लिए ऐसी एक बीमा योजना का सुझाव पेश करें जिससे वे स्वयं को उनके विरुद्ध दायर लापरवाही के दावों से अपनी रक्षा कर सकें।

- I. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा
- II. व्यावसायिक देयता बीमा
- III. मरीन हल बीमा
- IV. स्वास्थ्य बीमा

सारांश

- a) जोखिम के वर्गीकरण की प्रक्रिया तथा उन्हें किसी वर्ग में शामिल किया जाने का निर्णयन, दर निर्धारण हेतु आवश्यक होता है।
- b) बीमालेखन, बीमा द्वारा पेश की गई जोखिम स्वीकृत है या नहीं के निर्णय की प्रक्रिया होती है, और यदि स्वीकृत हो, तो किस दर, शर्तों एवं नियमों पर बीमा स्वीकृत किया जाएगा।
- c) दर, बीमा की इकाई का मूल्य होता है।
- d) दर निर्धारण का मूलभूत उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना होता है कि बीमा का मूल्य पर्याप्त एवं उपयुक्त होगा।
- e) व्यय, आरक्षित निधि एवं लाभ की पूर्ति हेतु 'शुद्ध प्रीमियम' को उपयुक्त रूप से भारित किया जाता है अथवा प्रतिशत जोड़ते हुए बढ़ाया जाता है।
- f) बीमा की भाषा में खतरा नामक शब्द, उन स्थितियों विशेषताओं एवं अभिलक्षणों का संदर्भ प्रदान करता है जो कि किसी नामित जोखिम से उत्पन्न होने वाली हानि को उत्पन्न करते हैं अथवा बढ़ाते हैं।
- g) कटौती योग्य/अधिशेष खंडों को लागू करने का उद्देश्य, छोटे दावों को रद्द करना होता है।
- h) अदावी बोनस, बीमालेखन के अनुभव में सुधार लाने की एक शक्तिशाली रणनीति तथा दर निर्धारण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण अंश होती है।

i) बीमित राशि, बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी के शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि होती है।

प्रमुख शब्दावलियां

- a) बीमालेखन
- b) दर निर्धारण
- c) भौतिक खतरे
- d) नैतिक खतरे
- e) क्षतिपूर्ति
- f) प्रीमियम प्रभार
- g) वारंटियां
- h) कटौती योग्य
- i) अधिशेष

स्वमूल्यांकन के उत्तर

उत्तर 1- सही विकल्प ॥ है।

उत्तर 2- सही विकल्प ॥ है।

अध्याय G-03

वैयक्तिक एवं खुदरा बीमा

अध्याय का परिचय

पिछले अध्यायों में, हमने सामान्य बीमा से संबंधित विभिन्न अवधारणों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया है। सामान्य बीमा उत्पादों का वर्गीकरण, भिन्न-भिन्न बाजारों में अलग-अलग रूप से किया जाता है। कुछ बीमाकर्ताओं द्वारा इनका वर्गीकरण, संपत्ति, दुर्घटना एवं देयता के रूप में किया जाता है। कहीं-कहीं, इन्हें अग्नि, मरीन, मोटर एवं विविध के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इस अध्याय में, आम उत्पाद जैसे वैयक्तिक दुर्घटना, यात्रा, आवास एवं दुकानदारों तथा वाहन बीमा जिनकी खरीदी ग्राहकों द्वारा की जाती है, की चर्चा की गई है।

अध्ययन के परिणाम

- A. खुदरा बीमा उत्पाद
- B. 'सभी जोखिम' एवं 'नामित खतरे' बीमा पॉलिसी
- C. पैकेज पॉलिसियां
- D. दुकानदार की बीमा
- E. गृहस्वामी बीमा
- F. बीमित राशि एवं प्रीमियम
- G. मोटर वाहन बीमा

इस अध्याय के अध्ययन के बाद, आप निम्नलिखित कार्रवाई में सक्षम बन जाएंगे:

1. गृहस्वामी बीमा की व्याख्या
2. दुकान हेतु बीमा तैयार करना
3. मोटर वाहन बीमा की चर्चा

A. खुदरा बीमा उत्पाद

बीमा के ऐसे कुछ उत्पाद उपलब्ध हैं जिनकी खरीदी वैयक्तिकों के लिए कुछ हितों की सुरक्षा हेतु की जाती है। यद्यपि, ऐसी बीमा के लिए कुछ छोटे वाणिज्यिक अथवा कारोबारी हित विद्यमान हो सकते हैं, सामान्यतः, वैयक्तिक व्यक्तियों को ही इनकी बिक्री की जाती है। कुछ बाजारों में, इन्हें 'छोटी टिकट' पॉलिसियां अथवा 'खुदरा पॉलिसियां' अथवा 'खुदरा उत्पाद' कहा जाता है। आवास, मोटर वाहन, दो-पहिए, छोटे कारोबार जैसे दुकान आदि का बीमा, को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। उक्त उत्पादों की बिक्री, सामान्यतः एक ही एजेंटों/वितरण माध्यमों के जरिए की जाती है जो कि बीमा की वैयक्तिक वर्गों से ही कारोबार करते हैं क्योंकि खरीददार भी अनिवार्यतः समान प्रकार के उपभोगता वर्ग से ही जुड़े होते हैं।

B. 'सभी जोखिम' एवं 'नामित खतरे' बीमा पॉलिसी

गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को विस्तृत रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

- ✓ नामित खतरे की पॉलिसियां
- ✓ सभी जोखिम पॉलिसियां

- i. "सभी जोखिम" का विशिष्ट अर्थ है- कोई भी जोखिम, जिसे बीमा अनुबंध द्वारा, शर्तों एवं नियमों के अधीन।
- ii. सभी-जोखिम बीमा, सर्वाधिक बृहत् प्रकार की उपलब्ध सुरक्षा है। अतः इसकी लागत, अन्य प्रकार की पॉलिसियों की तुलना में आनुपाति रूप से उच्चतम होती है, तथा इस प्रकार की बीमा की लागत का मापन, दावे की संभाव्यता के आधार पर किया जाता है।
- iii. नामित खतरा पॉलिसियों में शामिल खतरों को विशेष रूप से सूचीबद्ध करते हुए परिभाषित किया जाता है।

C. पैकेज पॉलिसियां

- i. पैकेज आवरण में, एकल दस्तावेज़ के तहत, कई आवरणों के संयोजन की पेशकश की जाती है।
- ii. उदाहरण के लिए कुछ आवरण जैसे गृहस्वामी की पॉलिसी, दुकानदार की पॉलिसी, कार्यालय पैकेज पॉलिसी आदि, जिसमें कि, एक पॉलिसी के तहत ही विभिन्न भौतिक आस्तियां जैसे इमारत, विषयवस्तु आदि का आवरण प्रदान किया जाता है।
- iii. ऐसी पॉलिसियों में, वैयक्तिक वर्गों अथवा देयता आवरण को भी शामिल किया जा सकता है।
- iv. पैकेज आवरणों की शर्तें एवं नियम, सभी अनुभागों के लिए एक समान हो सकते हैं और साथ ही पॉलिसी की विशिष्ट अनुभागों के लिए विशिष्ट शर्तों को भी शामिल किया जा सकता है।

D. दुकानदार बीमा

एक दुकानदार, कार्पोरेट घराना, जिनके पास कारोबार के पुनःशुरुआत हेतु धनराशि का बृहत् भंडार होता है, के समान नहीं होता है। एक छोटी अनहोनी से उसका दुकान बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा उसके परिवार के बर्बाद होने की भी संभावना होती है। पुनर्भुगतान हेतु बैंक के ऋण भी विद्यमान हो सकते हैं। दुकानदार की कार्रवाइयों से हमेशा, जनता के कोई सदस्य द्वारा वैयक्तिक चोट अथवा उसकी संपत्ति की क्षति की संभावना बनी रहती है तथा क्षति के भुगतान हेतु न्यायालय द्वारा दुकानदार के बी उत्तरदायी माना जाता है। ऐसी परिस्थितों से भी दुकानदार बर्बाद हो सकते हैं। अतः इस प्रकार की जीविका को सुरक्षित करना अत्यंत अनिवार्य होता है।

दुकानदार संबंधी बीमा पॉलिसियां, वाणिज्यिक दुकानों/खुदरा कारोबार की ऐसी कई पहलुओं को आवरित करने हेतु तैयार की जाती है। कई प्रकार की दुकानों जैसे प्राचीन वस्तुओं की दुकान, नाई की दुकान, ब्यूटीपार्लर, किताबों की दुकान, डिपार्टमेंट स्टोर, ड्राईक्लीनर, उपहारों की दुकान, औषधालय, स्टेशनरी की दुकान, खिलौनों की दुकान, परिधान की दुकान की विशेष हितों की सुरक्षा हेतु भी पॉलिसियां तैयार की जाती हैं।

1. दुकानदार बीमा के ज़रिए क्या आवरण प्रदान किए जाते हैं?

खुदरा कारोबार की विशिष्ट क्षेत्रों को आवरित करने हेतु इस पॉलिसी में संशोधन किया जा सकता है। यह सामान्यतः; आग, भूकंप, बाढ़ अथवा दुर्भावनापूर्ण क्षति, अथवा चोरी से दुकान की इमारत तथा सामग्रियों की क्षति की स्थिति में, सुरक्षा प्रदान करती है। दुकान का बीमा में, कारोबार में बाधा उत्पन्न होने पर भी आवरण प्रदान किया जा सकता है। इसके तहत, अनपेक्षित जोखिम के कारण कारोबार के संचालन में बाधा पड़ने पर, आय की हानि अथवा अतिरिक्त व्यय हेतु भी आवरण प्रदान किया जाता है। बीमाधारक द्वारा, इस सुरक्षा का चयन, उसकी गतिविधियों के विभिन्न प्रकारों अनुरूप किया जा सकता है।

बीमाधारक द्वारा चयन की जाने वाले अतिरिक्त आवरण, प्रत्येक बीमाकर्ता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं और इसकी जांच, गैर-जीवन बीमा कंपनियों की निजी वेबसाइट के ज़रिए की जा सकती है। यह निम्नानुसार हो सकती हैं :

- i. **चोरी एवं सेंधमारी:** सेंधमारी, लूट, तथा कार्यलय की विषयवस्तु की चोरी
- ii. **मशीनरी की खराबी:** इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल उपकरणों की खराबी हेतु सुरक्षा
- iii. **इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एवं उपकरण :**
 - ✓ सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सभी-जोखिम आवरण प्रदान करती है
 - ✓ इलेक्ट्रॉनिक स्थापनाओं की हानि पर सुरक्षा
- iv. **धनराशि बीमा:** निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई दुर्घटना के कारण धनराशि की हानि पर आवरण प्रदान करता है:

- ✓ बैंक से कारोबार के परिसरों में परिवहन, तथा इसकी विपरीत स्थिति
 - ✓ कारोबारी परिसरों की तिजोरी
 - ✓ कारोबारी परिसरों पर संदूक(डिब्बा/ड्रायर/काउंटर)
- v. **सामान** : कार्यालयी प्रयोजनों हेतु दौरे के दौरान सामान की हानि की क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।
- vi. **स्थिर प्लेट गिलास एवं सैनिटरी उपकरण, निम्नलिखित की दुर्घटनात्मक हानि के संबंध में आवरण प्रदान करता है :**
- ✓ स्थिर प्लेट गिलास
 - ✓ सैनिटरी उपकरण
 - ✓ नियोन साइन/ग्लो साइन/होर्डिंग
- vii. **वैयक्तिक दुर्घटना**
- viii. **अविश्वसनीयता/कर्मचारियों की बेइमानी:** कर्मचारियों की बेइमानी से उत्पन्न हानि अथवा क्षति पर आवरण प्रदान करता है
- ix. **कानूनी वैधता:**

- ✓ नियुक्ति के कारण एवं उसके दौरान हुई दुर्घटनाओं हेतु क्षतिपूर्ति
- ✓ तृतीय पक्षों की कानूनी देयता हेतु आवरण प्रदान करता है

अग्नि/चोरी/सामान/प्लेट गिलास/विश्वस्तता की गारंटी/कर्मचारी क्षतिपूर्ति एवं सार्वजनिक देयता पॉलिसियां(जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी) को भी अलग से भी लिया जा सकता है।

आतंकवाद आवरण को भी विस्तारित किया जा सकता है। इसके अपवर्जन, सामान्यतः, ग्राहक संबंधी बीमा के समान ही होते हैं।

E. गृहस्वामी बीमा

गृहस्वामी बीमा पॉलिसी के तहत आवरण अत्यंत विस्तृत होती हैं। सामान्यतः यह एक गृहस्वामी की सभी आवश्यकताओं का पैकेज होती है।

इसमें सामान्यतः निम्नलिखित हानियों से आवरण प्रदान किया जाता है- आग, बिजली, विस्फोट एवं हवाईजहाज़ का गिरना/प्रभावी क्षति(जिसे आमतौर पर एफएलईएक्सए कहा जाता है); आँधी, तूफान, बाढ़ एवं सैलाब(जिसे आमतौर पर एसटीएफआई कहा जाता है); तथा चोरी सुरक्षा, प्रत्येक संपत्ति एवं प्रत्येक पॉलिसी के अनुरूप भिन्न-भिन्न होती है।

संरचना के अलावा, यह घर की सामग्रियों की चोरी, संधमारी, लूट-पाट एवं डकैती पर भी सुरक्षा प्रदान करती है। गहने, पहनने के दौरान अथवा तिजोरी में सुरक्षित रखी जाने की स्थिति में भी गृहस्वामी बीमा के तहत बीमाकृत किए जा सकते हैं। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल खराबी पर भी आवरण प्रदान किया जाता है।

साथ ही, गृहस्वामी बीमा पैकेज, वैयक्तिक सामान की हानि, यात्रा के दौरान खो जाने पर, सुरक्षा प्रदान करते हैं, अथवा पड़ोसियों/मेहमानों के प्रति देयताएं भी गृहस्वामी बीमा पैकेज का अंश हो सकती हैं। कुछ बीमाकर्ता, पेडल साइकिल, वैयक्तिक दुर्घटना एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति हेतु भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

आईआरडीएआई ने 1 अप्रैल, 2021 से भारत गृह रक्षा पॉलिसी नामक एक मानक उत्पाद की शुरुआत की है, जिसकी अवधि 10 वर्षों तक की है, तथा अग्नि एवं सहायक खतरों की बीमासुरक्षा कारोबार के सभी सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्यतः इसकी पेशकश की जाएगी।

भारत गृह रक्षा(घर के निर्माण एवं घर की वस्तुओं के लिए)पॉलिसी, खतरों की विस्तृत प्रकार जैसे आग, प्राकृतिक आपदा, जंगल एवं झाड़ी की आग, किसी भी प्रकार की प्रभावी क्षति, दंगे, फसाद, दुर्भावनापूर्ण क्षति, आतंकवाद की गतिविधियां, पानी की टंकी का विस्फोटन एवं बहाव, स्वतः स्प्रिंकलर से लीकेज एवं चोरी, उपरोक्त किसी भी स्थितियों की घटना से 7 दिनों के अंदर की रिपोर्टिंग पर आवरण प्रदान करती है। यह पॉलिसी 1 से 10 वर्षों की अवधि की हो सकती है।

गृह के निर्माण के अतिरिक्त, पॉलिसी स्वतः ही (बिना किसी विवरण की आवश्यकता के), इमारत की बीमित राशि पर रु. 20 लाख की अधिकतम राशि के अधीन 20% तक, घर की सामान्य विषयवस्तुओं पर सुरक्षा प्रदान करती है। विवरणों की घोषणा करते हुए उच्चतम बीमित राशि के विकल्प का भी चयन किया जा सकता है।

उक्त पॉलिसी आवरण के दो विकल्प प्रस्तुत करती है, जैसे (i) मूल्यवान वस्तुएं जैसे गहने तथा कलाकृतियों के लिए बीमा तथा (ii) पॉलिसी के तहत बीमित जोखिम के कारण बीमाधारक व्यक्ति एवं उसके जीवन साथी की वैयक्तिक दुर्घटना।

पॉलिसी, निम्नतम बीमा की पूरी छूट देती है। अर्थात्, पॉलिसीधारक द्वारा घोषित बीमित राशि, संबंधित संपत्ति हेतु घोषित राशि से कम होने की स्थिति में, पॉलिसीधारक के दावे का निपटान आनुपातिक रूप से नहीं अपितु घोषित बीमित राशि की सीमा तक किया जाता है।

F. बीमित राशि एवं प्रीमियम

औद्योगिक इकाइयों अथवा कार्यालयों में बही खाता उपलब्ध होती है जिसमें आस्तियों का तय मूल्य दर्ज किया जाता है, अतः बीमित राशि निर्धारित करना कठिन नहीं होता है। दुकान तथा घर के मामले में, यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है।

जैसे कि गृहस्वामी बीमा के तहत पहले ही बताया जा चुका है, सामान्यतः, बीमित राशि का निर्धारण दो उपायों के ज़रिए किया जा सकता है, अर्थात् बाज़ार मूल्य एवं पुनःस्थापन/प्रतिस्थापन मूल्य।

अतिरिक्त आवरण जैसे धनराशि, सामान, वैयक्तिक दुर्घटना हेतु प्रीमियम, बीमित राशि एवं चुने गए आवरणों पर निर्भर करता है।

बीमित राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है?

- i. सामान्यतः अग्नि बीमा में, बीमित राशि निर्धारित करने हेतु दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक, बाज़ार मूल्य(एमवी) तथा अन्य प्रतिस्थापना मूल्य(आरआईवी)। एमवी के मामले में, हानि की स्थिति में, आस्ति की आयु के आधार पर मूल्यहास लागू की जाती है। इस विधि के तहत, बीमाकृत को संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु पर्याप्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
- ii. आरआईवी विधि में, बीमा कंपनी द्वारा बीमित राशि की सीमा के अधीन प्रतिस्थापन की लागत का भुगतान किया जाता है। इस विधि के तहत, मूल्यहास लागू नहीं किया जाता है। एक शर्त यह होती है कि, दावा प्राप्त करने हेतु क्षतिग्रस्त आस्ति की मरम्मत/प्रतिस्थापना की जानी चाहिए। यह नोट किया जाए कि, केवल अचल वस्तुओं के लिए ही आरआईवी विधि की अनुमति दी जाती है, स्टॉक अथवा प्रक्रियागत स्टॉक जैसी अन्य आस्तियों के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

अधिकांश पॉलिसियां, पुनःनिर्माण हेतु घर की संरचना, जिसे 'प्रतिस्थापना मूल्य' ('बाज़ार मूल्य' नहीं) कहा जाता है, की बीमा प्रस्तुत करती है। घर के क्षतिग्रस्त होने पर उसके पुनःनिर्माण हेतु वहन की गई लागत को प्रतिस्थापना मूल्य कहा जाता है। इसके विपरीत, बाज़ार का मूल्य, संपत्ति की आयु, मूल्यहास आदि घटकों पर निर्भर करता है।

बीमित राशि की गणना, सामान्यतः, बीमाधारक व्यक्ति के घर की निर्मित क्षेत्रफल की प्रतिदर के निर्माण दर से गुना करते हुए की जाती है। घर की सामग्रियां – फर्नीचर, टिकाऊ वस्तुएं, परिधान, बर्तन आदि- का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य अर्थात् मूल्यहास के पश्चात समान प्रकार की वस्तुओं की वर्तमान बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है।

प्रीमियम, बीमित मूल्य एवं लिए गए आवरणों पर निर्भर करता है।

स्व-मूल्यांकन 1

पैकेज पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- I. पैकेज पॉलिसी, एकल दस्तावेज़ के तहत आवरणों का संयोजन प्रस्तुत करती है।
- II. पैकेज पॉलिसी में इमारत जैसी भौतिक आस्तियों को ही केवल आवरण प्रदान किए जाते हैं।
- III. एक नामित जोखिम पॉलिसी अथवा पैकेज पॉलिसी का मूल्य एक समान होता है।
- IV. केवल नामित जोखिम पॉलिसियां की ही खरीदी की जा सकती है तथा पैकेज पॉलिसियां उपलब्ध नहीं होती हैं।

परिभाषा

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं

- a) **चोरी** का अर्थ है बीमाकृत परिसरों से, चोरी के आशय सहित आक्रामक एवं पता लगाने योग्य माध्यम द्वारा आकस्मिक एवं अनाधिकृत प्रवेश अथवा निकास।
- b) अपराध करने के आशय से घर में प्रवेश करने हेतु किए गए अतिक्रमण को **संधमारी** कहा जाता है।
- c) बीमाधारक के परिसरों में बीमाधारक एवं/अथवा बीमाधारक के कर्मचारियों के विरुद्ध आक्रामक एवं हिंसक उपायों के ज़रिए सामग्रियों की चोरी को **डकैती** कहा जाता है।
- d) तिजोरी का अर्थ है बीमाधारक के परिसरों में उपलब्ध सशक्त पेटी, जिसका निर्माण, मूल्यवान वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण हेतु किया गया है तथा जिस तक पहुँच पाना प्रतिबंधित होता है।
- e) **चोरी**, सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक सामान्य शब्द है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर एवं थल से अन्य की संपत्ति, उसकी अनुमति अथवा सहमति के बिना छीन लेता है तथा उसका आशय, संभाव्य बिक्री अथवा उसके प्रयोग हेतु उसे परिवर्तित करना होता है। छल, डकैती, चोरी के समानार्थी शब्द हैं।

स्व-मूल्यांकन 2

दुकानदार पैकेज पॉलिसी के तहत, बीमाधारक द्वारा 'फिक्स्ड प्लेट गिलास एवं सैनिटरी उपकरण' की अतिरिक्त सुरक्षा के विकल्प का चयन किया जा सकता है। इससे निम्नलिखित में से किस विकल्प के कारण क्षति की दुर्घटनात्मक हानि से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है:

- I. फिक्स्ड प्लेट गिलास
- II. सैनिटरी उपकरण
- III. नियॉन चिन्ह
- IV. उपरोक्त में से कोई नहीं

G. मोटर बीमा

उक्त परिस्थिति पर विचार करें- रेवती ने अपनी संपूर्ण बचत राशि का प्रयोग करते हुए नई मोटर गाड़ी खरीदी है तथा ड्राइव के लिए जाती है। अचानक से एक कुत्ता, बीच रास्ते में आ जाता है तथा उसे टक्कर से बचाने के लिए रेवती तेजी से गाड़ी को घुमाती है तथा गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती है, एक अन्य गाड़ी को टक्कर मारती है तथा सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को घायल कर देती है। एकल दुर्घटना के परिणामस्वरूप, रेवती की अपनी मोटरगाड़ी, सार्वजनिक संपत्ति, एक अन्य गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया है।

इस परिस्थिति में, यदि रेवती ने मोटरवाहन बीमा की खरीदी न की हो तो उसे गाड़ी की खरीदी लागत से अत्यधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

- ✓ क्या रेवती अथवा उसके जैसे लोगों के पास भुगतान हेतु उतनी धनराशि होगी ?
- ✓ रेवती की कारवाइयों के लिए क्या अन्य पक्ष द्वारा बीमा का भुगतान किया जाएगा?
- ✓ यदि उनके पास बीमा नहीं है, तो क्या होगा?

इसीलिए, देश के कानून ने तृतीय-पक्ष देयता बीमा को अनिवार्य बना दिया है। यद्यपि मोटर वाहन बीमा, उक्त घटनाओं के घटने की रोकथाम नहीं करता है, यह गाड़ी के मालिक को वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

दुर्घटना के अतिरिक्त, गाड़ी की चोरी, दुर्घटना द्वारा क्षति अथवा आग से क्षति भी हो सकती है जिससे मालिक को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

गाड़ी के मालिक(अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम पर भारत के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के समक्ष वाहन पंजीकृत किया गया है) द्वारा मोटर वाहन बीमा की खरीदी अवश्य की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण

अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर चलायमान वाहन के प्रत्येक मालिक के लिए बीमा की खरीदी अनिवार्य होती है, उस धनराशि की सुरक्षा के लिए जिसके लिए मालिक, दुर्घटनात्मक मृत्यु, शारीरिक चोट अथवा संपत्ति की क्षति के परिणामस्वरूप तृतीय पक्षों की क्षति के भुगतान हेतु कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। उक्त बीमा के साक्ष्य के रूप में वाहन में बीमा प्रमाणपत्र अवश्य उपलब्ध होना चाहिए।

1. मोटर बीमा

देश में वाहन की जनसंख्या बहुत अधिक है। प्रति दिन सड़क पर नए वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें से कई काफी महंगे होते हैं। लोग कहते हैं कि भारत में, वाहनों को कबाड़ में नहीं डाला जाता है, अपितु लोग अदला-बदली करते रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि पुराने वाहन सड़क पर चलते रहते हैं तथा नए वाहन भी जुड़ते रहते हैं। वाहनों की संख्या के अनुरूप सड़कों की चौड़ाई में (चलाने के लिए जगह) बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। सड़क पर चलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पुलिस तथा अस्पताल की सांख्यिकी कहती है कि देश में सड़क की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। न्यायालयों द्वारा दुर्घटना के पीड़ितों को दी जाने वाली धनराशि में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। वाहन के मरम्मत की लागत भी बढ़ रही है। **उपरोक्त विषय, देश में मोटर वाहन बीमा के महत्व को दर्शाते हैं।**

मोटर वाहन बीमा में दुर्घटनाओं तथा अन्य कुछ कारणों से वाहनों की हानि तथा उनकी क्षति पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। मोटर वाहन बीमा, वाहन के मालिकों को उनके वाहन का कारण हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति हेतु कानूनी देयता को भी आवरण प्रदान करता है।

सरकारी जनादेश के बावजूद, देश में सभी वाहन, बीमाकृत नहीं हैं।

मोटर वाहन बीमा में सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली सभी प्रकार के वाहनों को बीमा प्रदान किए जाते हैं जैसे:

- ✓ दुपहिए
- ✓ निजी मोटर/गाड़ियां
- ✓ सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहन: माल की ढुलाई करने वाले, यात्रियों को ले जाने
- ✓ विविध प्रकार के वाहन, उदाहरण के लिए क्रेन,
- ✓ मोटर व्यापार (शोरूम एवं गराज में रखे गए वाहन)

‘तृतीय-पक्ष बीमा’

एक बीमा पॉलिसी जिसकी खरीदी, अन्य पक्ष की कानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने हेतु की जाती है। तृतीय-पक्ष बीमा की खरीदी, बीमाधारक (प्रथम पक्ष) द्वारा किसी बीमा कंपनी (द्वितीय पक्ष) से, बीमाधारक की कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली देयता से अन्य पक्ष के दावों(तृतीय पक्ष) से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु की जाती है।

तृतीय पक्ष बीमा को ‘देयता बीमा’ भी कहा जाता है।

बाज़ार में लोकप्रिय दो प्रकार की महत्वपूर्ण आवरणों की चर्चा नीचे प्रस्तुत है:

केवल देयता पॉलिसी: मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य है कि सार्वजनिक जगहों पर चलाई जाने वाली गाड़ियों के लिए तृतीय पक्षों के प्रति देयताओं हेतु बीमा कराया जाए।

उक्त पॉलिसी, निम्नलिखित हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रति वाहन के मालिक की कानूनी देयता के लिए ही केवल आवरण प्रदान करता है।

- ✓ तृतीय पक्ष की शारीरिक चोट अथवा मृत्यु
- ✓ तृतीय पक्ष संपत्ति की क्षति

मृत्यु अथवा चोट अथवा क्षति के मामले में असीमित धनराशि की देयता हेतु आवरण प्रदान किया जाता है।

मोटर दुर्घटना द्वारा हुई मृत्यु अथवा लगी चोट के मामले में तृतीय पक्ष के दावों को शिकायतकर्ता द्वारा दुर्घटना दावा ट्रिब्युनल(एमएसीटी) में दर्ज किया जाना चाहिए।

‘अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना(सीपीए) बीमा’

आईआरडीएआई ने, 1 जनवरी, 2019 से मालिक-ड्राइवर हेतु एकल अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना आवरण की अनुमति प्रदान की है। यह आवरण, वाहन को चलाने के दौरान मालिक-ड्राइवर को प्रदान किया जाता है जिसमें वाहन चलाने के साथ वाहन में चढ़ना/उससे उतरना अथवा सह-ड्राइवर के रूप में बीमित वाहन में यात्रा करना भी शामिल होता है। हालांकि, पॉलिसीधारक,

केवल देयता पॉलिसी अथवा पैकेज पॉलिसी के अंश के रूप में सीपीए आवरण के विकल्प का चयन भी कर सकता है। पॉलिसीधाक द्वारा एकल सीपीए पॉलिसी का चयन किए जाने पर, केवल देयता अथवा पैकेज पॉलिसी के ज़रिए प्रस्तुत की गई सीपीए आवरण, रद्द कर दिया है।

पैकेज/व्यापक पॉलिसी: (निजी क्षति + तृतीय पक्ष की देयता)

उपरोक्त के अतिरिक्त, पॉलिसी में घोषित मूल्य(जिसे आईडीवी कहा जाता है – जिसकी चर्चा ऊपर की गई है), अन्य शर्तों एवं नियमों के अधीन, बीमा बीमित कृत वाहन को हुई हानि अथवा क्षति को भी आवरण प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, आग, चोरी, दंगे-फसाद, भूकंप, बाढ़, दुर्घटना आदि।

कुछ बीमाकर्ता, दुर्घटना से वर्कशॉप के स्थल तक वाहन को लाने हेतु वहन किए गए प्रभार का भी भुगतान कर सकते हैं। केवल कार्रवाई(देयता) की पॉलिसी के तहत प्रदत्त अनिवार्य आवरण के अतिरिक्त, आग एवं/अथवा केवल चोरी के जोखिम से सुरक्षा हेतु प्रतिबंधित आवरण भी उपलब्ध है।

पॉलिसी में, वाहन में जोड़े गए सहायक उपकरणों की हानि अथवा क्षति, यात्रियों के लिए निजी मोटर वाहन पॉलिसियों के तहत वैयक्तिक दुर्घटना आवरण, वेतनभोगी ड्राइवर, कर्मचारियों के प्रति कानूनी देयता एवं वाणिज्यिक वाहनों में निःशुल्क यात्रा कर रहे यात्रियों को भी आवरण प्रदान किया जा सकता है। बीमाकर्ताओं द्वारा निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं अथवा खराबी पर वैकल्पिक मोटर वाहन के प्रयोग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

2. अपवर्जन

टूट-फूट, खराबी, परिणामी हानियां तथा अवैध ड्राइविंग लाइसेंस सहित ड्राइविंग अथवा शराब के प्रभाव के अधीन ड्राइविंग, पॉलिसी के तहत उल्लिखित अपवर्जन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 'प्रयोग की सीमाएं' के अनुसार वाहन का प्रयोग(उदाहरण- निजी वाहन का टैक्सी के रूप में प्रयोग) नहीं किए जाने पर, सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।

3. बीमित राशि एवं प्रीमियम

मोटर वाहन पॉलिसी में वाहन की बीमित राशि को बीमाधारक द्वारा घोषित मूल्य(आईडीवी) कहा जाता है।

वाहन की चोरी अथवा दुर्घटना पर मरम्मत से परे कुल क्षति के मामले में, आईडीवी के आधार पर ही दावे की राशि निर्णीत की जाती है।

दर निर्धारण/प्रीमियम की गणना, बीमाधारक का घोषित मूल्य, क्यूबिक क्षमता, भौगोलिक क्षेत्र, वाहन की आयु आदि पर निर्भर करती है।

स्वमूल्यांकन 3

मोटर वाहन बीमा किस के नाम पर ली जानी चाहिए?

1. वाहन के मालिक के नाम पर जिसका नाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के नाम पर पंजीकृत है।

- II. यदि वाहन चलाने वाला व्यक्ति, मालिक से भिन्न हो, तो, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन, उस व्यक्ति के नाम पर जो वाहन को चलाएगा।
- III. वाहन के मालिक के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर, जिसमें वाहन का मालिक भी शामिल है, बशर्ते क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।
- IV. यदि वाहन, मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, ऐसी स्थिति में, प्राथमिक पॉलिसी, वाहन के मालिक के नाम पर होनी चाहिए तथा अतिरिक्त पॉलिसियों की खरीदी, वाहने के सभी चालकों के नाम पर खरीदी जानी चाहिए।

सारांश

- a) गृहस्वामी बीमा पॉलिसी, पॉलिसी में नामित खतरों अथवा घटनाओं से बीमित संपत्ति को हुई हानि हेतु ही केवल बीमा प्रदान करती है। आवरण में शामिल किए गए जोखिमों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।
- b) गृहस्वामी बीमा में आग, दंगे, पाइप का विस्फोटन, भूकंप आदि से इमारत एवं उसकी को हुई क्षति हेतु आवरण प्रदान किया जाता है। इमारत के अतिरिक्त, इसमें सामग्रियों की चोरी, संधमारी, डकैती एवं लूटपाट से भी आवरण प्रदान किया जाता है।
- c) पैकेज आवरण, एकल दस्तावेज के तहत, आवरणों का संयोजन प्रदान करते हैं।
- d) गृहस्वामी बीमा पॉलिसी में बीमित राशि के निर्धारण हेतु सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है: बाजार मूल्य(एमवी) एवं पुनःस्थापना मूल्य(आरआईवी)।
- e) दुकानदार बीमा में सामान्यतः, दुकान की संरचना की क्षति एवं आग, भूकंप, बाढ़ अथवा दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं चोरी से सामग्रियों को आवरण प्रदान किया जाता है। दुकानदार बीमा में कारोबार में बाधा पर सुरक्षा को भी शामिल किया जा सकता है।
- f) मोटर वाहन बीमा में वाहनों की हानि तथा दुर्घटनाओं अथवा अन्य कुछ कारणों से हुई क्षति पर बीमा प्रदान किया जाता है। मोटर वाहन बीमा में, वाहन के मालिकों के वाहन के कारण हुई दुर्घटनाओं से पीड़ितों की क्षतिपूर्ति हेतु वाहन के मालिकों को कानूनी देयता की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। मालिक-ड्राइवर हेतु वाहन चलाते समय, जिसमें चढ़ना/उतरना अथवा सह-ड्राइवर के रूप में बीमाकृत वाहन में यात्रा भी शामिल है, अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना सुरक्षा, आवरित की जाती है।

प्रमुख शब्दावलि

- a) गृहस्वामी बीमा
- b) दुकानदार बीमा
- c) मोटर वाहन बीमा

स्वमूल्यांकन के उत्तर

उत्तर 1 - I, सही विकल्प है।

उत्तर 2 - IV, सही विकल्प है।

उत्तर 3 - I, सही विकल्प है।

अध्याय G-04

वाणिज्यिक बीमा

अध्याय का परिचय

पिछले अध्याय में हमने बीमा के ऐसे विभिन्न उत्पादों पर चर्चा की थी जो कि वैयक्तिक वैयक्तिक व्यक्तियों एवं गृहस्वामी द्वारा सामना किए गए जोखिमों को आवरण प्रदान करते हैं। ग्राहकों का एक अन्य समूह भी उपस्थित है, जिनकी सुरक्षा की आवश्यकताएं, भिन्न होती हैं। यह, वाणिज्यिक अथवा अथवा कारोबारी उद्यम अथवा संस्थाएं होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों एवं सेवाओं से जुड़े होते हैं अथवा उनका कारोबार करते हैं। हम, इस अध्याय में, उक्त वर्ग द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध बीमा के उत्पादों पर विचार-विमर्श करेंगे।

अध्ययन के परिणाम

बीमासुरक्षा की निम्नलिखित विषयों के मूलभूत विशेषताओं की जानकारी:

- A. संपत्ति/अग्नि बीमा
- B. कारोबार की बाधा पर बीमा
- C. चोरी बीमा
- D. धन बीमा
- E. विश्वस्तता गारंटी बीमा
- F. बैंकर क्षतिपूर्ति बीमा
- G. जौहरी ब्लॉक पॉलिसी
- H. इंजीनियरिंग बीमा
- I. औद्योगिक सर्व जोखिम बीमा
- J. मरीन बीमा
- K. देयता बीमा पॉलिसियां

इस अध्याय के अध्ययन के बाद, आप 11 प्रकार की चर्चित बीमा के महत्व एवं मूलभूत प्रयोजन को भली-भांति समझ सकेंगे।

A. संपत्ति/अग्नि बीमा

वाणिज्यिक उद्यमों को विस्तृत रूप से दो प्रकार में विभाजित किया जाता है:

- ✓ छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)
 - भारत सूक्ष्म पॉलिसी
 - भारत लघु पॉलिसी
- ✓ बृहत् कारोबारी उद्यम
 - मानक अग्नि एवं विशेष खतरों की पॉलिसी (एसएफएसपी), आईएआर आदि

ऐतिहासिक रूप से, सामान्य बीमा क्षेत्र, ऐसे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के ज़रिए ही बृहत् रूप से विकसित हुआ है।

वाणिज्यिक उद्यमों को सामान्य बीमा उत्पादों की बिक्री के दौरान, उनकी आवश्यकताओं से बीमा उत्पादों के मिलान हेतु अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। एजेंटों को उपलब्ध उत्पादों की उचित समझ होनी चाहिए। नीचे, सामान्य बीमा के कुछ उत्पादों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1. मानक अग्नि एवं विशेष आपदा की पॉलिसी (एसएफएसपी)

अग्नि बीमा पॉलिसी, वाणिज्यिक स्थापनाओं और साथ ही संपत्ति का मालिक, जो कि संपत्ति को विश्वसनीयता के कारण अथवा कमीशन हेतु धारित रखता है, तथा वैयक्तिक व्यक्ति/वित्तीय संस्थान जिनका संपत्ति में वित्तीय हित विद्यमान हो, के लिए उपयुक्त होती है। किसी विशेष परिसरों पर स्थापित अचल एवं चल संपत्ति जैसे इमारत, कारखाना एवं मशीनरी, फर्नीचर, जुड़नार, उपकरण एवं अन्य सामग्रियां, स्टॉक एवं प्रक्रियागत स्टॉक जिसमें आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के परिसरों पर उपलब्ध स्टॉक भी शामिल हैं, विश्वास के बल पर धारित स्टॉक, यदि विशेष रूप से घोषित किए गए हों, मरम्मत हेतु अस्थायी रूप से परिसर से हटाई गई मशीनरी को बीमित किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु धनराशि संबंधी सहायता अनिवार्य होती है ताकि कारोबार को सामान्य पथ पर पुनः लाया जा सके। ऐसी स्थिति में ही अग्नि बीमा अपनी भूमिका निभाती है।

1.1. मानक अग्नि पॉलिसी में क्या आवरण प्रदान किए जाते हैं?

अग्नि पॉलिसी (पूर्ववर्ती अखिल भारतीय अग्नि टैरिफ के अनुसार) द्वारा पारंपरिक रूप से आवरण प्रदान किए जाने वाले कुछ आपदाओं की जानकारी नीचे प्रस्तुत है।

वाणिज्यिक जोखिम हेतु अग्नि पॉलिसी में निम्नलिखित आपदाओं को शामिल किया जाता है:

- ✓ आग
- ✓ बिजली
- ✓ विस्फोट/अन्तःस्फोट

- ✓ दंगे फसाद एवं दुर्भावनापूर्ण क्षति
- ✓ प्रभावी क्षति
- ✓ हवाईजहाज़ की क्षति
- ✓ आँधी, तूफान, प्रचंड तूफान, सैलाब, बवंडर, बाढ़ एवं जलप्लावन
- ✓ घटाव एवं भूस्खलन जिसमें चट्टानों का गिरना भी शामिल है
- ✓ पानी की टंकी, उपकरणों एवं पाइप में प्रस्फोटन तथा पानी का अत्यधिक बहाव
- ✓ मिसाइल परीक्षण संचालन
- ✓ स्वचालित छिड़काव स्थापना से रिसाव(लीकेज)
- ✓ झाड़ी की आग

निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विशेषताओं से वाणिज्यिक बीमा को वैयक्तिक एवं खुदरा प्रकारों से भिन्न दर्शाया जा सकता है।

- a) संस्थानों अथवा कारोबारी उद्यमों की बीमा संबंधी आवश्यकताएं, वैयक्तिक व्यक्तियों से बहुत अधिक होती हैं। इसका कारण यह है कि, वाणिज्यिक उद्यम की आस्तियों का मूल्य, वैयक्तिक आस्तियों से बहुत अधिक होता है। उनकी हानि अथवा क्षति से कंपनी की उत्तरजीविता एवं भविष्य, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।
- b) वाणिज्यिक उद्यम की बीमा की मांग, प्रायः अनिवार्य होती है अथवा कानूनी या अन्य आवश्यकताओं से ज़रूरी बना दी जाती है। उदाहरण के लिए, बैंक ऋण के ज़रिए कारखानों तथा आस्तियों की स्थापना किए जाने पर, उनकी बीमासुरक्षा, ऋण संबंधी एख शर्त हो सकती है। भारत में कई कार्पोरेट उद्यम, व्यावसायिक रूप से संचालित कंपनियां हैं तथा उनमें से कई बहुराष्ट्रीय भी हैं।

वैश्विक स्तर की गुणवत्ता कायम रखना इनके लिए अनिवार्य होता है, जिसमें जोखिम प्रबंधकीय उपयुक्त रणनीतियों का अभिग्रहण तथा उनकी आस्तियों की सुरक्षा हेतु बीमा भी शामिल है।

पॉलिसी द्वारा उपरोक्त आपदाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि हेतु आवरण प्रदान किया जाता है परंतु यह कुछ अपवर्जन के अधीन होता है।

1.2. संशोधित मानक अग्नि एवं विशेष आपदा (एसएफएसपी) की पॉलिसियां :

आईआरडीआई ने 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके ज़रिए मानक अग्नि एवं विशेष आपदा (एसएफएसपी) पॉलिसी को, नीचे दिए गए जोखिमों के लिए, दो मानक उत्पादों से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा अग्नि एवं सहायक खतरों का बीमा कारोबार से संबंधित सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्यतः इसकी पेशकश की जाएगी।

- i. **भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा(ऐसे उद्यमों के लिए जहाँ जोखिम का कुल मूल्य रु. 5 करोड़ है) –** एमएसएमई की वित्तीय सुरक्षा के लिए तैयार की गई है।

यह पॉलिसी, इमारत/संरचनाएं, कारखाने तथा मशीनरी, उद्यमों के स्टॉक एवं अन्य आस्तियों को आवरण प्रदान करती है, जहाँ एक ही स्थान पर बीमायोग्य सभी आस्ति वर्गों को जोखिम का कुल मूल्य रु. 5 करोड़ होता है। यह पॉलिसी, निवास हेतु तैयार की गई पॉलिसी के समान ही खतरों की विस्तृत प्रकार हेतु आवरण भी प्रदान करती है।

मूलभूत आवरण के अतिरिक्त इस पॉलिसी में कई अंतर्निहित आवरण भी प्रदान किया जाता है, जैसे -संशोधन, जोड़ अथवा विस्तार हेतु आवरण, फ्लोटर आधार पर स्टॉक्स हेतु आवरण, स्टॉक को अस्थाई रूप से हटाने पर आवरण, विशिष्ट सामग्रियों हेतु आवरण, कारोबार की शुरुआती व्यय (हानि के पश्चात्) हेतु आवरण, वास्तुकार, सर्वेक्षक, परामर्शी इंजिनियर की व्यावसायिक शुल्क के भुगतान हेतु आवरण, मलबा हटाने की लागत एवं नगर पालिका के विनियमनों के कारण मजबूरन की गई लागतों के प्रति आवरण।

उक्त पॉलिसी, माइक्रो स्तर के उद्यम जैसे कार्यालय, होटल, उद्योग, भंडारण जोखिम आदि द्वारा ली जा सकती है। पॉलिसी की निम्न बीमा में 15% की सीमा तक छूट दी जाती है। भारत सूक्ष्म उद्यम पॉलिसियां, पृष्ठांकन के ज़रिए पॉलिसी की अवधि के दौरान, बीमित राशि में बढ़ोत्तरी की अनुमति देती है।

- ii. **भारत लघु उद्यम सुरक्षा(ऐसे उद्यमों के लिए जहाँ जोखिम का कुल मूल्य, रु.5 करोड़ से अधिक तथा रु.50 करोड़ तक की होती है),** एमएसएमई की वित्तीय सुरक्षा हेतु तैयार की गई है।

यह पॉलिसी, इमारतों/संरचनाएं, कारखाने तथा मशीनरी, उद्यमों के स्टॉक एवं अन्य आस्तियों को आवरण प्रदान करती है, जहाँ एक ही स्थान पर बीमायोग्य सभी आस्ति वर्गों की जोखिम का कुल मूल्य, पॉलिसी की शुरुआत की तिथि को रु. 5 करोड़ से अधिक परंतु, रु. 50 करोड़ से कम होता है। इस पॉलिसी में भी, उपरोक्त उल्लिखित माइक्रो स्तर के उद्यमों के लिए पॉलिसी द्वारा पेश की गई अंतर्निहित आवरण उपलब्ध होते हैं। जिन खतरों के विरुद्ध बीमा की पेशकश की जाती है, वह माइक्रो स्तर के उद्यमों हेतु तैयार की गई पॉलिसी के समान ही होती है

इसके अतिरिक्त, उक्त पॉलिसी को सभी प्रकार के जोखिम, जैसे कार्यालय, होटल, उद्योग, भंडारण जोखिम आदि हेतु भी लिया जा सकता है। भारतीय लघु उद्यम पॉलिसियां, पृष्ठांकन द्वारा पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमाकृत राशि में बढ़ोत्तरी की अनुमति देती हैं।

- iii. **अग्नि पॉलिसियों के तहत अपवर्जन**

बीमाकर्ता पारंपरिक रूप से निम्नलिखित को अग्नि पॉलिसियों के दायरे में शामिल नहीं करती हैं-

निम्नलिखित शामिल न किए गए आपदाओं के कारण हानि:

- i. युद्ध तथा युद्ध के समान गतिविधियां
- ii. परमाणु संबंधी आपदा

iii. आयोनाइज़ेशन एवं विकीरण(रेडिएशन)

iv. प्रदूषण एवं मैलापन के कारण हुई हानि

सामान्य बीमा में अन्य पॉलिसियों द्वारा आवरित आपदाएं

i. मशीनरी की खराबी,

ii. कारोबार में बाधा

iv. अतिरिक्त आवरण (एड ऑन आवरण)

हालांकि, कुछ आपदाएं अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जैसे भूकंप, आग एवं कंपन, बीमाकृत जोखिम के परिणामस्वरूप, बिजली गुल हो जाने के कारण शीत भंडारण की सामग्री की क्षति, पॉलिसी द्वारा आवरित की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त मलबा हटाने में प्रयुक्त व्यय, वास्तुकार, परामर्शी इंजीनियरों का शुल्क, जंगल की आग, स्वतःप्रज्वलन तथा निजी वाहनों के कारण प्रभावी क्षति, आतंकवाद।

v. अग्नि पॉलिसी के भिन्न प्रकार

सामान्यतः, 12 महीनों की अवधि के लिए अग्नि बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। केवल आवासीय घरों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा 12 महीनों की अवधि के लिए दीर्घावधि पॉलिसियों की पेशकश की जाती है। कुछ मामलों में, लघु अवधि की पॉलिसियां भी जारी की जाती हैं ; जिसपर लघु अवधि के मापन भी लागू होते हैं।

a. **बाज़ार मूल्य एवं पुनःस्थापना मूल्य की पॉलिसियां:** हानि की स्थिति में, बीमाकर्ता द्वारा सामान्यतः, बाज़ार मूल्य (जो की ह्रासित मूल्य होता है) का भुगतान किया जाता है। पुनःस्थापना मूल्य पॉलिसी के तहत हालांकि, बीमाकर्ताओं द्वारा, समान प्रकार की नई आस्ति द्वारा क्षतिग्रस्त आस्ति के प्रतिस्थापन की लागत का भुगतान किया जाता है।

इमारतों, कारखाने, मशीनरी एवं फर्नीचर, फिक्सचर, उपकरण की सुरक्षा हेतु पुनःस्थापना मूल्य की पॉलिसियां जारी की जाती हैं। स्टॉक, जिन्हें सामान्यतः बाज़ार मूल्य के आधार पर आवरित किया जाता है, को पुनःस्थापना मूल्य की पॉलिसियों द्वारा आवरण प्रदान नहीं किया जाता है।

b. **घोषणा पॉलिसी:** गोदाम में स्टॉक के मूल्य में उतार-चढ़ाव पर ध्यान देने हेतु घोषणा पॉलिसी, कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। बीमित राशि का मूल्य उच्चतम होना चाहिए, जिस वस्तु को पॉलिसी की अवधि के दौरान गोदाम में संचित रखने की अपेक्षा की जाती है। उक्त मूल्य पर अस्थायी प्रीमियम प्रभारित किया जाता है। पॉलिसी की लागू अवधि के दौरान, बीमाधारक द्वारा, सहमत अंतरालों पर स्टॉक के मूल्य की घोषणा करती रहनी चाहिए। पॉलिसी की अवधि के अंत में, प्रीमियम सहित इसका समायोजन किया जा सकता है।

c. **फ्लोटर पॉलिसियां:** फ्लोटर पॉलिसियां, एक ही बीमित राशि के तहत विभिन्न विनिर्दिष्ट स्थलों पर संचित माल के स्टॉक हेतु जारी की जा सकती है। गैर-विनिर्दिष्ट स्थलों पर सुरक्षा

नहीं दी जाती है। प्रीमियम दर, किसी भी स्थल पर 10% के लदान सहित बीमाकृत स्टॉक हेतु लागू उच्चतम दर होता है। इन्हें अग्नि फ्लोटर पॉलिसियां भी कहा जाता है क्योंकि बीमित राशि, बहुविध स्थलों पर 'तैरती(फ्लोट करती)' है।

vi. प्रीमियम का दर निर्धारण निम्नलिखित पर निर्भर करता है :

- a) अधिभोग का प्रकार, चाहे औद्योगिक हो अथवा अन्यथा।
- b) एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में स्थित सभी संपत्तियों पर, बनाए गए उत्पाद(ओं) के आधार पर, एक समान दर प्रभारित किया जाएगा।
- c) औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बाहर उपलब्ध सुविधाओं को वैयक्तिक स्थल पर अधिभोग के स्वरूप के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा।
- d) भंडारण क्षेत्रों का मूल्यांकन, धारित सामग्रियों के खतरनाक स्वरूप के आधार पर किया जाएगा।
- e) "सहायक(जोड़ी गए)" आवरणों को शामिल करने हेतु अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किया जाता है.
- f) पूर्व दावों के इतिहास एवं परिसरों में प्रदत्त अग्नि सुरक्षा की सुविधाओं के आधार पर प्रीमियम में छूट दी जाती है।
- g) प्रीमियम की राशि को कम करने के लिए, दंगे, फसाद, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं बाढ़ समूह खतरों के विकल्प को नकारा जा सकता है।

मूल्यांकन की प्रक्रिया, बीमाकर्ता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

स्वमूल्यांकन 1

वाणिज्यिक जोखिमों हेतु अग्नि पॉलिसी आपदा को आवरित करती है।

- I. हाइवे पर जल रहा वाहन
- II. जहाज पर आग लगना
- III. कारखाने में विस्फोट
- IV. आग के कारण अस्पताल में भर्ती करना

B. कारोबार में बाधा संबंधी बीमा

कारोबार में बाधा संबंधी बीमा को परिणामी हानि बीमा अथवा लाभ की हानि संबंधी बीमा भी कहा जाता है।

अग्नि बीमा, बीमित खतरों के ज़रिए, सामग्री अथवा संपत्ति की क्षति अथवा इमारत, कारखाना, मशीनरी जुड़नार, उपकरण, व्यापारिक माल की हानि पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप, बीमाधारक के कारोबार में संपूर्ण अथवा आंशिक बाधा उत्पन्न हो सकती है,

जिससे, बाधा की अवधि के दौरान, विभिन्न प्रकार की आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कारोबार संबंधी बाधा पॉलिसी के तहत आवरण

परिणामी हानि(सीएल) पॉलिसी में, {कारोबार में बाधा(बीआई)} सकल लाभ में हुई हानि हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है- जिसमें शुद्ध लाभ एवं जितनी शीघ्र हो सके, कुल हानि को कम करने हेतु, कारोबार को पुनः सामान्य स्तर पर लाने के लिए बीमाधारक द्वारा वहन की गई कार्यशील बढ़ी हुई लागत के साथ स्थाई प्रभारों को शामिल किया जाता है। शामिल खतरे तथा शर्तें, अग्नि पॉलिसी के तहत शामिल विषयों के समान ही होती हैं।

उदाहरण

यदि आग लगने के परिणामस्वरूप, मोटर वाहन निर्माता का कारखाना क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में, उत्पादन हानि के परिणामस्वरूप, निर्माता को आय की हानि का सामना करना पड़ता है। आय की उक्त हानि और साइ ही वहन की गई अतिरिक्त व्यय को बीमित किया जा सकता है बशर्ते कि यह बीमित आपदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो।

यह पॉलिसी, मानक अग्नि एवं विशेष आपदा पॉलिसी के संयोजन सहित ही खरीदी जा सकती है क्योंकि मानक अग्नि एवं विशेष आपदा पॉलिसी के तहत दावा दायर किए जाने पर ही केवल इस पॉलिसी के तहत दावों को स्वीकृत किया जा सकता है।

स्वमूल्यांकन 2

कारोबार में बाधा संबंधी बीमा पॉलिसी की खरीदी केवल, के संयोजन सहित ही की जा सकती है।

- I. मानक अग्नि एवं विशेष आपदा बीमा पॉलिसी
- II. मानक समुद्री बीमा पॉलिसी
- III. मानक मोटर वाहन बीमा पॉलिसी
- IV. मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी

C. चोरी बीमा

यह पॉलिसी, कारोबार के परिसर जैसे फैक्टरी, दुकान, कार्यालय, कारखाने एवं गोदाम जिनमें कुछ स्टॉक, माल, फर्नीचर के फिक्सचर तथा ताला लगाई गई तिजोरी में नकद राशि जिसकी चोरी हो सकती है, के लिए उपयुक्त होती है। इस पॉलिसी में आवरण के दायरे का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चोरी बीमा के तहत आवरित जोखिम

- a) परिसर में वास्तविक बलपूर्वक अथवा हिंसक प्रवेश अथवा परिसर से वास्तविक, बलपूर्क एवं आक्रामक निकास अथवा लूटमार से संपत्ति की हानि।

- b) चोरों के कारण बीमाकृत संपत्ति अथवा परिसरों की क्षति। बीमाकृत राशि को सुरक्षा तभी प्रदान की जाती है जब, किसी अन्य परिसरों से नहीं अपितु बीमित परिसरों से उसकी क्षति हुई हो।

नकद राशि आवरण: चोरी बीमा का एक महत्वपूर्ण भाग है, नकद राशि आवरण। इसका संचालन, तभी होता है जब नकद राशि को ऐसी तिजोरी में रखा जाता है जो कि चोर के लिए प्रवेश्य है तथा जिसका निर्माण अनुमोदित बनावट एवं डिज़ाइन के ज़रिए किया गया है। नकद राशि आवरण हेतु लागू सामान्य शर्तों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

- a) मूल चाबी के प्रयोग से तिजोरी से निकाली गई नकद राशि को तभी आवरण प्रदान किया जाता है जहाँ ऐसी चाबी को हिंसक उपायों तथा हिंसा की धमकियों अथवा बलपूर्वक छीन कर लिया गया हो। इसे सामान्यतः “चाबी खंड” कहा जाता है।
- b) तिजोरी में नकद राशि की संपूर्ण सूची को तिजोरी के अलावा अन्य जगह पर सुरक्षित रखा जाता है। बीमाकर्ता की देयता, ऐसी रिकार्ड में दर्शाई गई वास्तविक राशि तक ही सीमित होती है।

1. प्रथम हानि बीमा

ऐसे मामलों में, जहाँ उच्च परिमाण(जैसे कपास की गांठें, अनाज, शक्कर आदि) का मूल्य निम्न होता है, एकल परिस्थिति में संपूर्ण स्टॉक की हानि का जोखिम अत्यंत असंभव होता है। जितने मूल्य की चोरी की जा सकती है को संभाव्य अधिकतम हानि(पीएमएल) माना जाता है तथा उक्त अधिकतम संभाव्य हानि हेतु संपूर्ण प्रीमियम प्रभारित किया जाता है तथा संपूर्ण प्रीमियम की कुछ प्रतिशत को स्टॉक की शेष राशि पर प्रभारित किया जाता है क्योंकि पीएमएल, संपूर्ण स्टॉक पर तैरता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि, तत्काल रूप से दूसरी बार चोरी नहीं होगी अथवा बीमाधारक द्वारा पुनर्घटना से सुरक्षा हेतु अतिरिक्त उपायों का अनुसरण किया जाता है।

2. अग्नि बीमा के समान ही स्टॉक के संबंध में, घोषणा बीमा एवं फ्लोटर आवरण भी संभव होता है।

3. अपवर्जन

उक्त पॉलिसी में कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों अथवा अन्य व्यक्ति जो कि कानूनी तौर पर परिसर में उपस्थित रहते हैं द्वारा चोरी हेतु और न ही लूटपाट अथवा सामान्य चोरी पर, आवरित किया जाता है। इसमें, अग्नि अथवा प्लेट गिलास पॉलिसी द्वारा आवरित हानियों को भी शामिल नहीं किया जाता है।

4. विस्तार

अतिरिक्त प्रीमियम पर, दंगे, हड़ताल एवं आतंकवाद की जोखिमों से आवरण हेतु पॉलिसी में विस्तार किया जा सकता है।

5. प्रीमियम

चोरी की पॉलिसी हेतु प्रीमियम की दरें, बीमित संपत्ति के स्वरूप, स्वयं बीमाधारक के नैतिक खतरे, परिसरों का निर्माण एवं स्थल, सुरक्षा उपाय(उदाहरण चौकीदार, चोर अलार्म), पिछली दावों के अनुभव आदि पर निर्भर करते हैं।

प्रस्ताव प्रपत्र में दिए गए विवरण के अतिरिक्त, उच्च मूल्यों की स्थिति में, बीमाकर्ताओं द्वारा स्वीकृति-पूर्व निरीक्षण आयोजित की जाती है।

स्वमूल्यांकन 3

चोरी की पॉलिसी हेतु प्रीमियम, पर निर्भर करता है।

- I. बीमित संपत्ति का स्वरूप
- II. बीमित के निजी नैतिक खतरे
- III. परिसरों का निर्माण एवं स्थल
- IV. उपरोक्त सभी

D. धनराशि बीमा

नकद राशि का प्रबंधन, किसी भी कारोबार का महत्वपूर्ण अंश होता है। धनराशि बीमा पॉलिसी का आशय, बैंक एवं औद्योगिक कारोबारी स्थापनाओं को धनराशि की हानि से सुरक्षित रखना होता है। धनराशि हमेशा, परिसरों में और साथ ही बाहर भी जोखिमयुक्त होती है। धनराशि के आहरण, जमा के दौरान, भुगतान अथवा संग्रहण के दौरान गैरकानूनी रूप से उसे छीना जा सकता है।

1. धनराशि बीमा आवरण

धनराशि बीमा पॉलिसी की रचना, नकदराशि, चेक/डाक आदेश/डाक स्टैंप के प्रबंधन के दौरान उत्पन्न होने वाली हानियों को आवरण प्रदान करने हेतु की गई है। उक्त पॉलिसी सामान्यतः दो अनुभागों के तहत आवरण प्रदान करती है

- a. **पारगमन अनुभाग** : यह, डकैती अथवा चोरी या अन्य आकस्मिक कारणों से धनराशि की हानि, यद्यपि उसे बीमाधारक अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा बाहर किया जाता है, हेतु आवरण प्रदान करता है।

पारगमन अनुभाग में दो प्रकार की राशियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है:

- i. **प्रत्येक ढुलाई की सीमा**: यह, प्रत्येक हानि के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि होती है।
- ii. **पॉलिसी की अवधि के दौरान, पारगमन में अनुमानित राशि**: यह, प्रीमियम की राशि की गणना हेतु लागू किए गए दर की राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

अग्नि बीमा के समान ही, “घोषणा के आधार” पर पॉलिसियां जारी की जा सकती हैं। अतः बीमाकर्ताओं द्वारा पारगमन में अनुमानित राशि पर अस्थई प्रीमियम प्रभारित किया जाता है तथा पॉलिसी के समापन के दौरान, पॉलिसी की अवधि में पारगमन में वास्तविक राशि के आधार पर, बीमाधारक द्वारा घोषित किए गए अनुसार प्रीमियम का समायोजन किया जाता है।

- b. **परिसर अनुभाग:** इस अनुभाग के तहत, चोरी, सेंधमारी, लूटपाट आदि के कारण किसी के परिसर/ताला लगाई गई तिजोरी से हुई धनराशि की हानि पर आवरण प्रदान किया जाता है। पॉलिसी की अन्य विशेषताएं सामान्यतः, चोरी बीमा (कारोबारी परिसरों का) के समान ही होती हैं जिसकी चर्चा ऊपर अध्ययन के परिणाम ग में प्रस्तुत की गई है।

2. महत्वपूर्ण अपवर्जन

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

- त्रुटि अथवा चूक के कारण कमी,
- धनराशि की हानि जिसे प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्य के सुपुर्द किया गया हो तथा
- दंगे, हड़ताल एवं आतंकवाद

3. विस्तार

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर, पॉलिसी में सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित विस्तार किया जा सकता है:

- धनराशि का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों की बेईमानी,
- दंगे, हड़ताल एवं आतंकवाद संबंधी जोखिम
- वितरण जोखिम, जो कि कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के दौरान घटने वाली हानि होती है।

4. प्रीमियम

प्रीमियम दर का निर्धारण, बीमाधारक द्वारा एकल अवसर पर कंपनी की धनराशि के प्रबंधन की उत्तरदायिता, परिवहन का माध्यम, दूरी, सुरक्षा संबंधी किए गए उपाय आदि पर निर्भर करता है। पॉलिसी के समापन से 30 दिन पहले की गई घोषणा के आधार पर संपूर्ण वर्ष के दौरान वास्तविक धनराशि के प्रबंधन के आधार पर, प्रीमियम का समायोजन किया जा सकता है।

स्वमूल्यांकन 4

धनराशि बीम पॉलिसी के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प को आवरण प्रदान किया जाता है?

1. त्रुटी अथवा चूक के कारण कमी

- II. चोरी के कारण किसी के परिसर से धनराशि की हानि
- III. प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के पास सुपुर्द की गई धनराशि की हानि
- IV. दंगे, हड़ताल एवं आतंकवाद

E. विश्वस्तता गारंटी बीमा

कंपनियों को सफेदपोश अपराध अर्थात् उनके कर्मचारियों द्वारा छलकपट अथवा बेईमानी के कारण वित्तीय हानियों का सामना करना पड़ता है। विश्वस्तता गारंटी बीमा के ज़रिए, नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों की छलकपट, गबन, लूट-पाट, दुर्विनियोजन एवं चूक के कारण हुई वित्तीय हानियों के लिए आवरण प्रदान किया जाता है।

1. विश्वस्तता गारंटी बीमा की परिसीमा

प्रत्यक्ष वित्तीय हानि पर सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इसमें परिणामी हानियों को शामिल नहीं किया जाता है।

- a) हानि, धनराशि, प्रतिभूतियां अथवा माल के संबंध में होनी चाहिए
- b) उक्त कार्रवाई, निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसरण के दौरान की जानी चाहिए
- c) हानि की जानकारी पॉलिसी के समापन से 12 महीने पहले अथवा कर्मचारी की मृत्यु, रिटायरमेंट अथवा बर्खास्तगी, जो भी पहले हो, प्राप्त कर लेनी चाहिए
- d) बेइमान कर्मचारी जिसे पुनः नियुक्त किया गया हो के संबंध में कोई आवरण प्रदान नहीं किया जाता है।

2. विश्वस्तता गारंटी पॉलिसी के प्रकार

नीचे प्रस्तुत विवरणानुसार, विश्वस्तता गारंटी पॉलिसियों के कई प्रकार होते हैं-

- a) **वैयक्तिक पॉलिसी:** इस पॉलिसी का प्रयोग ऐसी स्थिति में की जाती है, जहाँ एक व्यक्ति को गारंटीकृत करना हो। कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं गारंटी की राशि विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।
- b) **सामुहिक पॉलिसी:** इस पॉलिसी में, जिन कर्मचारियों पर गारंटी लागू होती है, उनके नाम की सूची को शामिल किया जाता है और साथ ही, प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य एवं बीमाकृत भिन्न भिन्न वैयक्तिक राशि की भी सूची तैयार की जाती है।
- c) **फ्लोटिंग पॉलिसी अथवा फ्लोटर:** इस पॉलिसी में, एक अनुसूची में, सुरक्षा प्रदान किए जा रहे व्यक्तियों के नाम एवं कर्तव्यों को शामिल किया जाता है, परंतु गारंटी की वैयक्तिक धनराशियों के बजाय, संपूर्ण समूह पर गारंटी की एक विनिर्दिष्ट राशि “निश्चित” की जाती है। किसी एक कर्मचारी के संबंध में किए गए दावे पर, अतः फ्लोट की गई गारंटी कम हो जाएगी बशर्ते कि अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से मूल राशि को प्रतिस्थापित किया जाए।

d) **पोजीशन(पदनाम) पॉलिसी** : यह सामूहिक पॉलिसी के समान होती ही होती है परंतु यह अंतर होता है कि, अनुसूची में, विनिर्दिष्ट राशि हेतु गारंटीकृत किए जाने वाले “पदनाम”(जैसे रोकडिया, लेखा अधिकारी आदि) की ही सूची तैयार की जाती है, नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

क. **ब्लैकट पॉलिसी** : इस पॉलिसी में बिना नाम अथवा पदनाम का उल्लेख करते हुए, संपूर्ण स्टाफ को शामिल किया जाता है। बीमाकर्ताओं द्वारा कर्मचारियों की किसी प्रकार की पूछ-ताछ नहीं की जाती है। ऐसी पॉलिसियां बृहत् स्टाफ युक्त नियोक्ता के लिए ही उपयुक्त होती है तथा संस्था द्वारा कर्मचारियों की पूर्ववर्ती जीवन के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जाती है। दावे की स्थिति में, नियोक्ता द्वारा प्राप्त किए संदर्भ अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। उक्त पॉलिसी, ख्याति प्राप्त बृहत् संस्थाओं को ही प्रदान की जाती है।

3. प्रीमियम

प्रीमियम का दर, कारोबारी व्यवसाय के प्रकार, कर्मचारी का स्तर, जांच एवं निरीक्षण की प्रणाली पर निर्भर करता है।

स्वमूल्यांकन 5

विश्वस्तता गारंटी बीमा द्वारा की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

- I. नियोक्ताओं को, जिनके कर्मचारियों की छलकपट अथवा बेईमानी के कारण, वित्तीय हानि हुई हो।
- II. कर्मचारियों को, जिनके नियोक्ता की छलकपट अथवा बेईमानी से वित्तीय हानि हुई हो।
- III. तृतीय पक्ष को, कार्पोरेट की छलकपट अथवा बेईमानी के कारण वित्तीय हानि हुई हो
- IV. शेयरधारकों को, कंपनी के प्रबंधन की छलकपट अथवा बेईमानी के कारण वित्तीय हानि हुई हो।

F. बैंकर क्षतिपूर्ति बीमा

इस व्यापक सुरक्षा की रचना, बैंक, एनबीएपसी एवं अन्य संस्थाएं जो की धनराशि का संचालन करती हैं के लिए, उनके द्वारा धनराशि एवं प्रतिभूतियों के संबंध में सामना की जाने वाली विशेष जोखिमों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

1. बैंकर क्षतिपूर्ति बीमा के तहत सुरक्षा

बैंकर की आवश्यकता के आधार पर उक्त पॉलिसी में विभिन्न विविधताएं होती हैं।

- a) परिसर के अंदर ही आग लगने, चोरी, दंगे तथा हड़ताल के कारण नकद प्रतिभूतियों की हानि अथवा क्षति।
- b) आस्ति को प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा परिसर के बाहर ले जाने के दौरान हुई हानि जो कि किसी भी कारणवश हो, जिसमें कर्मचारियों की लापरवाही भी शामिल है।

- c) चेक, ड्राफ्ट, मियादी जमा की रसीद आदि की धोखाधड़ी अथवा हेरफेर।
- d) नकदराशि/प्रतिभूतियों अथवा गिरवी रखे गए मान के संबंध में कर्मचारियों की बेईमानी
- e) पंजीकृत डाक पार्सल द्वारा भेजी गई वस्तुएं
- f) मूल्यांककों की बेईमानी
- g) 'जनता एजेंट', 'छोटी बचत योजना एजेंट' जैसे बैंक के एजेंटों के कारण नकद राशि की हानि।

खोज के आधार पर सुरक्षा जारी की जाती है, इसका आशय यह है कि हानि की खोज की अवधि के दौरान पॉलिसी प्रभावी होगी, यह आवश्यक नहीं कि घटित अवधि के दौरान हो। परंतु हानि के वास्तव में घटित होने के दौरान सुरक्षा विद्यमान होनी चाहिए।

पारंपरिक रूप से खोज की तिथि से 2 वर्ष पूर्व की अवधि तक ही हानि, देय होती हैं, बशर्ते कि सुरक्षा, हानि के घटने की तिथि से पहले से ही लगातार विद्यमान रही हो।

2. महत्वपूर्ण अपवर्जन

व्यापार का घाटा, लापरवाही, सॉफ्टवेयर संबंधी अपराध तथा भागीदार/निदेशों की बेईमानी, इसके प्रमुख अपवर्जन हैं।

3. दायरा

पॉलिसी में 7 अनुभाग शामिल हैं जैसे-

1. परिसरों पर
2. परिवहन में
3. धोखाधड़ी अथवा हेरफेर
4. बेईमानी
5. गिरवी रखे गए माल
6. पंजीकृत डाक सेवा
7. मूल्यांकक
8. जनता एजेंट

4. बीमित राशि

बैंक को बीमित राशि निर्धारित करनी पड़ती है जो कि पहले 5 अनुभागों के लिए सामान्यतः एक समान होती हैं। इसे 'मूलभूत बीमित राशि' कहा जाता है। मूलभूत बीमित राशि पर्याप्त न होने की स्थिति में अनुभाग (1) एवं (2) के लिए अतिरिक्त बीमित राशि की खरीदी की जा सकती है। अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के ज़रिए पॉलिसी, बीमित राशि के एक अनिवार्य एवं स्वचालित पुनःस्थापना की अनुमति भी प्रदान करती है।

5. दर निर्धारण

प्रीमियम की गणना निम्नलिखित पर आधारित होती है:

- मूलभूत बीमित राशि
- अतिरिक्त बीमित राशि
- स्टाफ की संख्या
- शाखाओं की संख्या

स्वमूल्यांकन 6

बैंकर क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी के तहत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हेतु आवरण प्रदान किया जा सकता है?

- आग लगने के कारण परिसर के अंदर ही नकद प्रतिभूतियों की हानि अथवा क्षति
- चेक की धोखाधड़ी अथवा हेरफेर
- नकद राशि के संदर्भ में कर्मचारियों की बेईमानी
- उपरोक्त सभी

G. जौहरियों की ब्लॉक पॉलिसी

पिछले कुछ वर्षों में, भारत, गहने, विशेष रूप से हीरों के संबंध में विश्व व्यापार के अग्रणी केंद्र के रूप में उभर कर प्रकट हुआ है। आयातित कच्चे हीरों को काट कर, तराश कर निर्यात किया जाता है। इसमें, जौहरी, जिसके कारोबार में, छोटी मात्रा में उच्च मूल्य की वस्तुओं की बिक्री शामिल हो जैसे स्वर्ण एवं चांदी की वस्तुएं तथा कीमती पत्थर, घड़ियां आदि, हेतु सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस व्यापार में, उक्त कीमती वस्तुओं को बृहत मात्रा में संचित करना तथा विभिन्न परिसरों के बीच परिवहन, शामिल होता है।

1. जौहरी की ब्लॉक पॉलिसी में प्रदत्त आवरण

जौहरी ब्लॉक पॉलिसी, एक पैकेज पॉलिसी है जिसे पारंपरिक रूप से 4 अनुभागों में विभाजित किया गया है। अनुभाग 1 के तहत सुरक्षा सामान्यतः अनिवार्य होती है जबकि बीमाधारक को अन्य अनुभागों के तहत उनके विकल्प प्राप्त करने की अनुमति होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लेट गिलास, सिग्नेज आदि जैसी आस्तियों तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों की बेवफाई को आवरित करने हेतु भी बाजार की प्रथा के अनुसार कुछ अन्य अनुभागों को शामिल किया जाता है।

बीमाधारक द्वारा संपूर्ण सुरक्षा हेतु भी विश्वस्तता गारंटी बीमा की खरीदी की जानी चाहिए, यदि उक्त सुरक्षा हेतु कोई अलग अनुभाग उपलब्ध न हो।

प्रत्येक मामले की आवश्यकतनुनसार जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग के लिए प्रीमियम की विभिन्न दरें लागू की जाती हैं जिसमें विशिष्ट दिन-रात लगातार चौकीदार की

उपस्थिति, क्लोज सर्किट टीवी/अलार्म सिस्टम, विशिष्ट सुरक्षित कक्ष तथा सुरक्षा के किसी अन्य घटक आदि हेतु छूट प्रदान की जाती है।

स्वमूल्यांकन 7

जौहरी की ब्लॉक पॉलिसी के मामले में, पारंपरिकरूप से बहुविध अनुभाग विद्यमान हैं, जिसमें से एक सामान्यतः अनिवार्य होता है जबकि अन्य शेष अनुभाग होते हैं।

- I. अनिवार्य
- II. पूर्वव्यापी
- III. वैकल्पिक
- IV. क्षतिपूरक

H. इंजीनियरिंग बीमा

इंजीनियरिंग बीमा, सामान्य बीमा की एक शाखा होती है, जो कि अग्नि बीमा की वृद्धि के साथ-साथ समानांतर रूप से विकसित हुई है। इसकी उत्पत्ति को औद्योगीकरण के विकास से पता लगाया जा सकता है, जिससे कारखानों एवं मशीनरी हेतु अलग सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित हुआ था। इंजीनियरिंग उत्पादों के संबंध में, **सभी प्रकार की जोखिमों** की सुरक्षा की अवधारणा को भी विकसित किया गया था – किसी भी कारणवश हुई क्षति को सुरक्षा प्रदान करना- सिवाय उन कारणों के, जिन्हें विशिष्ट रूप से अपवर्जित किया गया हो। उत्पादों के ज़रिए विभिन्न स्तरों को आवरण प्रदान किए जाते हैं – निर्माण से परीक्षण तक, जब तक यंत्र संचालनयोग्य नहीं हो जाता है। इस बीमासुरक्षा के ग्राहक, बृहत् एवं छोटी, दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की इकाइयां तथा ठेकेदारों द्वारा बड़ी परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है। इंजीनियरिंग बीमा पॉलिसियों के दो प्रकार उपलब्ध हैं :

- 1) वार्षिक पॉलिसियां – सामान्यतः एक वर्ष की अवधि की -
 - a) मशीनरी की खराबी पॉलिसी
 - b) बॉयलर प्रेशर प्लांट पॉलिसी
 - c) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पॉलिसी
 - d) ठेकेदार की यंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी
 - e) स्टॉक की क्षति पॉलिसी
 - f) सिविल इंजीनियरिंग पूर्ण जोखिम
- 2) परियोजना अवधि के आधार पर विविध अवधि सहित परियोजना पॉलिसियां -
 - a) ठेकेदारों की सर्व जोखिम पॉलिसी

b) इरेक्शन सर्व जोखिम पॉलिसी

इंजीनियरिंग पॉलिसियों के साथ, दो “परिणामी हानि” की पॉलिसियां भी जुड़ी हुई हैं :

- a) मशीनरी की खराबी, लाभ की हानि पॉलिसी(एमबीएलओपी), जिसे मशीनरी खराबी पॉलिसी अथवा बॉयलर एवं प्रेशर प्लांट पॉलिसी के साथ ली गई हो तथा
- b) लाभ क अग्रिम हानि(एएलओपी) अथवा शुरुआत में विलंब(डीएसयू पॉलिसी) जिसे परियोजना पॉलिसी के साथ लिया जाता है।

उक्त पॉलिसियों की संक्षिप्त चर्चा नीचे प्रस्तुत है:

A. वार्षिक पॉलिसियां

1. **मशीनरी की खराबी पॉलिसी(एमबी)** : यह पॉलिसी, मशीनों पर संचालित प्रत्येक उद्योग के लिए उपयुक्त होती है एवं जिसके लिए यंत्र तथा मशीनरी की खराबी से परिणाम, गंभीर स्वरूप के होते हैं। यह पॉलिसी, जेनरेटर, ट्रांसप्रपत्रर एवं अन्य इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा उत्तोलक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करती है।

पॉलिसी, बीमित संपत्ति की किसी भी कारणवश(अपेक्षित जोखिमों के अधीन) मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल खराबी, अनपेक्षित एवं आकस्मिक भौतिक क्षति को आवरण प्रदान करती है:

- a) क्रियाशील अथवा स्थिर स्थिति में।
- b) सफाई अथवा पूरी जांच एवं मरम्मत के दौरान
- c) सफाई अथवा जांच एवं मरम्मत के संचालन के दौरान तथा बाद में उनके पुनःगठन के दौरान।
- d) परिसर के अंदर ही स्थानांतरण के दौरान।

वैयक्तिक मशीनरी की पुनःस्थापना/प्रतिस्थापना मूल्य पर प्रीमियम प्रभारित कि जाता है। संपूर्ण मशीन को बीमित किया जाना चाहिए। दरें, मशीन के प्रकार पर निर्भर करती हैं; उद्योग जिसमें उसका प्रयोग होता है तथा इसे उपयोगी माना जाता है।

2. **बॉयलर एवं प्रेशर प्लांट पॉलिसी**: यह बॉयलर एवं दबाव वाहिकाओं को निम्नलिखित आवरण प्रदान करता है:

- a) आग के सिवाय अन्य कारणों से, बॉयलर एवं/अथवा दबाव के अन्य यंत्र तथा बीमित की संपत्ति के आस-पास की क्षति; तथा
- b) व्यक्ति की शारीरिक चोट के कारण कानूनी देयता अथवा उक्त बॉयलर एवं/अथवा दबाव यंत्र के आंतरिक दबाव के कारण विस्फोट अथवा टूट-फूट से संपत्ति, तृतीय पक्ष की क्षति।

चूंकि अग्नि पॉलिसी तथा बॉयलर बीमा पॉलिसी, पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं, पर्याप्त आवरण के लिए, दोनों पॉलिसियों की खरीद की जानी चाहिए। सभी इंजीनियरिंग पॉलिसियों के तहत बीमित राशि, वर्तमान की प्रतिस्थापना मूल्य होनी चाहिए।

3. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पॉलिसी:** इसमें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विविध प्रकारों को आवरण प्रदान कि जाता है जिसमें संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि को शामिल किया जाता है। सहायक उपकरण जैसे एयरकंडीशनिंग, तापन एवं बिजली का रूपांतरण आदि को भी आवरण प्रदान किया जाता है।

यह पॉलिसी, अग्नि पॉलिसी, मशीनरी बीमा पॉलिसी एवं चोरी पॉलिसी का संयोजन होती है। पॉलिसी में, दोषपूर्ण डिज़ाइन(जो वारंटी के तहत शामिल नहीं होती है), प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव, वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण दोषपूर्ण गतिविधियां, प्रभावी झटके आदि, सेंधमारी एवं चोरी को भी आवरित किया जाता है।

पॉलिसी, मालिक, पट्टादाता, किराएदार के लिए, प्रत्येक मामले में उनकी उत्तरदायिता अथवा देयता पर निर्भर करते हुए, उपलब्ध होती है। इसमें सामान्यतः तीन अनुभाग होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की हानियों को आवरण प्रदान करते हैं :

- a) **अनुभाग 1-** उपकरण की हानि एवं क्षति
- b) **अनुभाग 2:** बाह्य डाटा मीडिया जैसे कंप्यूटर के बाह्य हार्ड डिस्क की हानि एवं क्षति
- c) **अनुभाग 3:** काम की लागत में बढ़ोत्तरी – 12,26,40, अथवा 52 सप्ताहों तक स्थानापन्न उपकरण पर डाटा का संसाधन सुनिश्चित करना।

4. **ठेकेदारों की यंत्र एवं मशीनरी (सीपीएम) पॉलिसी:** निर्माण कारोबार के ठेकेदारों के लिए उपयुक्त। सभी प्रकार की मशीनरी जैसे क्रेन, खोदक मशीनों की नीचे उल्लिखित किसी भी कारणवश, अनपेक्षित एवं आकस्मिक भौतिक हानि अथवा क्षति से आवरण प्रदान करती है :

- a) चोरी, सेंधमारी, दंगे, आँधी, दुर्भावनापूर्ण क्षति, तूफान
- b) आग और बिजली, बाह्य विस्फोट, भूकंप एवं दैवकृत आपदा से जोखिम
- c) गलत प्रकार के प्रयोग, गिराना अथवा गिरना, टूटफूट, टकराव एवं प्रभाव के कारण कार्य करते समय दुर्घटनात्मक क्षति को तृतीय पक्ष की क्षति हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

प्रभारित प्रीमियम, उपकरण के प्रकार एवं संचालन स्थल पर निर्भर करता है।

उक्त आवरण, उपकरण के क्रियाशील अथवा स्थिर होने पर अथवा सफाई एवं जांच तथा मरम्मत विघटित करने पर अथवा उसके पश्चात् उसके पुनर्गठन के दौरान संचालनीय होती है। उक्त आवरण, ठेकेदार के निजी परिसरों पर उपस्थित रहने के दौरान भी लागू होती है। हालांकि, 10% की अतिरिक्त प्रीमियम के प्रभार के ज़रिए, कुछ शर्तों सहित “भारत में कहीं भी के आधार पर” उपकरण को शामिल करते हुए फ्लोटर पॉलिसी भी उपलब्ध होती है।

5. **स्टॉक पॉलिसी का ह्रास:** यह पॉलिसी, शीत भंडारण(वैयक्तिक अथवा सहकारी सोसाइटी) के मालिक के लिए अथवा जो खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए शीत भंडारण को पट्टे पर अथवा किराए पर लेते हैं, के लिए उपयुक्त होती है। रेफ्रिजरेशन यंत्र एवं मशीनरी की

खराबी के कारण क्षति अथवा संक्रमण की जोखिम और साथ ही तापमान के आकस्मिक बढ़ोत्तरी तथा शीत भंडारण कक्षों में रेफ्रिजरेट तत्वों की आकस्मिक एवं अनपेक्षित पलायन के कारण उत्पन्न जोखिम हेतु यह सुरक्षा प्रदान की जाती है।

6. **सिविल इंजीनियरिंग निपटान जोखिम:** सामान्यतः यह, ऐसे ठेकेदारों द्वारा खरीदी जाती है जिन्हें समापन के बाद सिविल परियोजनाओं का प्रबंधन करना पड़ता है। सिविल परियोजनाएं जैसे पुल, शुष्क बंदरगाह, पोताश्रय, जेट्टी रेलवे लाइन, पत्थर से बनाए गए पुल, सिमेन्ट के बांध, मिट्टी के बांध, नाले, सिंचाई प्रणाली को इस पॉलिसी के तहत शामिल किया जाता है। इसमें शामिल जोखिम निम्नानुसार हैं -

1. आग
2. बिजली
3. विस्फोट/अन्तःस्फोट
4. दंगे, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण क्षति
5. रेल/सड़क अथवा जल के वाहन अथवा पशु द्वारा मुठभेड़
6. आँधी, तूफान, बवंडर, बालू का तूफान, समुद्री तूफान, बाढ़ एवं सैलाब, पानी के लहरों की गतिविधियां
7. धसकन एवं भूस्खलन(पत्थर स्लाइ भी) क्षति
8. भूकंप, आग एवं शॉक (भूकंप के कारण बाढ़ भी शामिल है), सुनामी
9. पाला, बर्फ की सरकती चट्टान, बरफ

B. परियोजना की पॉलिसियां

यह पॉलिसियां विशेष रूप से वार्षिक आधार पर नहीं अपितु परियोजना की अवधि हेतु जारी की जाती हैं।

1. **ठेकेदारों की सर्व जोखिम (सी.ए.आर) पॉलिसी:** ठेकेदारों की हितों तथा सिविल इंजीनियरिंग में प्रवृत्त परियोजनाएं, छोटी इमारतों से बृहत् बांध, इमारतें, पुल, सुरंग आदि के सिद्धांतों की सुरक्षा हेतु यह पॉलिसी तैयार की जाती है। उक्त पॉलिसी “सर्व जोखिम” सुरक्षा प्रदान करती है – अतः निर्माण स्थल पर बीमित संपत्ति की आकस्मिक एवं अनपेक्षित हानि अथवा क्षति पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। तृतीय पक्ष की देयता एवं अन्य जोखिम हेतु भी इसे विस्तारित किया जा सकता है। प्रभारित प्रीमियम, परियोजना के स्वरूप, परियोजना की लागत, परियोजना की अवधि, भौगोलिक क्षेत्र तथा परीक्षण की अवधि पर निर्भर करता है।
2. **एरेक्शन सर्व जोखिम(ईएआर पॉलिसी)** – इस पॉलिसी को भंडारण एवं एरेक्शन(एससीई) पॉलिसी भी कहा जाता है। यह परियोजना के प्रधान अथवा ठेकेदारों के लिए उपयुक्त होती है जब यंत्र एवं मशीनरी की स्थापना की जा रही हो, क्योंकि इसमें विविध प्रकार की बाह्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यह एक बृहत् बीमा पॉलिसी है जो परियोजना

स्थल पर सामग्री उतारने के क्षण से ही सुरक्षा प्रदान करना शुरू करती है तथा परियोजना की संपूर्ण अवधि के दौरान लागू रहती है, जब तक परियोजना का परीक्षण, कमीशन एवं सुपुर्दगी पूरी न हो जाए।

प्रभारित प्रीमियम, परियोजना के स्वरूप, लागत, परियोजना अवधि, भौगोलिक स्थल, एवं परीक्षण की अवधि पर निर्भर करता है।

आवश्यकतानुसार, पारगमन अवधि के दौरान, परियोजना के स्थल पर उपकरणों एवं सामग्रियों की सुपुर्दगी तक, आवरण प्रदान करने हेतु एरेक्शन पॉलिसी के साथ मरीन सुरक्षा भी जारी की जा सकती है।

C. परिणामी हानि की पॉलिसियां

इस प्रकार की पॉलिसियां, अन्य हानियों के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों की सुरक्षा हेतु जारी की जाती हैं। इन्हें, 'कारोबार बाधा पॉलिसियां' अथवा 'लाभ की हानि' पॉलिसी भी कहा जाता है।

3. लाभ की मशीनरी हानि(एमएलओपी) पॉलिसी

यह पॉलिसी, ऐसे उद्योग के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ मशीनरी की खराबी अथवा बॉयलर विस्फोट के परिणामस्वरूप बृहत् परिणामी हानियों के कारण बाधा अथवा विलंब उत्पन्न होता है।

जहाँ, खराबी अथवा हानि एवं पुनःस्थापन के बीच की अवधि, बहुत अधिक होती है, यह पॉलिसी, कुल बिक्री में कमी एवं कार्यशीलता की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण बीच की अवधि के दौरान लाभ की हानि की क्षतिपूर्ति करती है। कारोबार बाधा पॉलिसी के शर्त एवं नियमों तथा सुरक्षा, अग्नि पॉलिसी हानि, जिसकी चर्चा इस अध्याय में की जा चुकी है, के कारण कारोबार बाधा पॉलिसी के समान ही होती है।

4. लाभ की सुरक्षा हेतु अग्रिम हानि(एएलओपी) अथवा शुरुआत में विलंब पॉलिसी (डी.एस.यू)

यह, परियोजना के दौरान दुर्घटनात्मक क्षति के कारण, परियोजना विलंबित होने से उत्पन्न वित्तीय हानि हेतु आवरण प्रदान करती है। यह, प्रत्याशित आय से वंचित बीमाधारक के लिए उपयुक्त है तथा वित्तीय संस्थानों के लिए, परियोजना में उनकी अंतर्निहित हित सीमा तक उपयुक्त होती है। इसे, परियोजना की वास्तविक शुरुआत से पहले एमसीई/ईएआर/सीएआर पॉलिसी के विस्तार के रूप में जारी किया जाता है।

यह पॉलिसी, निरंतर व्यय के रूप में वित्तीय हानियां जैसे मियादी ऋण, डिबेंचर, दैनिक मजदूरी एवं वेतन आदि पर ब्याज एवं निर्धारित तिथि को कारोबार की शुरुआत किए जाने पर अर्जित की जाने वाली प्रत्याशित शुद्ध लाभ हेतु भी सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रीमियम का मूल्यांकन, विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों तथा उपलब्ध पुनर्बीमा आवरण समर्थन पर निर्भर करता है। प्रत्याशित सकल लाभ अथवा कुल बिक्री एवं क्षतिपूर्ति अवधि भी देय प्रीमियम के निर्णयन हेतु महत्वपूर्ण घटक होते हैं।

स्वमूल्यांकन 8

शुरुआत में विलंब की पॉलिसी को कहा जाता है।

- I. मशीनरी लाभ की हानि आवरण
- II. लाभ की अग्रिम हानि आवरण
- III. ठेकेदारों की सर्व जोखिम आवरण
- IV. ठेकेदारों की यंत्र एवं मशीनरी आवरण

I. औद्योगिक सर्व जोखिम बीमा

औद्योगिक सभी जोखिम पॉलिसी की रचना, एक पॉलिसी के तहत भारत में कहीं भी औद्योगिक विशेषताएं- निर्माण एवं भंडारण सुविधाएं दोनों हेतु आवरण प्रदान करती है। यह सामग्री की क्षति एवं कारोबार की बाधा पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।

सामान्यतः, पॉलिसी निम्नलिखित हेतु आवरण प्रदान करती है:

- i. अग्नि बीमा प्रचलन के अनुसार आग एवं विनिर्दिष्ट आपदाएं,
- ii. चोरी (लूटपाट के सिवाए)
- iii. मशीनरी की खराबी/बॉयलर विस्फोट/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- iv. उपरोक्त उल्लिखित खतरों के संचालन से कारोबार में बाधा

(टिप्पणी : उपरोक्त (iii) के तहत सामान्यतः कारोबार बाधा को पैकेज आवरण में शामिल नहीं किया जाता है, परंतु यह वैकल्पिक आवरण के रूप में उपलब्ध होता है)

- ✓ उक्त पॉलिसी, वैयक्तिक संचालनीय पॉलिसियों द्वारा प्रदान की जाने वाले आवरणों की तुलना में विस्तृत श्रेणी के आवरणों की पेशकश करती है।
- ✓ पॉलिसी हेतु प्रीमियम की दरें, चयनित आवरण, दावों का अनुभव एवं चयनित कटौती योग्य, एमएलओपी हेतु जोखिम आकलन रिपोर्ट आदि पर निर्भर करता है।

स्वमूल्यांकन 9

निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को औद्योगिक सभी जोखिम बीमा को शामिल नहीं किया गया है ?

- I. अग्नि बीमा प्रथा के अनुसार अग्नि एवं विशेष आपदाएं
- II. लूटपाट
- III. मशीनरी की खराबी
- IV. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

J. मरीन बीमा

मरीन बीमा को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: मरीन कार्गो एवं मरीन हल

1. मरीन कार्गो बीमा

यद्यपि, 'मरीन' शब्द, समुद्र(मरीन)की दुर्घटनाओं से हुई हानि की ओर ही संकेत करता है, परंतु मरीन कार्गो बीमा में इससे अधिक विषयों को शामिल किया जाता है। यह, रेल, सड़क, समुद्र, हवाई अथवा पंजीकृत डाक द्वारा देश अथवा विदेश में परिवहन के दौरान सामग्रियों की हानि अथवा क्षति पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। सामग्रियों का प्रकार, हीरे से लेकर गृहस्थी के सामान, बृहत् परिमाण की वस्तुएं जैसे सीमेंट, अनाज, परियोजनाओं हेतु अधिक आयामी माल हो सकता है।

कार्गो बीमा, घरेलु व्यापार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिक्री के अधिकांश अनुबंधों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हानि अथवा क्षति के विरुद्ध विक्रेता अथवा खरीददार, किसी के भी द्वारा, सामग्रियों का बीमा अवश्य कराना पड़ता है।

बीमा को कौन प्रभावित करता है : सामग्रियों(प्रेषण) का विक्रेता अथवा क्रेता, बिक्री के अनुबंध के आधार पर, बीमा करा सकता है।

मरीन बीमा अनुबंध में अंतर्राष्ट्रीय रूप से लागू प्रावधान अवश्य विद्यमान होने चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें देश की सीमाओं से परे परिवहन में सामग्रियों को आवरण प्रदान किया जाता है। उक्त सुरक्षाओं का प्रशासन, पॉलिसी से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं कुछ खंडों के अनुसार की जाती है।

यद्यपि, मूलभूत पॉलिसी दस्तावेज़ में सामान्य शर्तों को शामिल किया जाता है, आवरण का दायरा एवं अपवाद तथा विशेष अपवर्जन को अलग खंड में जोड़ा जाता है जिसे संस्थागत कार्गो खंड(आईसीसी) कहा जाता है। लंदन के बीमालेखकों की संस्था द्वारा इसका मसौदा तैयार किया जाता है।

a) मरीन कार्गो बीमा के तहत आवरण

कार्गो पॉलिसियां अनिवार्य रूप से यात्रा की पॉलिसियां होती हैं, अर्थात् वे एक स्थान से अन्य स्थान के परिवहन के अधीन विषयवस्तु को आवरित किया जाता हैं। हालांकि, बीमाधारक को सभी परिस्थितियों में हमेशा उचित सावधानी से, अपने नियंत्रण की सीमा कमें कार्य करना चाहिए। इस पॉलिसी की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक सहमत मूल्य पॉलिसी होती है। बीमाकर्ता एवं बीमाधारक के बीच मूल्यांकन स्वीकृत किया जाता है तथा छलकपट के संदेह के सिवाय, यह पुनर्मूल्यांकन के अधीन नहीं होता है। बीमित राशि की गणना, सीआईएफ + 10% (लागत बीमा एवं भाड़ा + 10%) के ज़रिए की जाती है। एक अन्य मुख्य विशेषता यह है कि, पॉलिसी को आसानी से आबंटित किया जा सकता है।

उक्त आवरण सामान्यतः, बिक्री के अनुबंध की शर्तों के अनुसार, गोदाम से, पॉलिसी में नामित स्थान के लिए प्रेषित किए जाने पर ही शुरू हो जाती है तथा पॉलिसी में नामित निर्दिष्ट स्थल पर पहुँचते ही अमान्य हो जाती है।

लागू शर्त एवं नियमों, निम्नलिखित द्वारा प्रशासित होते हैं:

- i. अंतर्देशीय परिवहन हेतु, अंतर्देशीय परिवहन खंड(आईटीसी) ए, बी अथवा सी
- ii. समुद्र द्वारा यात्रा हेतु संस्थागत कार्गो खंड(आईसीसी) ए,बी अथवा सी
- iii. हवाई परिवहन हेतु संस्था कार्गो(हवाई) खंड -ए

संस्था कार्गो खंड सी, न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि कार्गो की ढुलाई करने वाली मोटर वाहन अथवा जहाज की दुर्घटना के निम्नलिखित कारण हेतु हानि अथवा क्षति होती है:

- i. आग अथवा विस्फोट
- ii. मोटर वाहन का पटरी से उतरना अथवा उलट जाना
- iii. वाहन का फंस जाना, खराब हो जाना अथवा डूब जाना (जहाज के मामले में)
- iv. किसी बाह्य वस्तु से टक्कर
- v. संकटमय बंदरगाह पर कार्गो उतार देना
- vi. सामान्य औसत त्याग
- vii. प्रक्षिप्त माल (जेटिसन)

संस्थागत कार्गो खंड बी, सी से अधिक विस्तृत होता है। ग में शामिल आपदाओं के अतिरिक्त यह निम्नलिखित के कारण हुई हानि अथवा क्षति की भी आवरण प्रदान करता है:

- i. दैविक कार्य(एओजी) खतरे जैसे भूकंप, लावा का फूटना एवं बिजली
- ii. अंतर्देशीय परिवहन में पुल का टूट जाना
- iii. समुद्री परिवहन के मामले में लदान अथवा उतराई के दौरान सामान का गिर जाना
- iv. जहाज में पानी का प्रवेश

संस्था कार्गो खंड ए, सर्वाधिक विस्तृत आवरण है क्योंकि यह बी और सी के सभी खतरों और साथ ही विनिर्दिष्ट कुछ अपवर्जन के सिवाय अन्य जोखिम के कारण हानि अथवा क्षति हेतु आवरण प्रदान करता है जैसे:

- i. बीमाकृत की जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण हानि अथवा क्षति
- ii. सामान्य रिसाव, खराबी, टूटफूट अथवा भार/मात्रा में सामान्य हानि
- iii. पैकिंग की अपर्याप्तता
- iv. निहित बुराइयां

- v. विलंब
- vi. मालिकों के दिवालियेपन के कारण हानि
- vii. परमाणु आपदाएं

यह अपवर्जन, अंतर्देशीय, हवाई एवं समुद्री, सभी के लिए एक समान होते हैं। विशिष्ट उत्पाद जैसे कोयला, बड़ी मात्रा में तेल एवं चाय आदि के व्यापार हेतु भिन्न-भिन्न खंड भी उपलब्ध हैं। युद्ध, दंगे, हड़ताल, नागरिक हंगामा एवं आतंकवाद से सुरक्षा हेतु अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से समुद्री पॉलिसी को विस्तारित किया जा सकता है। समुद्री एवं हवाई पॉलिसियां, बीमा की केवल शाखाएं हैं तथा युद्ध संबंधी आपदाओं के विरुद्ध बीमा प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण

पॉलिसी को तीन वर्गों में, अर्थात् मरीन पॉलिसी के तहत शामिल जोखिम, मानक पॉलिसी प्रपत्र के तहत एवं पॉलिसी से जुड़ी विभिन्न खंडों के तहत, विस्तृत रूप से विभाजित किया जाता है:

- i. मरीन आपदाएं,
- ii. बाहरी आपदाएं एवं
- iii. युद्ध, हड़ताल, दंगे, नागरिक हंगामा एवं आतंकवाद के जोखिम।

b) विभिन्न प्रकार की मरीन पॉलिसियां

i. विनिर्दिष्ट पॉलिसी

यह पॉलिसी, एकल लदान को आवरित करती है। यह विशेष यात्रा अथवा परिवहन हेतु वैध होती है। नियमित आयात एवं निर्यात व्यापार से जुड़े अथवा अंतर्देशीय परिवहन द्वारा नियमित रूप से माल प्रेषित कर रहे व्यापारीगण को विशेष व्यवस्थाओं जैसे खुली पॉलिसी के तहत बीमा व्यवस्थित करना सुविधाजनक प्रतीत होगा।

ii. खुली पॉलिसी

देश के अंदर माल के परिवहनको खुली पॉलिसी के तहत आवरित किया जा सकता है। उक्त पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध होती है तथा इस अवधि के दौरान माल के सभी प्रेषण की घोषणा, बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता को उनके बीच सहमत पाक्षिक, मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iii. खुला आवरण

खुला आवरण, एक वर्ष का आवरण ही है जो बीमाधारक को जहाज से परिवहन/प्रेषण की बृहत् संख्या की लगातार आवरण प्रदान करता है। प्रेषित माल पर प्रीमियम, को बीमाधारक द्वारा धारित संबंधित नकद जमा राशि खाते से समायोजित किया जाता है। बृहत् आयातक एवं निर्यातक जिनका व्यापार लगातार कायम रहता है, हेतु खुला आवरण जारी किया जाता है।

खुला आवरण, समुद्री प्रेषण के लेनदेन हेतु सुरक्षा की शर्तें तथा प्रीमियम की दरें एक वर्ष हेतु निर्धारित करती हैं। खुला आवरण, एक पॉलिसी नहीं है तथा इस पर मुहर नहीं लगाई जाती है। प्रत्येक घोषणा हेतु, उचित मूल्य पर विधिवत मुहर सहित बीमा का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

iv. शुल्क एवं बीमा का बढ़ाया गया मूल्य

यह पॉलिसियां, माल की उतराई की तिथि को गंतव्य स्थल पर सीमाशुल्क के भुगतान अथवा माल के बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण कार्गो के मूल्य के बढ़ जाने पर अतिरिक्त बीमा प्रदान करती है।

2. मरीन हल बीमा

‘हल’ शब्द, जहाज अथवा जल के किसी अन्य परिवहन जहाज के मुख्य भाग का संदर्भ प्रस्तुत करता है।

मरीन हल बीमा, विभिन्न देशों में लागू अंतर्राष्ट्रीय खंडों के अनुसार तैयार की जाती है। मरीन हल आवरण अनिवार्य रूप से दो प्रकार को होते हैं:

- a) किसी विशिष्ट यात्रा हेतु आवरण : यहाँ प्रयुक्त खंडों के समूह को संस्थागत यात्रा खंड कहा जाता है
- b) समयावधि आवरण : सामान्यतः एक वर्ष। यहाँ प्रयुक्त खंडों के प्रयोग को संस्थागत(समय) खंड कहा जाता है
- c) युद्ध जोखिमों का प्रशासन, विशेष विनियमों से किया जाता है तथा संग्रहित प्रीमियम को केंद्रीय सरकार के समक्ष जमा किया जाएगा।

सूचना

हल बीमा में निम्नलिखित बीमा को शामिल किया जाता है:

- i. अंतर्देशीय जहाज जैसे नौका, मोटर नाव, यात्री जहाज आदि।
- ii. निकर्षण पोत(ड्रेड्जर्स) (यांत्रिक अथवा गैर-यांत्रिक)
- iii. मछली पकड़ने की नाव (यांत्रिक अथवा गैर-यांत्रिक)
- iv. जलयान(यांत्रिक अथवा गैर-यांत्रिक)
- v. घाट एवं किनारे
- vi. निर्माण के दौरान जहाज

जहाज के मालिक का बीमायोग्य हित न केवल जहाज पर होता है, परंतु बीमा की अवधि के दौरान अर्जित जहाज पर लादे गए माल पर भी होता है। लादे गए माल के अतिरिक्त, जहाज के मालिक का बीमायोग्य हित, जहाज को उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु व्यय की गई राशि पर

भी होता है, जिसमें खाद्य वस्तुएं तथा दुकान भी शामिल होते हैं। उक्त व्यय को संवितरण कहा जाता है तथा इन्हें साथ-साथ ही निश्चित अवधि हेतु हल पॉलिसी के साथ बीमा कराया जाता है।

महत्वपूर्ण

विमानन बीमा : हवाईजहाज़ हेतु भी एक व्यापक पॉलिसी उपलब्ध है जो कि हवाईजहाज़ को हुई हानि अथवा क्षति हेतु और साथ ही तृतीय पक्ष की कानूनी देयता एवं हवाईजहाज़ के संचालन से उत्पन्न यात्रियों के प्रति देयता हेतु भी सुरक्षा प्रदान करती है।

स्वमूल्यांकन 10

बीमा की कौन सी शाखा, युद्ध संबंधी आपदाओं हेतु आवरण प्रदान करती है?

- I. मरीन पॉलिसियां
- II. विमानन पॉलिसियां
- III. उपरोक्त दोनों
- IV. उपरोक्त में से कोई नहीं

K. देयता संबंधी पॉलिसियां

दुर्घटनाओं को पूर्ण रूप से टाला नहीं जा सकता है, चाहे व्यक्ति कितना भी सतर्क क्यों न हो। इसके परिणामस्वरूप स्वयं को चोट एवं संपत्ति की क्षति हो सकती है और साथ ही तृतीय पक्ष को चोट लग सकती है अथवा उनकी संपत्ति नष्ट हो सकती है। इस प्रकार से प्रभावित व्यक्तिगण, उक्त हानि हेतु क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

निर्मित एवं बेच दिए गए उत्पाद में दोष से भी देयता उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए चाकलेट अथवा दवाइयाँ, जो उपभोग्ता को हानि पहुँचा सकती है। इसी तरह, रोगी के गलत निदान/चिकित्सा अथवा अधिवक्ता द्वारा उसके ग्राहक के मामले के अनुचित प्रबंधन से भी देयता उत्पन्न हो सकती है।

ऐसी सभी मामलों में, जहाँ तृतीय पक्ष, उपभोग्ता अथवा रोगी, गलत गतिविधि हेतु क्षतिपूर्ति की मांग करता है, वहाँ क्षतिपूर्ति के भुगतान अथवा दावेदारों द्वारा दायर किए गए मुकदमों के बचाव में शामिल व्यय की पूर्ति करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। अन्य शब्दों में, भुगतान की देयता से वित्तीय हानि उत्पन्न होती है। ऐसी देयता की उपस्थिति एवं प्रदत्त की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्णय, नागरिक न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसे जानबूझकर की गई लापरवाही/छलकपट की पहलू के रूप में माना जाता है। देयता संबंधी बीमा पॉलिसियां ऐसी देयताओं हेतु आवरण प्रदान करती है। चलिए हम ऐसी कुछ देयता संबंधी पॉलिसियों पर चर्चा करते हैं-

सांविधिक देयता

ऐसे कुछ कानून अथवा विधियां विद्यमान हैं, जो क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रदान करते हैं। इनकी जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

- ✓ जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

एवं

- ✓ कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जिसका संशोधन 2010 में किया गया है

ऐसी देयताओं के संबंध में आवरण हेतु बीमा की पॉलिसियां उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

1. अनिवार्य जन दायित्व पॉलिसी

जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991, जो की खतरनाक वस्तुओं का प्रबंधन करते हैं उन पर कोई गलती नहीं के आधार पर देयता लागू करती है, यदि उक्त प्रबंधन के दौरान तृतीय पक्ष को चोट लगी हो अथवा उसकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई हो। खतरनाक वस्तुओं के नाम तथा प्रत्येक की मात्रा, 'अधिनियम' में सूचीबद्ध की गई है। प्रति व्यक्ति देय क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण, निम्नानुसार किया जाता है।

देय क्षतिपूर्ति

घातक दुर्घटना	रु. 25,000
स्थायी कुल विकलांगता	रु. 25,000
स्थायी आंशिक विकलांगता	रु. 25,000 के % के आधार पर विकलांगता का %
अस्थायी आंशिक विकलांगता	प्रति महीना रु.1000, अधिकतम 3 महीने
वास्तविक चिकित्सकीय व्यय	अधिकतम रु.12,500 तक
संपत्ति की वास्तविक क्षति	रु. 6,000 तक

प्रीमियम, एओए(कोई एक दुर्घटना) सीमा पर एवं ग्राहक की कुल बिक्री पर आधारित होता है। इस पॉलिसी की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि बीमाधारक को अनिवार्यतः प्रीमियम के समान राशि, पर्यावरण राशि कोष में प्रदान करनी पड़ती है। यदि बृहत् संख्या में तृतीय पक्ष प्रभावित होते हैं तथा ऐसी स्थिति में, यदि देय राहत की कुल राशि, एओए की सीमा से अधिक हो जाती है, तो शेष राशि का भुगतान फंड द्वारा किया जाएगा।

2. जन दायित्व पॉलिसी (औद्योगिक/गैर-औद्योगिक जोखिम)

इस प्रकार की पॉलिसी, बीमाधारक की भूल/लापरवाही के कारण तृतीय पक्ष को हुई वैयक्तिक चोट अथवा उसकी संपत्ति की क्षति(टीपीपीआई अथवा टीपीपीडी) की देयता को आवरित करती है।

औद्योगिक जोखिमों के आवरण और साथ ही गैर-औद्योगिक जोखिम जो होटल, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, आवासीय परिसर, कार्यालय, स्टेडियम, गोदाम एवं दुकान को प्रभावित करते हैं,

की सुरक्षा हेतु भिन्न-भिन्न पॉलिसियां उपलब्ध हैं। यह, टीपीपीआई/टीपीपीडी के संबंध में भारतीय कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान की देयता को सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें, दावेदार की लागत, शुल्क एवं व्यय को भी शामिल किया जाता है।

पॉलिसी निम्नलिखित हेतु सुरक्षा प्रदान नहीं करती है:

- a) उत्पादों की देयता
- b) प्रदूषण की देयता
- c) परिवहन एवं
- d) कामगार/कर्मचारियों को लगी चोट

3. उत्पाद देयता पॉलिसी

उत्पाद देयता बीमा की मांग बढ़ चुकी है क्योंकि उत्पादों की विस्तृत विविधता (उदाहरण के लिए डिब्बा बंद भोजन, सोडा, दवाइयों एवं इन्जेक्शन, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मेकैनिकल उपकरण, रसायन आदि) जिनका वर्तमान में निर्माण किया जाता है तथा जनता को बेचा जाता है। यदि उत्पाद में किसी प्रकार के दोष से मृत्यु, शारीरिक चोट अथवा बीमारी का सामना करना पड़ता है अथवा तृतीय पक्षों की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में दावा दायर करने हेतु कारण उत्पन्न हो सकता है। उत्पाद देयता पॉलिसियां, बीमाकृत की इस देयता को आवरित करते हैं।

उक्त सुरक्षा, निर्यात और साथ ही घरेलू बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं।

4. लिफ्ट(तृतीय पक्ष) देयता बीमा

यह पॉलिसी, लिफ्ट के प्रयोग एवं संचालन से उत्पन्न होने वाली देयताओं के संबंध में इमारतों के मालिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। यह निम्नलिखित हेतु कानूनी देयताओं की आवरण प्रदान करती है:

- a) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु/शारीरिक चोट (बीमाधारक के कर्मचारियों को शामिल न करते हुए)
- b) संपत्ति की क्षति (बीमाधारक की निजी अथवा कर्मचारी की संपत्ति को शामिल न करते हुए)

प्रीमियम की दरें, क्षतिपूर्ति की सीमा, कोई एक व्यक्ति, कोई एक दुर्घटना एवं कोई एक वर्ष पर निर्भर करती है।

5. व्यावसायिक देयता

व्यावसायिक क्षतिपूर्तियों की रचना, व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए, उनकी व्यावसायिक कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान, लापरवाही से उत्पन्न होने वाली क्षति के भुगतान हेतु उनकी कानूनी

देयता के विरुद्ध बीमा प्रदान करती है। ऐसी सुरक्षा, डॉक्टर, अस्पताल, इंजीनियर, वास्तुकार, सनदी लेखाकार, वित्तीय परामर्शदाता, वकील, बीमासुरक्षा के दलाल हेतु उपलब्ध होती है।

6. निदेशकों तथा अधिकारियों की देयता पॉलिसी

किसी भी कंपनी के निदेशक एवं अधिकारी, विश्वास और उत्तरदायिता का पद धारित करते हैं। वे शेयरधारकों, कर्मचारियों, देनदारों एवं कंपनी के अन्य हकदारों को, कंपनी की कार्यवाइयों के प्रबंधन तथा उनके निरीक्षण के अधीन की गई गलत गतिविधियों हेतु क्षति के भुगतान हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं। ऐसी देयता को आवरण प्रदान करने हेतु एक पॉलिसी तैयार की गई है तथा सभी निदेशकों को शामिल करते हुए कंपनी को जारी की जाती है।

7. कर्मचारी बीमा क्षतिपूर्ति

यह पॉलिसी, नियुक्ति के दौरान दुर्घटना अथवा रोग से उसके कर्मचारियों को लगी वैयक्तिक चोट हेतु क्षतिपूर्ति की कानूनी देयता के संबंध में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। **इसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा भी कहा जाता है।**

बाज़ार में बीमा के दो प्रकार प्रचलित है:

- a) **सारणी ए** : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 एवं सामान्य कानून के तहत कर्मचारियों को दुर्घटना हेतु कानूनी देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति।
- b) **सारणी बी** : घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 एवं सामान्य कानून के तहत कानूनी देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति।

प्रीमियम की दर, प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित किए गए अनुसार, कर्मचारियों की अनुमानित वेतन पर लागू की जाती है।

पॉलिसी को निम्नलिखित आवरण प्रदान करने हेतु विस्तारित किया जा सकता है:

- i. कर्मचारी को लगी चोट की चिकित्सा हेतु बीमाधारक द्वारा वहन किए गए चिकित्सकीय एवं अस्पताल के व्यय, विशिष्ट धनराशि की सीमा तक।
- ii. अधिनियम में सूचीबद्ध व्यावसायिक बीमारियों हेतु देयता
- iii. ठेकेदारों के कर्मचारियों के प्रति देयता

स्वमूल्यांकन 11

जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत, गैर-घातक दुर्घटनाओं के वास्तविक चिकित्सीय व्यय हेतु देय क्षतिपूर्ति क्या होगी?

- I. रु. 6,250
- II. रु. 12,500

III. रू. 25,000

IV. रू. 50,000

स्वमूल्यांकन के उत्तर

उत्तर 1 - III सही विकल्प है।

उत्तर 2 - I सही विकल्प है।

उत्तर 3- IV सही विकल्प है।

उत्तर 4- II सही विकल्प है।

उत्तर 5- I सही विकल्प है।

उत्तर 6- IV सही विकल्प है।

उत्तर 7- III सही विकल्प है।

उत्तर 8- II सही विकल्प है।

उत्तर 9- II सही विकल्प है।

उत्तर 10- III सही विकल्प है।

उत्तर 11- II सही विकल्प है।

अध्याय G-05

सामान्य बीमा संबंधी दावे

अध्याय का परिचय

बीमा के किसी भी अनुबंध का मुख्य मुद्दा होता है, शुरुआत में किया गया वादा, अर्थात् हानि की स्थिति में, बीमाधारक को क्षतिपूर्ति प्रदान करना। इस अध्याय में, हानि की शुरुआत के समय से की जाने वाली प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजों का विवरण प्रस्तुत है, जिससे दावे के निपटान की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना आसान हो जाता है। इसमें, बीमाधारक अथवा बीमाकर्ता किसी के भी द्वारा विवादित दावों के प्रबंधन की विधि का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के परिणाम

- A. दावे के निपटान की प्रक्रिया
- B. सर्वेक्षकों तथा हानि के आकलनकर्ता

अध्याय के अध्ययन के बाद, आप निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेंगे-

1. दावे के निपटान की गतिविधियों के संबंध में वादविवाद
2. हानि की सूचना हेतु प्रक्रियाओं का विवरण
3. दावे की जांच एवं आकलन का मूल्यांकन
4. सर्वेक्षकों एवं हानि के आकलनकर्ताओं के महत्व का विवरण
5. दावे के प्रपत्रों की विषयवस्तु का चित्रण
6. दावों के समायोजन एवं निपटान की परिभाषा

A. दावे के निपटान की प्रक्रिया

1. दावों के निपटान का महत्व

बीमा कंपनी की अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधि, हानि की स्थिति में पॉलिसीधारकों के दावों का निपटान होता है। बीमाकर्ता, तात्कालिक, उचित एवं न्यायसंगत सेवा प्रदान करते हुए अपने वादों की पूर्ति करता है चाहे पॉलिसीधारको को भुगतान करना हो या तृतीय पक्ष द्वारा बीमाधारक के विरुद्ध दायर दावों का भुगतान करना हो।

एक, गैर-जीवन बीमा कंपनी ने अपने बोर्ड रूम में निम्नलिखित अभिलेख का प्रयोग किया था - “यदि संभव हो तो भुगतान करें; आवश्यक हो तो अस्वीकार करें”। यही बीमा के नेक कारोबार की भावना होती है।

व्यावसायिक रूप से दावों के निपटान को ही बीमा कंपनी का सर्वाधिक वृहद् विज्ञापन माना जाता है।

a) तत्परता

बीमाधारक, कार्पोरेट ग्राहक हो या वैयक्तिक व्यक्ति अथवा चाहे हानि का आकार बड़ा या छोटा हो, दावों का तात्कालिक निपटान ही महत्वपूर्ण होता है। यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि, हानि के तुरंत बाद, बीमाधारक को बीमा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है।

यदि उसे तात्कालिक रूप से धनराशि प्राप्त हो जाती है, तो यह उसके लिए अधिकतम उपयोगी सिद्ध होती है। बीमा कंपनी का कर्तव्य होता है कि उसके द्वारा, बीमाधारक की अत्यंत आवश्यकता के दौरान- हानि के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो सके, दावे की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

b) व्यावसायिकता

बीमा अधिकारी, प्रत्येक दावे को उसके गुण-दोष के आधार पर मान्यता देते हैं तथा सभी दस्तावेजों, जिनसे नीचे उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है, की जांच किए बिना, पक्षपात अथवा पूर्वाग्रही विचारों से दावे को अस्वीकृत नहीं करते हैं।

- i. क्या वास्तव में हानि घटित हुई थी ?
- ii. यदि हाँ, क्या हानि की घटना ही क्षति का कारण थी?
- iii. उक्त घटना से क्षति की मात्रा क्या थी?
- iv. हानि का कारण क्या था?
- v. क्या पॉलिसी के तहत हानि का बीमा करवाया गया था?
- vi. क्या पॉलिसी के अनुबंध/शर्तों के अनुसार, दावा देय है?
- vii. यदि हाँ, तो कितनी राशि देय होगी?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर, बीमा कंपनी द्वारा पता लगाया जाना चाहिए।

दावों का संसाधन, एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। दावों के सभी प्रपत्र, प्रक्रियाएं एवं संसाधनों की रचना कंपनी द्वारा ध्यानपूर्वक की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॉलिसी के तहत सभी 'देय' दावों का भुगतान तात्कालिक रूप से किया जाता है तो जो देय नहीं होते हैं, का भुगतान नहीं किया जाता है।

एजेंट जो कि बीमाधारक के पहचान की कंपनी का प्रतिनिधि होता है, को सुनिश्चित करना पड़ता है कि सभी सुसंगत प्रपत्रों को सही सूचना सहित विधिवत भरा गया है, हानि के साक्ष्य के सभी दस्तावेजों को संलग्न किया गया है तथा समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है तथा कंपनी को विधिवत प्रस्तुत किया जाता है। हानि के दौरान, एजेंट की भूमिका की चर्चा पहले ही की जा चकी है।

2. हानि की सूचना अथवा नोटिस

पॉलिसी की शर्तों में उल्लिखित होता है कि हानि की सूचना बीमाकर्ता को तुरंत प्रदान करनी चाहिए। तात्कालिक सूचना का यह प्रयोजन होता है कि बीमाकर्ता द्वारा शुरुआती स्तर पर ही हानि की जांच की जा सकती है। विलंब से, हानि संबंधी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं भी हो सकती है। साथ ही बीमाकर्ता को हानि को न्यूनतम करने हेतु उपाय सुझाने में आसानी होती है तथा शेष संपत्ति की सुरक्षा हेतु प्रयास करने में मदद मिलती है। हानि की सूचना यथोचित रूप से शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए।

प्रारंभिक जांच/तहकीकात के बाद, दावा को एक संख्या आबंटित की जाती है तथा पॉलिसी की संख्या, बीमाधारक का नाम, हानि की राशि का अनुमान, हानि की तिथि, दावा आदि विवरण सहित दावे को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, अब दावा संसाधन हेतु तैयार माना जाता है।

कुछ प्रकार की पॉलिसियों(उदाहरण चोरी) के तहत, पुलिस के प्राधिकारियों को भी सूचना दी जाती है। कार्गो रेल परिवहन पॉलिसियों के तहत, रेलवे को भी सूचना दी जानी चाहिए।

3. जांच एवं आकलन

a) समीक्षा

बीमाधारक से दावा प्रपत्र की प्राप्ति पर, बीमाकर्ताओं द्वारा हानि की जांच एवं आकलन का निर्णय लिया जाता है। दावे की राशि छोटी होने की स्थिति में, बीमाकर्ताओं के अधिकारी द्वारा कारण की जांच तथा हानि की सीमा का पता लगाया जाता है।

अन्य दावों की जांच, स्वतंत्र लाइसेंसधारी व्यावसायिक सर्वेक्षकों को सुपुर्द की जाती है जो कि हानि के आकलन में विशेषज्ञ होते हैं। स्वतंत्र सर्वेक्षकों द्वारा हानि का आकलन, इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि, बीमाकर्ता एवं बीमाधारक दोनों ही हितपरायण पक्ष हैं, स्वतंत्र व्यावसायिक व्यक्ति का गैरपक्षपाती विचार, दोनों पक्षों को तथा विवाद की स्थिति में न्यायालय को स्वीकृत होना चाहिए।

b) दावे का आकलन

आग लगने पर, दावे का आकलन सहायक दस्तावेज सहित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। जहाँ आवश्यकतानुसार, पुलिस की रिपोर्ट/अग्नि शामक की रिपोर्ट, जांचकर्ता की रिपोर्ट की भी मांग की जाती है। वैयक्तिक दुर्घटनात्मक दावों के मामले में, बीमाधारक की देखभाल कर रहे डॉक्टर से दुर्घटना का कारण अथवा रोग का स्वरूप, जैसा भी मामला हो, तथा विकलांगता की अवधि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

पॉलिसी की शर्तों के तहत, बीमाकर्ताओं को स्वतंत्र चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त होता है। 'कर्मचारी क्षतिपूर्ति' दावों के समर्थन में चिकित्सकीय साक्ष्य की भी मांग की जाती है। पशु धन संबंध दावों का आकलन, पशुचिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

सूचना

हानि अथवा क्षति की सूचना की प्राप्ति पर बीमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित जांच की जाती है:

1. हानि अथवा क्षति के घटने की तिथि पर बीमा पॉलिसी वैध थी या नहीं
2. हानि अथवा क्षति, बीमाकृत खतरा द्वारा घटित है या नहीं
3. हानि से प्रभावी संपत्ति (बीमा की विषयवस्तु) क्या पॉलिसी के तहत बीमित की गई संपत्ति ही है या नहीं
4. हानि की सूचना, बिना विलंब के प्राप्त की गई है या नहीं।

मृत्यु एवं वैयक्तिक चोट संबंधी मोटर तृतीय पक्ष दावों का आकलन, डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। उक्त दावों का निपटान, मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है एवं प्रदत्त की जाने वाली राशि का निर्णय, आयु, दावेदार की आय जैसे घटकों से किया जाता है।

तृतीय पक्ष की संपत्ति की क्षति संबंधी दावों का आकलन, सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

- ✓ मोटर निजी क्षति दावा का आकलन सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।
- ✓ तृतीय पक्ष की क्षति शामिल होने पर पुलिस के रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है।

सूचना

जांच, हानि के आकलन से भिन्न होती है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि वैध दावा दायर किया गया है तथा महत्वपूर्ण विवरणों के सत्यापन एवं संदेह जैसे बीमायोग्य हित की अनुपस्थिति, महत्वपूर्ण तथ्यों का सत्यापन का दमन अथवा गलत बयानी, जानबूझकर हानि की स्थिति उत्पन्न करना आदि को दूर करने के लिए जांच की जाती है।

बीमा सर्वेक्षकों द्वारा भी जांच की कार्रवाई की जाती है। सर्वेक्षक द्वारा उक्त कार्य की शुरुआत शीघ्र किए जाने पर अत्यंत सहायक होती है। अतः दावा प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके, सर्वेक्षक को नियुक्त किया जाता है।

B. सर्वेक्षकों तथा हानि के आकलनकर्ताओं की भूमिका

a) सर्वेक्षक

सर्वेक्षक, आईआरडीआई से लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक होते हैं। वे विशिष्ट विषयों में निरीक्षण तथा हानि के आकलन में विशेषज्ञ होते हैं। सर्वेक्षकों को शुल्क, उन्हें नियुक्त किए गए बीमाकर्ताओं द्वारा दी जाती है। सर्वेक्षकों एवं हानि के आकलनकर्ताओं को सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा सामान्यतः दावा दायर किए जाने पर नियुक्त किया जाता है। वे संबंधित संपत्ति का निरीक्षण करते हैं, उसकी जांच कर हानि की परिस्थितियों एवं कारणों का सत्यापन करते हैं। साथ ही वे हानि की मात्रा का भी अनुमान लगाते हैं तथा बीमा कंपनी को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वे भविष्य में हानियों की रोकथाम हेतु उचित उपायों के संबंध में बीमाकर्ताओं को सुझाव भी देते हैं। सर्वेक्षक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा नियम 1939 एवं आईआरडीआई द्वारा जारी विशिष्ट विनियमों द्वारा प्रशासित होते हैं।

‘यात्रा पॉलिसी’ के मामले में देश के बाहर किए गए दावे अथवा निर्यात हेतु ‘मरीन खुले आवरण’ के तहत आकलन, पॉलिसी में नामित, विदेश में उपस्थित एजेंटों द्वारा किया जाता है। इन एजेंटों द्वारा हानि का आकलन कर भुगतान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमाकर्ताओं द्वारा उनके शुल्क के निपटान सहित की जाती है। वैकल्पिक रूप से, दावा संबंधी सभी दस्तावेजों को बीमा दावा निपटान एजेंटों द्वारा संग्रहित किया जाता है तथा उनके आकलन सहित बीमाकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है।

महत्वपूर्ण

बीमा अधिनियम की धारा 64

मोटर स्वयं क्षति की रु. 50 हजार से अधिक दावा तथा संपत्ति की अन्य क्षति हेतु एक लाख रुपए के संबंध में बीमाकर्ताओं को ऐसे दावों के लिए सर्वेक्षक एवं आकलनकर्ताओं की नियुक्ति अवश्य करनी पड़ती है। अन्य दावों के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा आकलन के लिए अन्य व्यक्ति (ऐसा व्यक्ति न हो जिसे वर्तमान में सर्वेक्षक अथवा हानि आकलक के रूप में नियुक्ति हेतु जिसे अयोग्य घोषित किया गया हो) की नियुक्ति का जा सकती है।

5. दावा प्रपत्र

दावा प्रपत्र की विषयवस्तु, बीमा के प्रत्येक वर्ग हेतु भिन्न-भिन्न होती हैं। सामान्यतः, हानि संबंधी संपूर्ण सूचना प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र तैयार की जाती है, जैसे हानि की तारीख, समय, हानि का कारण, हानि की मात्रा आदि। अन्य प्रश्न, बीमा के वर्गों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

उदाहरण

अग्नि दावा प्रपत्र में प्राप्त की जाने वाली सूचना, उदाहरण स्वरूप, नीचे प्रस्तुत है:

- i. बीमाधारक का नाम, पॉलिसी संख्या एवं पता
- ii. आग लगने की तिथि, समय एवं कारण
- iii. क्षतिग्रस्त संपत्ति का विवरण
- iv. आग क दौरान संपत्ति का सशक्त मूल्य। बीमा में कई वस्तुएं शामिल किए जाने की स्थिति में, किस के तहत दावा किया गया है, संबंधी सूचना। (दावा, हानि के घटने के स्थल एवं समय पर, जिसमें मूल्यह्रास टूट-फूट को शामिल किया गया है, वास्तविक मूल्य पर आधारित होनी चाहिए (सिवाय यह की बिल्डिंग, यंत्र एवं मशीनरी के संबंध में पॉलिसी, “पुनःस्थापना मूल्य” के आधार पर नहीं ली गई है। इसमें लाभ को शामिल नहीं किया जाता है।]
- v. साल्वेज मूल्य की कटौती के बाद दावा की गई राशि
- vi. आग जिस परिसर में लगी है, की परिस्थिति एवं अधिभोग
- vii. जिस योग्यता से दावों की बीमा कराई गई हो चाहे मालिक के रूप में, गिरवी पर अथवा ऐसी अन्य विषयों के समान।
- viii. यदि कोई अन्य व्यक्ति भी क्षतिग्रस्त संपत्ति में रुचि रखता हो
- ix. उक्त संपत्ति पर कोई अन्य प्रकार की बीमा लागू होने पर, उसके विवरण।

इसके पश्चात्, बीमाधारक के हस्ताक्षर एवं तिथि के रूप में विवरण की सत्यता एवं सटीकता के संबंध में घोषणा प्रस्तुत की जाती है।

बीमा कंपनी द्वारा दावा प्रपत्र जारी करने का यह आशय नहीं होता है कि बीमाकर्ताओं द्वारा दावा की देयता को स्वीकृत कर लिया गया है। दावा प्रपत्रों को, ‘बिना किसी पूर्वाग्रह के’ टिप्पणी सहित जारी किया जाता है।

सहायक दस्तावेज

दावा प्रपत्र के अतिरिक्त, दावे के साक्ष्य के रूप में दावेदार द्वारा कुछ दस्तावेजों की प्रस्तुति आवश्यक होती है अथवा बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जाती है।

- i. अग्नि दावों के लिए, अग्नि शामक से रिपोर्ट आवश्यकता होती है।
- ii. तूफान से क्षति की स्थिति में, मौसम विज्ञान कार्यालय से रिपोर्ट की मांग की जा सकती है
- iii. चारी के दावों में, पुलिस से रिपोर्ट, आवश्यक हो सकती है
- iv. घातक दुर्घटना के दावों में, मृत्यु समीक्षक एवं पुलिस से रिपोर्ट आवश्यक हो सकती है।

- v. मोटर वाहन दावों के लिए, बीमाकर्ता द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण पुस्तिका, पुलिस रिपोर्ट आदि की जांच की जा सकती है।
- vi. मरीन कार्गो दावों में, हानि के प्रकार के अनुसार, दस्तावेज़ भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, अर्थात् कुल हानि, विशेष औसत, अंतर्देशीय अथवा विदेशी पारगमन दावे आदि।

स्वमूल्यांकन 1

निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को दावों के निपटान में, व्यावसायिक नहीं माना जाता है?

- I. हानि के कारण की जानकारी प्राप्त करना
- II. पूर्वाग्रह के साथ दावे का संसाधन करना
- III. यह जानना कि हानि, बीमित आपदा के परिणामस्वरूप हुई या नहीं
- IV. दावे के तहत तेय राशि का परिमाण निर्धारित करना

स्वमूल्यांकन 2

राज की दुर्घटना हुई है। उसकी गाड़ी मोटर वाहन व्यापक पॉलिसी के तहत बीमित है। निम्नलिखित में से राज दवारा की जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी ?

- I. जितनी जल्दी संभव हो सके, बीमाकर्ता को हानि की सूचना देना
- II. बीमा नवीनीकरण के दौरान बीमाकर्ता को सूचित करना
- III. मोटर गाड़ी को और अधिक क्षति पहुँचाना ताकि अधिक प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सके
- IV. क्षति को नज़रअंदाज़ कर देना

स्वमूल्यांकन 3

दावों की जांच एवं दावों के आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- I. दावे की जांच एवं दावे का आकलन, एक ही होता है
- II. दावे की जांच, दावे की वैधता निर्णीत करने हेतु की जाती है जबकि आकलन, यह जानने के लिए कि हानि बीमित आपदा के कारण हुई थी या नहीं एवं क्या किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ था, किया जाता है।
- III. दावे के आकलन से दावे की वैधता निर्णीत करने की कोशिश की जाती है जबकि जांच में हानि का कारण तथा उसके परिमाण पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- IV. दावा प्रदत्त किए जाने से पहले दावे की जांच की जाती है तथा दावे का आकलन, दावा प्रदत्त किए जाने के बाद किया जाता है।

स्वमूल्यांकन 4

सर्वेक्षकों का लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी कौन होते हैं?

- I. भारतीय सर्वेक्षक संस्था
- II. सर्वेक्षक, विनियामक एवं विकास प्राधिकारी
- III. भारतीय, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकारी
- IV. भारत सरकार

स्वमूल्यांकन 5

आँधी से क्षति पर दावा की जांच करते समय, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों की मांग की संभावना अधिक होती है?

- I. मृत्यु समीक्षक(कोरोनर) की रिपोर्ट
- II. अग्नि शामक से रिपोर्ट
- III. पुलिस की रिपोर्ट
- IV. मौसम विज्ञान विभाग से रिपोर्ट

स्वमूल्यांकन 6

निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के तहत बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी के तहत प्रदत्त तृतीय पक्ष की हानि से धन की वापसी हेतु बीमाधारक के अधिकारों का अनुमान लगाया जा सकता है?

- I. अंशदान
- II. अदायगी (डिस्चार्ज)
- III. प्रत्यासन (सब्रोगेशन)
- IV. क्षतिपूर्ति

स्वमूल्यांकन 7

यदि, बीमाकर्ता द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि पॉलिसी के तहत उक्त हानि को आवरित न किए जाने के कारण वह देय नहीं है, ऐसे मामलों का निर्णय कौन लेता है?

- I. बीमाकर्ता का निर्णय अंतिम होता है
- II. अंपायर
- III. मध्यस्थ
- IV. न्यायालय

सारांश

- a) व्यावसायिक रूप से दावों के निपटान को बीमा कंपनी का सर्वाधिक बृहत् विज्ञापन माना जाता है।
- b) पॉलिसी की शर्तों में दिया गया है कि, हानि की सूचना बीमाकर्ता को तात्कालिक रूप से दी जानी चाहिए।
- c) दावे की राशि, छोटी होने की स्थिति में, हानि का कारण एवं परिमाण का निर्णयन बीमाकर्ता के अधिकारी द्वारा किया जाता है। परंतु अन्य दावों के लिए, स्वतंत्र लाइसेंसयुक्त व्यावसायिक सर्वेक्षक, जो कि हानि के आकलन के विशेषज्ञ होते हैं, को सुपुर्द किया जाता है।
- d) सामान्यतः, दावे के प्रपत्र की रचना, हानि की परिस्थियों की संपूर्ण जानकारी हेतु तैयार की जाती है, जैसे हानि की तिथि, समय हानि का कारण, हानि का परिमाण आदि।
- e) दावे का आकलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्णीत किया जाता है कि, बीमाकृत द्वारा वहन की गई हानि, बीमित आपदा के कारण ही घटी थी अथवा उसमें वारंटी का किसी प्रकार का उल्लंघन किया गया था। बीमाधारक द्वारा वहन की गई हानि का परिमाण एवं पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की देयता, दोनों का आकलन किया जाता है। यह प्रक्रिया, दावे के भुगतान से पहले की जाती है।
- f) पॉलिसी के तहत अदायगी(डिस्चार्ज) प्राप्त करने के बाद ही दावे का निपटान किया जाता है।

मुख्य शब्दावलियां

- a) हानि की सूचना
- b) जांच एवं आकलन
- c) सर्वेक्षक एवं हानि के आकलनकर्ता
- d) दावा के प्रपत्र
- e) समायोजन एवं निपटान

स्वमूल्यांकन के उत्तर

- उत्तर 1 - II सही विकल्प है।
- उत्तर 2 - I सही विकल्प है।
- उत्तर 3- II सही विकल्प है।
- उत्तर 4- III सही विकल्प है।
- उत्तर 5- IV सही विकल्प है।
- उत्तर 6- III सही विकल्प है।
- उत्तर 7- IV सही विकल्प है।

अनुभाग
परिशिष्ट

अध्याय A-01

परिशिष्ट

यह परिशिष्ट इसीलिए प्रस्तुत किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को सामान्य बीमा में प्रयुक्त प्रस्ताव प्रपत्रों के संबंध में बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके।

परिशिष्ट ए

मोटर बीमा प्रस्ताव प्रपत्र

निजी मोटर वाहन/दुपहिया- पैकेज पॉलिसी

प्रस्तावकर्ता का नाम							
पत्र-व्यवहार हेतु पता		बीमाधारक की पहचान					
टेलीफोन एवं फैक्स नंबर						मोबाइल नंबर	
ईमेल पता							
बैंक खाता संख्या बचत/चालू						पैन संख्या	
एचपीए/हाइपोथिकेशन							
आवश्यक पॉलिसी का प्रकार		पैकेज पॉलिसी					
बीमा की अवधि	समय से दिनांक-				सेवा में	
मोटर वाहन का विवरण							
पंजीकरण संख्या	इंजिन सं. और चैसिस सं	निर्माण का वर्ष	बनावट और मॉडल मुख्य भाग का प्रकार	क्यूबिक क्षमता	बैठने की व्यवस्था	रंग	प्रयुक्त फ्यूल
बीमित वाहन की सही पहचान							
पंजीकरण प्राधिकारी: नाम एवं स्थान							
वाहन का मूल्य:							
बिल का मूल्य	इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	गैर-इलेक्ट्रिकल उपकरण	साइड मोटर/ट्रेलर	एलपीजी/सीएनजी किट	कुल मूल्य	आईडीवी	
यह दावे के निपाटन एवं प्रीमियम का आधार होता है							
वाहन का इतिहास							
पिछली पॉलिसी की संख्या	सुरक्षा का प्रकार	बीमाकर्ता का नाम एवं पता	अदावी बोनस की पात्रता	पॉलिसी के समापन की तिथि	दावे का अनुभव पिछले 3 वर्ष का	पहली खरीद की तिथि एवं पंजीकरण	
				बीमालेखन घटक – मूल्यांकन पर प्रभाव			
वाहन का प्रयोग							
वाहन का प्रयोग		वाहन के पार्किंग का विवरण		ड्राइवर का विवरण		एक वर्ष में चलाई गई औसत करकिलोमीटर	

मनोरंजन	सुरक्षित गराज	निजी	बीमाकर्ता को जोखिम को समझने में सहायक होता है
व्यावसायिक	असुरक्षित गराज	वेतनभोगी ड्राइवर	
कारोबार/व्यापार	कॉम्पाउंड के अंदर	सगे-संबंधी	
कार्पोरेट	सड़क के किनारे	मित्र	
	जोखिम न्यूनीकरण/प्रतिकूल जोखिम की जानकारी		

छूट एवं प्रभार

स्वैच्छिक अधिशेष: क्या आप पॉलिसी की अनिवार्य अधिशेष से भी अधिक, स्वैच्छिक अधिशेष के विकल्प का चयन करना चाहते हैं?	हाँ/नहीं – यदि हाँ, कृपया राशि की मात्रा विनिर्दिष्ट करें, दुपहिया – रु.500/700/1000/1500/3000 निजी		
क्या आप, भारत की ऑटोमोबाइल संस्था के सदस्य हैं	हाँ/नहीं यदि हाँ, कृपया विवरण प्रस्तुत करें- 1. संस्था का नाम 2. सदस्यता संख्या: समापन की तिथि:		
क्या वाहन में एआरएआई अनुमोदित चोरी विरोधी उपकरण लगाया गया है	हाँ/नहीं, यदि हाँ, एएसआई द्वारा जारी स्थापना प्रमाणपत्र संलग्न करें		
क्या वाहन को गैर-पारंपरिक स्रोत द्वारा चलाया जाता है	हाँ/नहीं, यदि हाँ, विवरण प्रस्तुत करें		
क्या वाहन को द्वि-ईंधन किट/फाइबर गिलास टैंक लगाकर चलाया जाता है	हाँ/नहीं, यदि हाँ, विवरण प्रस्तुत करें		
क्या आप, टीपीपीडी सुरक्षा की सांविधिक सीमा को रु.6000/- तक ही प्रतिबंधित रखना चाहते हैं	हाँ/नहीं कंपनी की पॉलिसी के अनुसार प्रभार एवं छूट हेतु शामिल किए गए बीमालेखन के घटक		
अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता			
सहायक उपकरणों की चोरी (केवल दुपहिए के लिए)			
ड्राइवर के प्रति कानूनी देयता			
वेतनभोगी ड्राइवर के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना			
अनिवार्य- मालिक ही ड्राइवर होने पर वैयक्तिक दुर्घटना आवरण			
मालिक ही ड्राइवर के लिए वैयक्तिक दुर्घटना आवरण अनिवार्य होती है। कृपया नामांकन विवरण प्रस्तुत करें			
क. नामिति का नाम एवं आयु:			
ख. संबंध:			
ग. नियुक्त व्यक्ति का नाम: अतिरिक्त प्रीमियम के अधीन अतिरिक्त आवरण (नामित के अवयस्क होने पर)			
घ. नामिति से संबंध:			
टिप्पणी : 1. दो व्यक्तियों के लिए, वैयक्तिक दुर्घटना आवरण, मालिक-ड्राइवर हेतु रु.1,00,000/- कि बीमित राशि हेतु अनिवार्य होती है।			
1. अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना की राशि रु. 15 लाख होती है			
2. कंपनी के स्वामित्व की वाहन, एक साझेदारी कंपनी अथवा समान प्रकार की निकाय कार्पोरेट अथवा मालिक-ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस न होने की स्थिति में, मालिक-ड्राइवर के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण प्रदान नहीं की जा सकती है।			
नामित व्यक्तियों के लिए पी. ए. आवरण			
नामित निवासियों के लिए पीए आवरण	(एमटी-15)	क्या आप नामित व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना आवरण शामिल करना चाहते हैं?	
		नाम	चयनित सीएसआई
		नामिति	संबंध
		1.	
		2.	
		3.	
हाँ/नहीं, यदि हाँ, नाम तथा चयनित पूंजीगत बीमित राशि (सीएसआई) का उल्लेख करें (टिप्पणी : प्रति व्यक्ति, सीएसआई की उपलब्ध अधिकतम राशि, निजी वाहन हेतु रु.2लाख एवं मोटरकृत दुपहिए के लिए रु.1 लाख होती है)			
गैर-नामित व्यक्तियों/पिलियन/गैरनामित यात्रियों हेतु पी.ए. सुरक्षा			

अतिरिक्त आवरण	
शून्य मूल्यहास	
कर्टसी कार	
चिकित्सकीय व्यय	ऐसी सूचना, जो मूल्यांकन और साथ ही कुछ सांख्यिकीयों के प्रयोजन पर प्रभावी हो सकती है।
वैयक्तिक प्रभाव	
अन्य विवरण	
जारी अतिरिक्त आवरणों का विवरण	
क्या वाहन का प्रयोजन निजी परिसरों तक सीमित है	हाँ/नहीं
क्या वाहन, विदेशी दूतावास के स्वामित्व की है	हाँ/नहीं
क्या वाहन को विन्टेज वाहन के रूप में प्रमाणित किया गया है	हाँ/नहीं
क्या वाहन का निर्माण नेत्रहीन/विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है	हाँ/नहीं, यदि हाँ, आरटीए द्वारा पृष्ठोंकन का विवरण विनिर्दिष्ट करें
क्या वाहन का प्रयोग ड्राइविंग ट्यूशन के लिए किया जाता है	हाँ/नहीं
क्या भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है	नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका

क्या आप एक पृष्ठ की पॉलिसी के इच्छुक हैं? हाँ/नहीं

परम सद्भावना के सिद्धांत पर आधारित

बीमाधारक द्वारा प्रस्तुत घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/ते हूँ/हैं कि, इस प्रस्ताव प्रपत्र में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत विवरण, सत्य हैं तथा मेरी/हमारी ज्ञान एवं विश्वास के अनुरूप हैं तथा मैं/हम, एतद्वारा सहमत हैं कि उक्त घोषणा ही मेरे/हमारे बीच अनुबंध का आधार होगी तथा

मैं/हम, साथ ही एतद्वारा घोषणा करता/ते हूँ/हैं कि, उक्त प्रस्ताव प्रपत्र की प्रस्तुति के बाद संलग्न विषय अथवा संशोधन की सूचना, बीमाकर्ता को तात्कालिक रूप से दी जाएगी।

मैं/हम, पुष्टि करता/ते, हूँ/हैं कि पिछली पॉलिसी की समापन तिथि से वर्तमान तक मेरी/हमारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। मैं/हम, पुष्टि करता/ते, हूँ/हैं कि मैंने/हमने _____ को _____ पर प्रीमियम का भुगतान किया है।

उपरोक्त वाहन के प्रति आपसे की गई बीमा के संबंध में यह स्पष्ट है तथा इस विषय पर सहमित है कि, इससे पहले(समय) घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना से उत्पन्न हानि/क्षति/ देयता हेतु किसी भी प्रकार से आप उत्तरदायी नहीं होंगे।

मैं/हम यह घोषणा करता/ते, हूँ/हैं कि, वाहन सर्वोत्तम एवं सडक योग्य स्थिति में है।

स्थान:

दिनांक

प्रस्तावकर्ता का हस्ताक्षर

भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म एवं भारत लघु उद्यम के प्रस्ताव प्रपत्र

मानक उत्पादों तथा उनसे संबंधित प्रस्ताव प्रपत्रों अर्थात् भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म एवं भारत लघु उद्यम की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया आईआरडीएआई वेबसाइट की नीचे उल्लिखित लिंक को देखें।

<https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/Uploadedfiles/StandardProducts/Annexure-I-BharatGrihaRaksha.pdf>